

भारतीय अर्थव्यवस्था

बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018

- ❶ भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को 1 अगस्त, 2018 को मंजूरी दी गई।
- ❷ भगोड़े आर्थिक अपराधी को भारत में कानूनी प्रक्रिया से बचने से और देश से भागने से रोकने में इस विधेयक की अहम भूमिका होगी।
- ❸ भगोड़ा आर्थिक अपराधी वह व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के चुनिंदा आर्थिक अपराधों में शामिल होने की वजह से गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया गया हो और वह आपराधिक अभियोजना से बचने के लिए देश से बाहर चला गया हो।

मुख्य विशेषताएं

- ❶ बिल किसी व्यक्ति को भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित करने की अनुमति देता है—
 - उसके खिलाफ किसी निर्दिष्ट अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और यह अपराध 100 करोड़ से अधिक की राशि वाला है।
 - उसने देश छोड़ दिया है और मुकदमे का सामना करने के लिए देश लौटने से इनकार कर दिया है।
- ❷ किसी व्यक्ति को FEO घोषित करने के लिए विशेष अदालत (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के अंतर्गत नामित) में आवेदन दायर किया जाएगा। जिसमें जब्त की जाने वाली संपत्तियों का विवरण और उस व्यक्ति के ठिकानों की सूचना होगी।
- ❸ विशेष अदालत द्वारा यह अपेक्षा की जाएगी कि नोटिस मिलने के कम से कम 6 सप्ताह के भीतर वह व्यक्ति निर्दिष्ट स्थान पर पेश हो।
- ❹ उस व्यक्ति के पेश होने पर विशेष अदालत द्वारा दी जाने वाली कार्यवाहियां खारिज कर दी जाएगी।
- ❺ बिल अर्थॉरिटी को अनुमति देता है कि विशेष अदालत में

आवेदन के लंबित रहने के दौरान वे आरोपी की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर सकते हैं।

- ❶ किसी व्यक्ति के FEO घोषित होने पर उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है और केंद्र सरकार के अधीन की जा सकती है लेकिन केंद्र सरकार उससे जुड़ी सभी देनदारियों (संपत्ति पर अधिकार और उससे संबंधित सभी दावों) से मुक्त होगी।
- ❷ इसके अतिरिक्त FEO या उससे संबंधित किसी भी कंपनी को सिविल दावे दायर करने या सफाई देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

- ❶ बिल के अंतर्गत कोई भी अदालत या ट्रिब्यूनल FEO या उससे संबंधित कंपनी को सिविल दावे दायर करने या सफाई देने से रोक सकती है।
- ❷ ऐसे लोगों को सिविल दावे दायर करने या सफाई देने से रोकने से संविधान के अनु. 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
- ❸ अनु. 21 की व्याख्या में न्याय हासिल करने का अधिकार भी शामिल है।
- ❹ बिल के अंतर्गत FEO की संपत्ति को जब्त और केंद्र सरकार के अधीन किया जा सकता है।
- ❺ बिल विशेष अदालत को ऐसी संपत्ति को छूट देने की अनुमति देता है जिनमें कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का हित है (जैसे सिन्डिकेट क्रेडिटर्स)।
- ❻ हालांकि बिल यह स्पष्ट नहीं करता कि क्या केंद्र सरकार बिक्री से होने वाली आय में दूसरे दावेदारों, जिनका ऐसा कोई हित ना हो (जैसे अनसिन्डिकेट क्रेडिटर्स), को हिस्सा देगी।
- ❼ बिल में यह अपेक्षित नहीं है कि तलाशी से पहले अधिकारियों को सर्च वारंट लेना होगा या गवाहों की मौजूदगी सुनिश्चित करनी होगी।
- ❽ यह दूसरे कानूनों, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC), 1973 से अलग है जिसमें ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं।
- ❾ ऐसे उपाय उत्पीड़न और झूठे सबूतों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं।

- ❖ बिल में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के FEO घोषित होने पर उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। यह दूसरे कानूनों जैसे CRPC, 1973 से अलग है जिसमें किसी व्यक्ति के भगोड़ा घोषित होने के 2 वर्ष बाद उसकी संपत्ति जब्त होती है।

भाग ए : बिल और अध्यादेश की विशेषताएं

- ❖ आर्थिक अपराधों में फ्रॉड, नकली नोट बनाना, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स की चोरी इत्यादि शामिल है।
- ❖ वर्तमान में विभिन्न कानूनों के अंतर्गत ऐसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। इन कानूनों में शामिल हैं-
 - प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 जो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रतिबंधित करता है।
 - बेनामी संपत्ति लेनदेन एक्ट, 1988 जो बेनामी लेनदेन को प्रतिबंधित करता है।
 - कंपनीज एक्ट, 2013 जो फ्रॉड और गैर कानूनी डिपॉजिट्स के लिए दंड देता है, दूसरे कानून जैसे भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CRPC) के दायरे में भी आर्थिक अपराध, जैसे जालसाजी और धोखाधड़ी आते हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- ❖ भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) एक ऐसा व्यक्ति है, जिसके खिलाफ अनुसूची में दर्ज किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और इस अपराध का मूल्य कम से कम 100 करोड़ रुपए है।
- ❖ इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति जिसने मुकदमे से बचने के लिए देश छोड़ दिया है और मुकदमे का सामना करने के लिए देश लौटने से इनकार कर दिया है।
- ❖ बिल अनुसूची में 55 आर्थिक अपराधों को सूचीबद्ध करता है जिसमें शामिल है-
 - नकली सरकारी स्टाम्प या करंसी बनाना
 - पर्याप्त धन ना होने पर चेक का मुनाफा खा जाना
 - बेनामी लेनदेन
 - क्रेडिटर्स के साथ धोखाधड़ी वाले लेनेदेन
 - टैक्स की चोरी और
 - मनी लॉन्ड्रिंग
- ❖ अध्यादेश केंद्र सरकार को अधिसूचना के जरिए इन अनुसूची में संशोधन की अनुमति देता है।

अथॉरिटीज

- ❖ PMLA, 2002 के अंतर्गत गठित अथॉरिटीज बिल द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करेंगी। ये शक्तियां सिविल अदालतों के समान होंगी, जिनमें निम्न शामिल हैं-
 - ऐसे व्यक्ति की तलाशी लेना, जिनके पास अपराध के रिकॉर्ड्स या आय हो
 - यह मानकर किसी स्थान की तलाशी लेना कि व्यक्ति FEO है।
 - दस्तावेजों को जब्त करना।

सुरेश माथुर समिति

- ❖ बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने देश में बीमा प्रवेश बढ़ाने के उद्देश्य से बीमा मार्केटिंग फर्मों (BMF) से संबंधित मानदंडों की समीक्षा करने के लिए 10 सदस्यीय समिति की स्थापना की है।

समिति के कार्य :

- ❖ समिति ने आईआरडीएआई (बीमा मार्केटिंग फर्मों के पंजीकरण) विनियम, 2015 की समीक्षा करने के लिए आग्रह किया है।
- ❖ यह उन क्षेत्रों पर दिशानिर्देशों की सिफारिश करेगा जिन पर आईएमएफ के नियम निष्क्रिय हैं।
- ❖ समिति अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामकों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उत्पादों को लेकर आईएमएफ के वितरण चैनल को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश भी करेगी।
- ❖ 2015 में आईआरडीएआई द्वारा क्षेत्रवार पंजीकरण दृष्टिकोण के माध्यम से बीमा प्रवेश को बढ़ाने के लिए आईएमएफ का नया वितरण चैनल प्रस्तुत किया गया था।
- ❖ समिति का गठन समाज के सभी स्तरों पर बीमा कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य को विकसित करने और पूरा करने के लिए वितरण चैनल के लिए आवश्यक मौजूदा नियमों की समीक्षा हेतु किया गया था।
- ❖ आईआरडीए एक शीर्ष सांविधिक निकाय है, जिसका कार्य भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित और विकसित करना है।
- ❖ यह बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार गठित किया गया था। इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है।

एमएसएमई समिति

- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 05 दिसंबर 2018 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के आर्थिक

व वित्तीय स्थायित्व के लिए कारणों की पहचान करने और लंबी अवधि के समाधान प्रस्तावित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने की घोषणा की।

- इसके अतिरिक्त आरबीआई ने कहा कि अगले वित्त वर्ष से एमएसएमई के लिए बैंकों द्वारा फ्लोटिंग ब्याज दर के लिए एक नया बाह्य बेंचमार्क बनाया जाएगा।
- यह क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम है।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- एमएसएमई क्षेत्र के आर्थिक व वित्तीय स्थायित्व के लिए कारणों की पहचान करने और लंबी अवधि के समाधान प्रस्तावित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा।
- यह समिति त्वरित कार्रवाई वाली श्रेणी में रखे गए बैंकों पर विचार करेगी।
- 21 सरकारी बैंकों में से 11 इस श्रेणी में हैं। आरबीआई इनके लिए नियमों में ढील दे सकता है।
- विशेषज्ञों की एक अन्य समिति की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई ने घोषणा की है कि बैंक प्राइम लेंडिंग रेट (पीएलआर), बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (बीपीएलआर), बेस रेट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) जैसे, मौजूदा आंतरिक बेंचमार्क के बदले अपने फ्लोटिंग रेट वाले कर्ज के लिए बाहरी बेंचमार्क का इस्तेमाल करेंगे।
- विशेषज्ञों की समिति का गठन इस महीने के अंत तक किया जाएगा, जबकि समिति जून 2019 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

आवश्यकता

- इस दिशा में कदम उठाते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि पर्सनल या रिटेल लोन (आवास, ऑटो आदि के लिए कर्ज) के लिए नया फ्लोटिंग रेट और सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए फ्लोटिंग रेट वाले कर्ज के लिए एक अप्रैल, 2019 से इनमें से एक बेंचमार्क का उपयोग किया जाएगा।

क्रेडिट रेटिंग मॉडल

- बैंकों को क्रेडिट जोखिम और बड़े डेटा विश्लेषण का उपयोग करके धोखाधड़ी की संभावना का आकलन करने में सहायता देने हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) क्रेडिट रेटिंग मॉडल का परीक्षण कर रहा है।
- इस प्रणाली के माध्यम से बढ़ती गैर-प्रदर्शनकारी संपत्ति (एनपीए) के मुद्दे से निपटने के लिए बैंकों, विशेष रूप से ग्रामीण और सहकारी बैंकों की मदद करने की उम्मीद है।

मुख्य तथ्य :

- वर्तमान में, ग्रामीण और सहकारी बैंक, बैंक प्रबंधक के फैसले पर निर्भर रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उच्च एनपीए और धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है।
- क्रेडिट रेटिंग मॉडल बैंकों को बड़े डेटा संदर्भ के तहत जोखिमों के आकलन में सहायता कर सकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रायोजित परियोजना में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बेंगलुरु स्थित आईटी फर्म प्रोसेसवेयर सिस्टम और दो सहकारी बैंक भागीदारों के रूप में शामिल हैं।
- इस परियोजना का उद्देश्य बैंकों को व्यक्तिगत ऋण, स्वर्ण ऋण और वाहन ऋण जैसे ऋणों से जुड़े जोखिमों के आकलन में मदद करना है।
- यह आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी से संबंधित पूर्व चेतावनी देने में भी मदद करेगा।
- इन मॉडलों का सत्यापन कई बैंकों के डेटा का उपयोग करके किया गया है।

लिबरलाइज्ड रेमिटेन्स स्कीम

- लिबरलाइज्ड रेमिटेन्स स्कीम (LRS) की 'करीबी रिश्तेदार' श्रेणी के तहत विदेशों में भेजे गए धन से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रिश्तों की प्रवाह को जांचने के लिए रिश्तेदारों की परिभाषा को कम कर दिया है।
- इसलिए, 'करीबी रिश्तेदार' श्रेणी के रखरखाव के तहत धन केवल माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चों और उनके पति जैसे तत्काल रिश्तेदारों को भेजा जा सकता है।
- यह 1956 के समान अधिनियम के बजाए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 'रिश्तेदारों' को परिभाषित करके लाया गया है।
- 2013-14 में करीब 174 मिलियन डॉलर से करीबी रिश्तेदारों के रखरखाव के तहत बाहरी प्रेषण 2017-18 में लगभग + 3 बिलियन तक पहुंच गया।
- वास्तव में, 2015-16 के बाद से इस श्रेणी के तहत भेजे गए धन दोगुनी हो गए हैं।

सुनील मेहता समिति

- सुनील मेहता कमेटी - डूबी हुई परिसंपत्तियों के शीघ्र समाधान के साथ निस्तारण के लिए गठित की गई।
- समिति ने 500 करोड़ से अधिक डूबने वाले ऋण के संकल्प के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के निर्माण की सिफारिश की है।

- ☞ समिति ने 90 दिनों के भीतर एसएमई ऋण को हल करने की योजना भी निर्धारित की थी।
- ☞ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बैंक रीढ़ की हड्डी की तरह है।
- ☞ ऐसे में बैंकों की बढ़ रही गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बड़ा संकट पैदा कर सकती है।

क्या है एनपीए?

- बैंकों के लोन को तब एनपीए में शामिल कर लिया जाता है, जब तय तिथि से 90 दिनों के अंदर उस पर बकाया ब्याज तथा मूलधन की किस्त नहीं चुकाई जाती।
- बढ़ते एनपीए का बैंकों पर तीन मुख्य प्रभाव पड़ते हैं।
 - उनकी लोन देने की क्षमता घट जाती है।
 - मुनाफे में कमी आती है।
 - उनके नकदी का प्रवाह घट जाता है।

- एनपीए में उद्योग जगत और बड़ी कंपनियों का योगदान सबसे ज्यादा है।
- एनपीए का एक पहलू काफी महत्वपूर्ण है जो बैंकों के पर्याप्त आकस्मिकता नियोजन (एडीक्वेट कंटीजेंसी प्लानिंग) की व्यवस्था से जुड़ा है।
- कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, बैंक अपनी साख कम होने के डर से भी संपत्ति की गुणवत्ता का सही आकलन नहीं करते हैं।

एनपीए की स्थिति?

- ☞ देश के 38 सूचीबद्ध कॉमर्शियल बैंकों का एनपीए 8.41 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है।
- ☞ इनमें से 90% सरकारी बैंकों में है, जो पूरी बैंकिंग व्यवस्था के 70% संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ☞ केंद्रीय बैंक के अधिकारियों और आर्थिक विशेषज्ञों की मानें तो समय रहते कोई उपाय नहीं किया गया तो यह आंकड़ा 20 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।

बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन

- ☞ भारत सरकार ने माली हालत सुधारने के लिए बैंकों को 2.11 लाख करोड़ की धनराशि अतिरिक्त पूंजी के रूप में देने का फैसला किया है।
- ☞ इनमें से 1.35 लाख करोड़ रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के रूप में देने की योजना है।
- ☞ शेष 76000 करोड़ में से 18,000 करोड़ इंद्रधनुष योजना के तहत बजट से स्वीकृत किये जाएंगे और शेष 58,000 करोड़ बैंक खुद बाजार से जुटाएंगे।

रिकैपिटलाइजेशन से लाभ

- ☞ पुनर्पूँजीकरण बैंकों के पूंजी आधार को मजबूत करेगा।
- ☞ यह उनके लिए क्रेडिट निर्माण करने में मददगार साबित होगा।
- ☞ इससे बैंकों का मुनाफा बढ़ेगा तथा रकम का प्रवाह घटने के खतरे को कम कर उन्हें दिवालिया होने से बचाया जा सकेगा।
- ☞ **नोट:** छोटी अवधि के लिए तो यह उपाय ठीक है, लेकिन इसे एकमात्र विकल्प मान लेना देश के करदाताओं के साथ नाइंसाफी होगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूँजीकरण योजना

- ☞ केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूँजीकरण योजना को अगले 3 वर्षों अर्थात् 2019-20 तक विस्तार देने की मंजूरी दी है।
- ☞ इसके माध्यम से आरआरबी की न्यूनतम निर्धारित पूंजी को 9 प्रतिशत के जोखिम परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) पर बनाये रखने में सहायता मिलेगी।

प्रभाव :

- ☞ एक मजबूत पूंजीगत संरचना और सीआरएआर के न्यूनतम स्तर से आरआरबी की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी।
- ☞ इसके माध्यम से आरआरबी वित्तीय समावेश में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने और ग्रामीण क्षेत्रों की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे।

विवरण :

- ☞ आरआरबी की पुनर्पूँजीकरण योजना की शुरुआत वित्त वर्ष 2010-11 में हुई थी और इसे 2012-13 तथा 2015-16 में दो बार विस्तार दिया गया।
- ☞ अंतिम विस्तार 31 मार्च, 2017 तक के लिए था।
- ☞ कुल 1450 करोड़ रुपये में से भारत सरकार के हिस्से के रूप में 31 मार्च, 2017 तक कुल 1107.20 करोड़ रुपये की धनराशि आरआरबी को जारी की गई।

ऋण राशि (करोड़ रु. में)	कुल ऋण का प्रतिशत	प्राथमिकता क्षेत्र के कुल ऋण (पीएसएल)
2,05,122	89.73 %	कृषि (पीएसएल के अंतर्गत)
1,54,322	67.51 %	छोटे व सीमांत किसान (कृषि के अंतर्गत)
1,02,791	44.97 %	

- ☞ शेष 342.80 करोड़ रुपये की धनराशि उन आरआरबी के पुनर्पूँजीकरण सहयोग के लिए उपलब्ध करायी जाएगी

जिनका सीआरएआर 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान 9 प्रतिशत से कम था।

- ❶ नाबार्ड के परामर्श से उन आरआरबी की पहचान की जाएगी जिन्हें पुनर्पूँजीकरण की आवश्यकता है। यह व्यवस्था वित्त मंत्री द्वारा 2018-19 के बजट घोषणा के अतिरिक्त होगी।
- ❷ बजट घोषणा में वित्तीय रूप से मजबूत आरआरबी को भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से पूँजी निर्माण की स्वीकृति दी गई थी।

पृष्ठाभूमि :

- ❶ आरआरबी की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व सीमांत किसानों, कृषि-श्रमिकों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थीं।
- ❷ इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग व अन्य उत्पादक गतिविधियों का विकास करना है।
- ❸ आरआरबी भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक का एक संयुक्त उद्यम है। जिसमें इनका पूँजी निवेश क्रमशः 50 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 35 प्रतिशत है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विषय में
<ul style="list-style-type: none"> ● क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित एक अध्यादेश के प्रावधानों को सितंबर 1975 और आरआरबी अधिनियम, 1976 को पारित कर दिया गया और स्थापित किया गया।
<ul style="list-style-type: none"> ● यह इसलिए स्थापित किया गया था क्योंकि कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बैंकिंग और क्रेडिट की सुविधा प्रदान कर सके।
<ul style="list-style-type: none"> ● आरआरबी अधिनियम को नरसिंह समिति की सिफारिश के तहत इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल के समय लागू किया गया क्योंकि उस समय 70 % भारत के लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे।
<ul style="list-style-type: none"> ● क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विकास की प्रक्रिया सन 2 अक्टूबर 1975 में शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत देश की पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में हुई, जिसकी अधिकृत पूँजी 5 करोड़ रुपए थी।
<ul style="list-style-type: none"> ● 2 अक्टूबर 1976 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत हुई जिसकी अधिकृत पूँजी 100 करोड़, थी। ध्यान रहे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के स्वामित्व थे।

एसबीआई/एनएचएआई के बीच समझौता

- ❶ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देश के सबसे बड़े ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के

साथ दीर्घकालिक असुरक्षित ऋण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया है।

- ❶ पुनर्भुगतान पर 3 साल के अधिस्थगन के साथ 10 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ रुपये।
- ❷ यह किसी भी संस्था को एसबीआई द्वारा किया गया उच्चतम दीर्घकालिक असुरक्षित ऋण है और किसी भी संस्था द्वारा एक स्ट्रोक में एनएचएआई को स्वीकृत सबसे बड़ा ऋण भी है।

मुख्य तथ्य :

- ❶ एसबीआई द्वारा स्वीकृत ऋण असुरक्षित है। प्रारंभिक तीन वर्षों के लिए इसकी कोई मूल पुनर्भुगतान देयता नहीं है लेकिन 3 साल बाद, पुनर्भुगतान 14 बराबर वार्षिक किश्तों में किया जाएगा। कुल ऋण कार्यकाल 10 साल का है।
- ❷ एनएचएआई बिना किसी प्रीपेमेंट पेनल्टी के किसी भी समय ऋण चुका सकता है या प्री-पे कर सकता है।
- ❸ ब्याज दर फंड आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) की एक महीने की मामूली लागत पर आधारित होगी।
- ❹ बकाया राशि पर अर्जित ब्याज मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)
<ul style="list-style-type: none"> ● एनएचएआई केंद्र सरकार की एक स्वायत्त सांविधिक एजेंसी है, जो भारत में 70,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
<ul style="list-style-type: none"> ● यह एनएचएआई अधिनियम, 1988 के माध्यम से स्थापित किया गया था।
<ul style="list-style-type: none"> ● यह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
<ul style="list-style-type: none"> ● फरवरी 1995 में, इसे औपचारिक रूप से एक स्वायत्त निकाय बनाया गया था।
<ul style="list-style-type: none"> ● यह एनएचएआई अधिनियम, 1988 के माध्यम से स्थापित किया गया था।
<ul style="list-style-type: none"> ● यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नोडल एजेंसी है।

ओम्बुड्समैन अनिवार्य:आरबीआई

- ❶ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 03 सितंबर 2018 को 10 से अधिक ब्रांच वाले सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों को आंतरिक बैंकिंग लोक प्रहरी (ओम्बुड्समैन या आईओ) की नियुक्ति करने का निर्देश दिया।

- ❖ रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस आदेश से अलग रखा है।
- ❖ रिजर्व बैंक ने आंतरिक लोक प्रहरी योजना बैंकों की आंतरिक शिकायत प्रणाली को मजबूत करने और ग्राहकों की शिकायतों का निपटान करने के लिए शुरू की है।

रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश

- ❖ आईओ को और स्वतंत्र करने और आईओ प्रणाली के कामकाज की निगरानी के लिए केंद्रीय बैंक ने आंतरिक लोक प्रहरी योजना, 2018 की व्यवस्था की समीक्षा की है।
- ❖ रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि आईओ को ग्राहकों की सेवाओं में खामी की उन शिकायतों की जांच करनी चाहिए जिसे बैंक ने आंशिक या पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है।
- ❖ इस योजना के तहत आईओ की नियुक्ति-कार्यकाल, भूमिका और दायित्व, प्रक्रियागत दिशानिर्देश तथा निगरानी तंत्र इत्यादि आएगा।
- ❖ आईओ योजना, 2018 के क्रियान्वयन की निगरानी बैंक की आंतरिक ऑडिट प्रणाली के तहत किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय बैंक इस योजना पर नियामक के रूप में नजर रखेगा।

ओम्बुड्समैन के विषय में

- इसके अन्तर्गत एक 'बैंकिंग लोकपाल' की नियुक्ति की जाती है जो एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी होता है।
- बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में लागू की गई थी, लेकिन 2002 एवं 2006 में इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए संशोधन किया गया, ताकि बैंकों द्वारा स्वच्छ, पारदर्शी, भेदभाव रहित और जिम्मेदारी पूर्वक बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें।
- यह एक स्वशासी स्वतंत्र संस्था है जो बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की निगरानी रखती है।

सेबी ने शेयर बायबैक नियमों को संशोधित किया

- ❖ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने 17 सितम्बर 2018 को शेयरों को वापस खरीदने (बायबैक) के नियमों में संशोधन किया है।
- ❖ सेबी के अनुसार क्रेडिट रेटिंग संस्थाएं पब्लिक या राइट्स इश्यू के जरिये ऑफर की गई सिक्युरिटीज की रेटिंग के अलावा और किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं होंगी।

मुख्य तथ्य :

- ❖ सेबी के अनुसार रेटिंग कंपनी को वित्तीय प्रतिभूतियों की रेटिंग तय करने और आर्थिक अथवा वित्तीय शोध एवं विश्लेषण कार्य के अलावा दूसरे कार्यों को अलग कंपनी में

बांटने का नियम लागू किया है।

- ❖ इसके लिए दो साल का समय दिया गया है।
- ❖ नए नियमों के तहत सेबी ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों को किसी कंपनी में शेयर खरीदने या ओपन ऑफर में बोली लगाने से प्रतिबंधित कर दिया है।
- ❖ इसके साथ ही कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप 'मुक्त आरक्षित भंडार' के बारे में स्पष्टीकरण को नये ढांचे में शामिल किया गया है।
- ❖ सेबी ने भाषा के सरलीकरण, अस्पष्टता खत्म करने और अप्रैल 2014 में अस्तित्व में आए नए कंपनी कानून के हिसाब से नए रेफरेंस जोड़ने के लिए शेयर बायबैक के नियमों में संशोधन किया है।
- ❖ कोई भी कंपनी जिसे शेयरों की वापस खरीद की अनुमति दी जाती है उसे दो कार्यदिवसों के भीतर इसकी सार्वजनिक घोषणा करनी होगी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी)

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है।
- इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में हुई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय है।
- सेबी के अस्तित्व में आने से पहले पूंजी निर्गम नियंत्रक नियामक प्राधिकरण था, जिसे पूंजी मुद्दे (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त थे।
- सेबी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का उत्तम संरक्षण प्रदान करना और प्रतिभूति बाजार के विकास तथा नियमन को प्रवर्तित करना है।

बायबैक क्या है?

- ❖ बायबैक एक निर्धारित समय में पूरी की जाने वाली प्रक्रिया है। जिसमें निवेशकों के अतिरिक्त शेयरों को अपने सरप्लस का इस्तेमाल कर खुले बाजार से खरीदा जाता है।
- ❖ ये शेयर बाजार मूल्य या उससे ज्यादा कीमत पर खरीदे जाते हैं।
- ❖ अधिसूचना के अनुसार कंपनी निदेशक मंडल की बायबैक के लिये मंजूरी मिलने और इस पेशकश को स्वीकार करने वाले शेयरधारकों को भुगतान मिलने की तिथि को बायबैक अवधि के तौर पर परिभाषित किया गया है।

बीमा नियामक क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच समझौता

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और अमरीका के संघीय बीमा कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।

प्रभाव:

- समझौता ज्ञापन प्रत्येक प्राधिकार के संक्षिप्त विवरण और अन्य विधि सम्मत जिम्मेदारियों के संबंध में सूचना और अनुसंधान सहायता का आदान-प्रदान करने सहित सहयोग और समन्वय के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगा।
- समझौते के अंतर्गत दोनों देश विभिन्न नियामक कार्यों पर अपने अनुभवों को बांटेंगे और प्रशिक्षण गतिविधियों सहित परस्पर सहायता प्रदान करेंगे।

पृष्ठभूमि:

- भारत में बीमा और पुर्नबीमा व्यवसाय को नियंत्रित करने, उसे बढ़ावा देने और उसकी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कानून, 1999 के अंतर्गत आईआरडीएआई का गठन किया गया था।
- इसी प्रकार से अमेरिका में संघीय बीमा कार्यालय (एफआईओ) है, जिसे बीमा क्षेत्र के सभी पहलुओं की निगरानी करने और अंतर्राष्ट्रीय बीमा के मितव्ययी पहलुओं पर अमरीका का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है।
- भारत और अमरीका के एक-दूसरे के साथ मजबूत व्यावसायिक संबंध हैं और दोनों देश विभिन्न राजनीतिक और आधिकारिक स्तरों पर नियमित बातचीत करते रहते हैं।
- दोनों देशों के बीच विभिन्न बहुक्षेत्रीय मुद्दों पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए समय-समय पर विभिन्न संस्थागत तंत्रों को बनाया गया है।
- अमेरिका का भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में एक प्रमुख योगदान है और अनेक बीमा कंपनियों ने अमेरिका की बीमा कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किया है।
- विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के साथ भारतीय बीमा क्षेत्र विशेषकर अमेरिका की बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की आगे भी संभावना है।
- अतः आईआरडीएआई और एफआईओ, अमरीका के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन दोनों देशों के लिए काफी संभावनाएं रखता है।

ब्रिक्स इंटरबैंक कोऑपरेशन

स्थापना	2010
उद्देश्य	सदस्य देशों के मध्य मजबूत अर्थव्यवस्था और निवेश सहयोग की भावना को बढ़ावा देना।

कार्य	बहुआयामी क्षेत्रों में सदस्य देशों के मध्य विकास बैंक के रूप में उपस्थित होकर साझा प्लेटफॉर्म प्रदान करना।
उपलब्धि	स्थापना के 7 वर्ष के अंदर ही इस तंत्र ने 10 से ज्यादा समझौतों पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया और 5 कार्यशील समूहों को सहयोग भी प्रदान कर रहा है।

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स इंटरबैंक कोऑपरेशन मेकेनिज्म के तहत भारत के आयात-निर्यात बैंक (एग्जिम बैंक) द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एंड ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर कोलाब्रेटिव रिसर्च के लिए एमओयू के लिए सहमति ज्ञापन (एमओयू) को पूर्वव्यापी मंजूरी दी है।
- इसके सहयोगी सदस्य बैंकों में नेशनल डे डेशनवोल्विमेंटो इकोनॉमिको ई सोशल (बीएनडीईएस, ब्राजील), चाइना डेवलपमेंट बैंक (सीडीबी), स्टेट कोऑपरेशन बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड फॉरेन इकनॉमिक अफेयर्स (वंशेकोने बैंक, रूस) और डेवलपमेंट बैंक ऑफ सदरन अफ्रीका (डीबीएसए) शामिल हैं।

पृष्ठभूमि:

- ब्रिक्स नेताओं द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था पर चीन में हस्ताक्षरित शीमेन घोषणा-पत्र के तहत डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के महत्व को उजागर किया गया था।
- उसी संदर्भ में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर एंड ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पर कोलाब्रेटिव रिसर्च के लिए सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आरबीआई द्वारा फेडरल बैंक पर जुर्माना

- भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों की अनदेखी के लिए फेडरल बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
- रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक पर यह जुर्माना बड़े कर्ज लेने वाले के बारे में रिपोर्ट करने में चूक और ग्राहकों को मुआवजे का भुगतान नहीं करने और अन्य उल्लंघनों के लिए लगाया गया है।

फेडरल बैंक पर जुर्माना क्यों लगा?

- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, फेडरल बैंक ने बड़े कर्ज को लेकर केन्द्रीय डिपॉजिटरी पर रिपोर्टिंग संबंधी नियमों का अनुपालन नहीं किया है।
- इसके अलावा फेडरल बैंक जोखिम आधारित निगरानी आकलन के संबंध में रिजर्व बैंक को रिपोर्ट नहीं कर पाया है।

- साथ ही बैंक ने एटीएम संबंधित शिकायतों का निपटारा करने में होने वाली देरी के लिए दिए जाने वाला जुर्माना भी नहीं दिया है।
- इसके अलावा बैंक केवाईसी और मनी लांड्रिंग रोकने के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने में असफल रहा है।

इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केन्द्रीय निदेशक मंडल की केंद्र सरकार के साथ बैठक में केन्द्रीय बैंक के इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय लिया गया है।
- निदेशक मंडल में इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने, समिति के सदस्यों और समिति के कार्य क्षेत्र पर सरकार तथा आरबीआई दोनों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया है।

रिजर्व बैंक का फैसला

- आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्क के प्रावधानों में कुछ संशोधन करने पर सहमत हुआ है ताकि कुछ सरकारी बैंकों को इसके दायरे से बाहर निकाला जा सके।
- वर्तमान समय में 11 सरकारी बैंक पीसीए के दायरे में हैं।
- इसके लिए अलग से समिति गठित नहीं होगी बल्कि आरबीआई की वित्तीय निगरानी से जुड़ा एक बोर्ड इस बारे में विचार करेगा।
- पीसीए में शामिल बैंक नए कर्ज नहीं दे सकते और नई ब्रांच नहीं खोल सकते।
- पीसीए क्या होता है: जब किसी बैंक के पास जोखिम का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती तथा आय या मुनाफा नहीं हो रहा या एनपीए बढ़ रहा है तो उस बैंक को पीसीए श्रेणी में डाल दिया जाता है।

प्रमुख तथ्य :

- बैठक में जिस विशेषज्ञ समिति के गठन का फैसला किया गया है वह इस कोष के उचित स्तर के बारे में अपनी सिफारिश देगी।
- बैठक में बोर्ड ने आरबीआई को एमएसएमई के जोखिम में फंसे संस्थानों के पुनर्गठन स्कीम पर भी विचार करने के लिए कहा है।
- इसके तहत आरबीआई सिर्फ 25 करोड़ रुपए के ऋण पर भी विचार करेगा।
- प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत आए बैंकों के मामले का

केन्द्रीय बैंक का फाइनेंशियल सुपर विजन बोर्ड परीक्षण करेगा।

- आरबीआई बोर्ड में कुल 18 सदस्य हैं जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल के अतिरिक्त उनके चार डिप्टी गवर्नर भी शामिल हैं।
- उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर के अलावा किसी भी डिप्टी गवर्नर को मतदान करने का अधिकार नहीं है।
- बोर्ड में दो सरकारी अधिकारी और सरकार द्वारा मनोनीत सात स्वतंत्र निदेशक हैं।

‘आईडीएफसी फर्स्ट’ बैंक

- आईडीएफसी बैंक ने अपना नाम बदलकर ‘आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड’ करने का प्रस्ताव किया है।
- बैंक अपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी कैपिटल फर्स्ट को खुद के साथ मिलाने की प्रक्रिया में है।
- बैंक का नाम बदलकर ‘आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड’ करने का प्रस्ताव है। बैंक ने नाम बदलने का प्रस्ताव आरबीआई को भेजा है।
- अगर आरबीआई की मंजूरी मिल जाती है तो बैंक का नाम बदलकर ‘आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड’ हो जाएगा।

नाम बदलने के लिए मंजूरी:

- नाम बदलने के लिए इसके बाद विधायी एवं नियामकीय प्राधिकरणों, कंपनियों के रजिस्ट्रार, शेयरधारकों तथा अन्य संबंधित पक्षों की मंजूरी की भी जरूरत होगी।

ग्राहकों पर प्रभाव :

- ऐसे में बैंक ग्राहकों पर ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि बैंक खुद चेकबुक बदल देता है।
- साथ ही, ग्राहकों को पासबुक, चेकबुक बदलवाने के लिए ज्यादा समय दिया जाएगा।
- बैंक इसकी जानकारी एसएमएस, ईमेल और फोन के जरिए देगा।

आईडीएफसी बैंक:

- आईडीएफसी बैंक, एक भारतीय बैंकिंग कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई है।
- यह एक एकीकृत आधारभूत संरचना वित्त (आईडीएफसी) का हिस्सा है।
- बैंक ने 1 अक्टूबर 2015 से परिचालन शुरू किया। आईडीएफसी को जुलाई 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ।
- 6 नवंबर 2015 को आईडीएफसी बैंक बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हुआ।

‘पैसा’ पोर्टल

- केंद्र सरकार ने 26 नवम्बर 2018 को छोटे कारोबारियों को सस्ता लोन और ब्याज दर में छूट के लिए ‘पैसा’ पोर्टल का शुभारंभ किया।
- यह पोर्टल केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है।

‘पैसा’ पोर्टल के विषय में

- यह पोर्टल दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत लाभार्थियों को बैंक लोन पर ब्याज अनुदान की प्रोसेसिंग के लिए एक केंद्रीयकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है।
- इस वेब प्लेटफॉर्म को इलाहाबाद बैंक ने तैयार किया है। इलाहाबाद बैंक को इसका नोडल बैंक बनाया गया है।
- इस पोर्टल के जरिए योजना के लाभार्थी सीधे सरकार से जुड़ सकेंगे और सेवाओं की आपूर्ति में पारदर्शिता और कुशलता आएगी।
- इससे छोटे कारोबारियों को समय पर मदद मिल सकेगी।
- वर्ष 2018 के अंत तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इससे जुड़ जाएंगी।
- इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को भी इससे जोड़ा जाएगा।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 23 सितम्बर 2013 को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की जगह की शुरुआत की गई।
- इस मिशन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लाभोन्मुखी स्वरोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।
- इसके अलावा मिशन के तहत क्रेडिट तक आसान पहुंच सुनिश्चित करके स्व-रोजगार स्थापित करने में उनकी मदद भी की जाएगी।
- मिशन का लक्ष्य शहरी बेघर हेतु आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना है।
- मिशन शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका से संबंधित समस्याओं पर भी ध्यान देगा।
- सरकार ने शहरी गरीबी निवारण के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में देश के लगभग सभी स्थानीय निकायों को शामिल करने का फैसला किया है।

असम में बाढ़ व भू-क्षरण हेतु ऋण

- केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 13 दिसंबर 2018 को असम में बाढ़ और भू-क्षरण में कमी लाने के लिए 60 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया।

निवेश कार्यक्रम

- ऋण की दूसरी किस्त असम एकीकृत बाढ़ एवं नदी तट भू-क्षरण जोखिम प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के लिए एडीबी बोर्ड द्वारा अक्टूबर 2010 में स्वीकृत (120 मिलियन डॉलर) कई किस्तों में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सुविधा (एमएफएफ) का भाग है।

ऋण की अवधि

- इस ऋण की अवधि 20 वर्ष होगी, जिसमें 5 वर्ष की रियायत अवधि शामिल होगी।

कार्यक्रम के अंतर्गत

- कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना-2 के तहत ब्रह्मपुत्र नदी से सटे पलासबारी-गुमी, काजीरंगा और डिब्रूगढ़ के 3 उप-परियोजना क्षेत्रों में संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें नदी तट के 20 किलोमीटर क्षेत्र में संरक्षण कार्य और बाढ़ तटबंधों के 13 किलोमीटर क्षेत्र में होने वाले कार्य शामिल हैं।

20रु. के नए नोट

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जल्द ही 20 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा की।
- पुरानी सीरीज में जारी नोट पहले की तरह ही चलते रहेंगे।
- आरबीआई पहले ही 10, 50, 100 और 500 रुपये मूल्य के नये नोट जारी कर चुका है।
- इसके अलावा 200 और 2,000 रुपये के नोट भी जारी किये गये हैं।
- 20 रुपए का यह नया नोट नोटबंदी के बाद जारी होने वाला 7वां नोट होगा।

100 रुपया का सिक्का भी हुआ लाँच

- प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में उनके जन्मदिन पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया।
- इस सिक्के पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर है।

बीस रुपये का नया नोट

- ❖ बीस रुपये का यह नया नोट महात्मा गांधी (नयी) सीरीज में जारी होगा।
- ❖ यह पहले जारी किये गये नोटों से आकार और डिजाइन में अलग होगा।
- ❖ इन नए नोट के नंबर पैनल में अंग्रेजी का अक्षर 'एस' होगा। नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे।
- ❖ 20 रुपये के नए नोट पर यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर के रूप में प्रचलित महाराष्ट्र की अजंता की गुफाओं का फोटो होगा।
- ❖ नया नोट पुराने नोट के मुकाबले करीब 20 फीसदी छोटा होगा।
- ❖ 20 रुपये का नया नोट आधुनिक सुरक्षा फीचर्स के साथ तैयार किया गया है।

पृष्ठभूमि
<ul style="list-style-type: none"> ● मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए थे। तब से लेकर अब तक आरबीआई महात्मा गांधी सीरीज के कई नए नोट जारी कर चुकी है। ● ये सभी नोट आकार और रंग में पुराने नोटों से बिल्कुल अलग हैं। ● इसके अलावा सरकार ने कई पुराने सिक्कों को भी बदल दिया है और नए सिक्कों को बाजार में लॉन्च किया है।

2ए लोक वित्त/बजट

राज्यों के राजकोषीय घाटे में सुधार के संकेत

- ❖ देश के 29 राज्यों की तरफ से इस वर्ष पेश किए गए बजट का समेकित आकार केंद्रीय बजट की तुलना में 37 फीसदी अधिक है।
- ❖ वित्त वर्ष 2018-19 के लिए केंद्र के 24.42 लाख करोड़ रुपये के बजट की तुलना में राज्यों के बजट का आकार करीब 33.59 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- ❖ महज सात वर्ष पहले 2011-12 में केंद्रीय बजट का आकार राज्यों के बजट से काफी अधिक था। लेकिन उसके बाद से राज्यों के बजट में बढ़ोत्तरी होती रही।
- ❖ पिछले वर्ष राज्यों के बजट का आकार 36 फीसदी अधिक था।
- ❖ पिछले 7 वित्त वर्षों में राज्यों के बजट में 161 फीसदी की जबरदस्त उछाल आई है।
- ❖ हालांकि 2018-19 के राज्यों के बजट बताते हैं कि राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर स्थिति बेहतर हुई है।

- ❖ इन 29 राज्यों ने सम्मिलित राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.9 फीसदी रहने का अनुमान रखा है।
- ❖ विशेष दर्जे वाले राज्यों ने भी केवल 3.4 फीसदी रिकवरी का ही लक्ष्य रखा है जबकि सामान्य राज्यों ने 2.6 फीसदी का बजट घाटा रहने की बात कही है।

राज्यों एवं केंद्र का सम्मिलित राजकोषीय घाटा

- ❖ राज्यों एवं केंद्र का सम्मिलित राजकोषीय घाटा वर्ष 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.7 फीसदी तक पहुंच गया और अगले 2 वर्षों में यह 7 फीसदी भी हो गया।
- ❖ इसकी वजह यह थी कि इस दौरान केंद्र का घाटा कम होने के बावजूद राज्यों का बजट घाटा बढ़ा था।
- ❖ केंद्र एवं राज्यों दोनों के राजकोषीय घाटे में अब गिरावट के संकेत दिख रहे हैं।
- ❖ पहले ही कुल सरकारी घाटा 6.6 फीसदी पर आ चुका है और मौजूदा वित्त वर्ष में इसके 5.9 फीसदी पर आ जाने की संभावना है।

अध्ययन क्या कहते हैं?

- ❖ आरबीआई अध्ययन से इस तरह की कई बजटीय प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं, लेकिन पिछले वर्ष और मौजूदा वर्ष के राज्यों के बजट से 3 प्रमुख निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
- ❖ पहला, वर्ष 2017-18 में राज्यों का कुल सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.1 फीसदी रहा जो लगातार तीसरे वर्ष 3 फीसदी के विवेकपूर्ण स्तर से अधिक था।
- ❖ विशेष दर्जे वाले राज्यों (पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) का राजकोषीय घाटा 6.6 फीसदी पर रहना चिंता का विषय होना चाहिए।
- ❖ राज्यों का कुल राजकोषीय घाटा इसी के चलते 3 फीसदी के विवेकपूर्ण स्तर से ऊपर पहुंचा है।
- ❖ दूसरी तरफ सामान्य दर्जे वाले राज्य 2.9 फीसदी के स्तर पर ही रहे हैं।

रियायती वित्त योजना

- ❖ प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का समर्थन करने के लिए रियायती वित्त पोषण योजना (CFS) के विस्तार को मंजूरी दे दी है।
- ❖ सीएफसी के तहत, 2015-16 से विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का समर्थन कर रहा है।
- ❖ योजना की प्रासंगिकता को देखते हुए 2018 से 2023 तक

योजना को 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

योजना का प्रभाव

- इससे पहले, भारतीय संस्थाएं विदेशों में बड़ी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में सक्षम नहीं थीं क्योंकि वित्त पोषण की लागत उनके लिए बहुत अधिक थी।
- चीन, जापान, यूरोप और अमेरिका जैसे अन्य देशों के बोलीदाता बेहतर शर्तों पर क्रेडिट प्रदान करने में सक्षम थे, यानि, कम ब्याज दर और लंबे कार्यकाल जो उन देशों के बोलीदाताओं के लाभ के लिए काम करते हैं।
- साथ ही, भारतीय संस्थाओं द्वारा निष्पादित भारत में रणनीतिक हित की परियोजनाओं के साथ, सीएफएस भारत को सामग्री और मशीनरी की मांग और भारत के लिए बहुत सम्भावना वाली पर्याप्त पिछड़ा जुड़ाव प्रेरित नौकरियां उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है।

रियायती वित्त पोषण योजना

- इस योजना में भारत सरकार को किसी भी विदेशी सरकार को रियायती वित्त प्रदान करने के लिए एक्जिम बैंक को 2% की काउंटर गारंटी और ब्याज बारम्बारता प्रदान करने की योजना है या विदेशी सरकार किसी भी भारतीय इकाई के स्वामित्व वाली या नियंत्रित इकाई, किसी परियोजना के निष्पादन के लिए अनुबंध प्राप्त करने में सफल होती है।
- इस योजना के तहत, एक्जिम बैंक LIBOR (छह महीने के औसत) \$ 100 BPS से अधिक की दर से क्रेडिट बढ़ाता है। साथ ही विदेशी सरकार द्वारा ऋण की अदायगी की गारंटी लेता है।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य

- इस योजना के तहत, मिनीस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल अफयर्स भारत के रणनीतिक हित को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट परियोजनाओं का चयन करता है और इसे आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) को भेजता है।
- उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी इस समिति के सदस्य होते हैं।
- एक बार समिति द्वारा अनुमोदित होने के बाद, आर्थिक मामलों की समिति सीएफसी के तहत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक्जिम बैंक को मंजूरी देने के लिए एक औपचारिक पत्र जारी करता है।

23 वस्तुओं व सेवाओं पर दर में कमी

- वस्तु एवं सेवा कर परिषद् (जीएसटी काउंसिल) ने 22 दिसम्बर 2018 को आम लोगों को राहत देते हुए टीवी स्क्रीन,

सिनेमा के टिकट और पावर बैंक सहित विभिन्न प्रकार की 23 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी की घोषणा की।

- कर दर में संशोधन का यह निर्णय 01 जनवरी 2019 से प्रभावी होगा।
- वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई बैठक में जीएसटी दरों से संबंधित कई अहम फैसले लिए गए हैं।
- विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम करने से सालाना राजस्व में 5,500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा।
- परिषद् ने जीएसटी की 28 % की सर्वोच्च कर के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से 7 को निम्न दर वाले स्लैब में डाल दिया है।
- इसके साथ ही 28 % के स्लैब में अब केवल 28 वस्तुएं बची हैं।
- सिनेमा के 100 रुपये तक के टिकटों पर अब 18 % की बजाय 12 % की दर से और 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर 28 % की बजाय 18 फीसदी की जीएसटी लगेगा।
- इसी तरह 32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी स्क्रीन पर अब 28 % की बजाय 18 % की दर से जीएसटी लगेगा।

जीएसटी दरों में नवीनतम संशोधन

28 % से 18 %	<ul style="list-style-type: none"> ● टीवी-मॉनिटर स्क्रीन (32 इंच तक के) वाहनों की पुली, ट्रांसमिशन सॉफ्ट और क्रैंक, गियर बॉक्स टिसोल किए गए पुराने एवं रिट्रीडेड टायर, लिथियम आयन की बैटरियों वाले पावर बैंक, डिजिटल कैमरे, वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, वीडियो गेम कंसोल
28 % से 5 %	<ul style="list-style-type: none"> ● दिव्यांगजनों के लिए कैरेज के पार्ट्स एवं एसेसरीज
18 % से 12 %	<ul style="list-style-type: none"> ● कॉर्क, प्राकृतिक कॉर्क की वस्तुएं, एगजोरमेरेटिड कॉर्क
18 % से 5 %	<ul style="list-style-type: none"> ● मार्बल मलबा
12 % से 5 %	<ul style="list-style-type: none"> ● प्राकृतिक कॉर्क, वॉकिंग स्टिक, फ्लाई एश ब्लॉक
12 % से शून्य	<ul style="list-style-type: none"> ● म्यूजिक (बुक)
5 % से शून्य	<ul style="list-style-type: none"> ● स्टीम फ्रोजन सब्जियाँ, डिब्बा बंद, सब्जियाँ, संरक्षित सब्जियाँ और तुरंत इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियाँ

जीएसटी परिषद्

- ❖ वस्तु एवं सेवा कर परिषद् (जीएसटी काउंसिल) का गठन 15 सितंबर 2016 को किया गया था। यह परिषद् देश में जीएसटी कर निर्धारण से सम्बंधित प्रमुख नीति-निर्माता संगठन है।
- ❖ यह परिषद् जीएसटी कर दर, कर छूट, कर नियम तथा कर डेडलाइन इत्यादि का निर्धारण करती है।
- ❖ जीएसटी परिषद् के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। इसके सदस्य के रूप में वित्त राज्य मंत्री के साथ साथ राज्यों व दो केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि शामिल हैं।
- ❖ केंद्र का इसमें 1/3 मत है जबकि राज्यों का इसमें 2/3 दखल रखा गया है।
- ❖ जीएसटी परिषद् में किसी प्रस्ताव के स्वीकृत होने के लिए 3/4 बहुमत जरूरी है।
- ❖ जीएसटी परिषद् की अधिसूचना जारी होने के बाद से परिषद् की पहली बैठक 22-23 सितंबर 2016 को हुई।

विकास एवं संवृद्धि

भारत छठी अर्थव्यवस्था

- ❖ आईएमएफ के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) के मुताबिक फ्रांस को पीछे करके **भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** बन गया है।
- ❖ इंडियन इकॉनमी का आकार अब **2.6 ट्रिलियन डॉलर** हो गया है, जो 2.5 ट्रिलियन डॉलर के मानक से ऊपर है।
- ❖ माना जाता रहा है कि 2.5 ट्रिलियन डॉलर वाला बिंदु विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा बनने की कोशिश में लगी अर्थव्यवस्थाओं से अलग करता है।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- ❖ विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब अमीर देशों की कतार में शामिल होने की दिशा में अग्रसर है।
- ❖ इस तथ्य पर भी गौर होना चाहिए कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की कुल आबादी भारत की कुल आबादी का पांचवां हिस्सा भी नहीं है।
- ❖ इन तीनों देशों में प्रति व्यक्ति आय सालाना 42,500 हजार डॉलर से 46,500 डॉलर के बीच बैठती है।
- ❖ इनकी तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय 2,000 हजार डॉलर से भी कम है, यानी 1964 डॉलर।
- ❖ प्रति व्यक्ति आय का यह भारी अंतर बताता है कि खुशहाली और जीवन स्तर के हिसाब से हम इन तीनों देशों से दशकों पीछे हैं।

- ❖ हकीकत यह है कि भारत तो अमीर बनता जा रहा है, लेकिन भारत के लोग वहीं के वहीं हैं।
- ❖ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मोर्चों पर तमाम देशों से पीछे हैं। भ्रष्टाचार तो गहराई तक पैठ बनाए हुए है।
- ❖ मलेरिया जैसी बीमारी से निपटने में हम श्रीलंका से भी पिछड़ गए।
- ❖ पिछले वर्ष के वैश्विक भूख सूचकांक में 119 देशों में हमारा स्थान 100वां था।

रोजगार की कुंजी

- ❖ भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। यहाँ की 27 फीसदी जनसंख्या 15-29 साल के युवाओं की है।
- ❖ हालांकि शिक्षा और कौशल का स्तर ठीक नहीं रहने, पढ़ाई छोड़ने की ऊंची दर आदि वजहों से भारतीय युवाओं की रोजगार हासिल करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है।
- ❖ गतिविधियों के क्षेत्रवार वितरण में विषमता भी एक चुनौती है।
- ❖ विनिर्माण गतिविधियों का फैलाव कम होने के कारण ज्यादा आबादी वाले राज्यों में बड़ी संख्या में युवा आबादी के पास रोजगार का उचित साधन नहीं है यानी वे खेती या काफी कम पारिश्रमिक वाले काम से जुड़े हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- ❖ कम कौशल वाले कामकाज का विकल्प चुनने की बात इस तथ्य से भी जाहिर होती है कि ज्यादातर युवा शुरुआती दौर (15-17 साल) में कृषि क्षेत्र और उसके बाद निर्माण-विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ते हैं और बाद के (18-29 साल) वर्षों में व्यापार और मरम्मत/परिवहन क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं। हालांकि, इस सिलसिले में कृषि प्रमुख क्षेत्र बना रहता है।
- ❖ आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा यानी 18.4 फीसदी बेरोजगारों की शिक्षा का स्तर स्नातक या उससे ऊपर है, जबकि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवा मात्र 3 फीसदी (सबसे कम) है।
- ❖ युवाओं में रोजगार हासिल करने की क्षमता कम होने की वजह 15-29 साल के युवा वर्ग में अधिकांश (85 फीसदी) द्वारा सामान्य शिक्षा हासिल करना भी है।
- ❖ सिर्फ 12.6 फीसदी तकनीकी शिक्षा लेते हैं, जबकि वोकेशनल शिक्षा हासिल करने वालों का प्रतिशत महज 2.4 है।
- ❖ संगठित रोजगार को भी बढ़ाने की जरूरत है, जो फिलहाल कार्यबल का तकरीबन 8 फीसदी है।
- ❖ स्कूलों को अपने सिलेबस में छठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े कौशल की पढ़ाई को शामिल करना चाहिए।
- ❖ काम को लेकर स्कूलों में बदलाव की इस प्रक्रिया के लिए युवाओं को सामान्य शिक्षा के बजाय व्यावसायिक या

- तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
- ☉ साथ ही, व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा के लिए फीस के मामले में भी मदद मुहैया कराने की दरकार है, क्योंकि ऐसे ज्यादातर संस्थान निजी क्षेत्र में रहने वाले युवाओं की पहुँच से बाहर है।
 - ☉ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के जरिए ज्ञान विकसित कौशल संबंधी कार्यस्थल पर कौशल के विकास के लिए जरूरी है।
 - ☉ कुछ देशों में स्कूल में पढ़ाई को काम आधारित जानकारी से जोड़ा गया है।
 - ☉ ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, नीदरलैंड, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड में इसी तरह की दोहरी प्रणाली है।
 - ☉ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केरल जैसे राज्यों ने माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की है। इन राज्यों में इस पहल को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है।
 - ☉ मानव संसाधन विकास मंत्रालय अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में 1,000 घंटे का 'प्रोफेशनल' कोर्स भी जोड़ने की तैयारी में है।
 - ☉ बीए, बीएससी और बीकॉम के पाठ्यक्रम में सॉफ्ट स्किल, सूचना प्रौद्योगिकी और संकाय संबंधित प्रोफेशनल कौशल को जोड़ने का प्रस्ताव है, ऐसे कोर्स को रोजगार हासिल करने के ज्यादा से ज्यादा अनुकूल बनाये जा सकने की जरूरत है।
 - ☉ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के हिसाब से बदलाव की जरूरत है, जबकि स्कूलों में व्यावसायिक कोर्स को एनएसक्यूएफ के साथ जोड़ना जरूरी है।
 - ☉ अटल टिकरिंग लैब छात्रों को इनोवेटिव सोच विकसित करने और हस्तांतरणीय व्यावहारिक कौशल हासिल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
 - ☉ इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह उच्च शिक्षा (अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्स) को उद्योग जगत और मौजूदा राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की मदद से इंटरशिप से जोड़ना जरूरी है।
 - ☉ उद्यमिता रोजगार के मौके पैदा करने और नवाचार को बढ़ाने देने का अहम कारक है, जिससे विकास को भी रफ्तार मिलती है।
 - ☉ स्टार्ट-अप इंडिया, ईज ऑफ़ डुइंग बिजनेस (कारोबार करने की खातिर सहूलियतें), स्टैंड-अप इंडिया, मुद्रा और अटल इनोवेशन मिशन जैसे कार्यक्रमों के जरिए कर्ज की उपलब्धता, मार्केट से संपर्क, जगह और नेटवर्क आदि चीजें उपलब्ध कराई जा रही है, जो पहले चुनौती की तरह थी।
 - ☉ शिक्षा, ई-कॉमर्स/एम-कॉमर्स, वित्तीय सेवाओं, आईटीईएस के क्षेत्र में देश में तकनीक आधारित स्टार्ट-अप की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।
 - ☉ इस तरह से स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़े देश की तरह उभर रहा है।
 - ☉ ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में टेली-मेडिसिन सलाह को अमल में लाया गया है, जिससे स्वास्थ्य केन्द्रों में भीड़ को कम किया जा सकता है और खास तौर पर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में डॉक्टरों/विशेषज्ञों की कमी के मुद्दे से निपटा जा सकता है।
 - ☉ अटल इनोवेशन मिशन (एमआईएम) नीति आयोग के तत्वाधान में चलने वाला भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसका मकसद देशभर में इनोवेशन और उद्यमिता का इकोसिस्टम तैयार करना है, ताकि हमारे देश में युवा सिर्फ रोजगार मांगने वाले ना रहें, बल्कि रोजगार पैदा करने भी बनें।
 - ☉ इस मिशन के दायरे में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के स्कूलों, विश्वविद्यालयों, एमएसएमई और उद्योग जगत को शामिल किया गया है।
 - ☉ अटल इनोवेटिव मिशन छात्र-छात्राओं के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल टिकरिंग लैब, स्टार्ट-अप की मदद के लिए अटल इनक्यूबेटर स्थापित कर रहा है और उसने अटल नया भारत चुनौती कार्यक्रम भी शुरू किया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक-आर्थिक असर वाले उत्पाद इनोवेशन और देश में नए रोजगार के सृजन की राह आसान करेगा।
 - ☉ अटल इनोवेटिव मिशन के तहत जल्द छोटा कारोबार मिशन और शोध संबंधी पहल की शुरुआत की जाएगी, जिससे एमएसएमई और लघु कारोबार वाले उद्योग को नए रोजगार के मामले में इनोवेशन करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
 - ☉ साथ ही, निर्यात पर निर्भरता कम होगी और तकनीक से संबंधित आयात में बढ़ोतरी होगी।
 - ☉ अटल इनोवेशन मिशन का मकसद उभरती तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए बिजनेस मॉडल के सहारे शहरी और टीयर-2, टीयर-3 शहरों में रोजगार पैदा करने की गुंजाइश बनाना है।

‘मोबिलाइज योर सिटी’

- ☉ भारत और फ्रांस ने 06 सितंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ‘मोबिलाइज योर सिटी (एमवाईसी)’ को लागू करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- ☉ इस समझौते पर हस्ताक्षर आवास तथा शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भारत में फ्रांस के राजदूत एलेक्जेंडर जिग्लेर (Alexandre Zigler) की उपस्थिति में किए गए।

- इस समझौते पर हस्ताक्षर भारत की तरफ से ओएसडी तथा आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव मुकुन्द कुमार सिन्हा और फ्रेंकेस डी-डेवल्पमेंट (एएफडी) की ओर से क्षेत्रीय निदेशक निकोल्स फोर्निज ने हस्ताक्षर किए।

मोबिलाइज योर सिटी (एमवाईसी) क्या है?

- यह फ्रांस और जर्मनी की सरकारों द्वारा समर्थित है।
- इसे दिसंबर 2015 में 21वीं कांफ्रेंस ऑफ पार्टिज (सीओपी 21) में लांच किया गया था।
- वर्ष 2015 में एएफडी के प्रस्ताव के आधार पर यूरोपीय संघ ने भारत में मोबिलाइज योर सिटी कार्यक्रम में निवेश और तकनीकी सहायता के लिए 3.5 मिलियन यूरो की राशि देने पर सहमति व्यक्त की है।

उद्देश्य :

- एमवाईसी का उद्देश्य 3 पायलट शहर-नागपुर, कोच्चि तथा अहमदाबाद में शहरी परिवहन से संबंधित ग्रीन हाऊस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन कम करने में समर्थन देना और राष्ट्रीय स्तर पर सतत परिवहन नीति में सुधार के लिए भारत को मदद देना है।

प्रस्तावित सहायता हैं :

- टिकाऊ शहरी परिवहन परियोजनाओं के नियोजन और क्रियान्वयन को समर्थन देना।
- शहरी आवाजाही के नियमन संचालन और नियोजन हेतु संस्थागत क्षमता को मजबूत बनाने में समर्थन करना।
- श्रेष्ठ व्यवहारों के बारे में देश के अन्य शहरों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करना।
- परियोजना गतिविधियों के विवरण एएफडी द्वारा आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय और 3 सहयोगी शहरों की सलाह से तैयार किया जाएगा।
- इसमें स्मार्ट सिटी के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी), नगर महापालिकाएं और परिवहन प्राधिकरण तथा परिवहन संबंधी एसपीवी जैसे संस्थान शामिल हैं।

जी-20 मंत्रीस्तरीय बैठक

- G-20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रीस्तरीय बैठक का आयोजन अर्जेटीना के सालता में 23-24 अगस्त, 2018 को किया गया।
- इस बैठक की थीम “निष्पक्ष व धारणीय विकास के लिए आम सहमति निर्मित करना” है।
- इस बैठक के 3 मुख्य बिंदु भविष्य कार्य, विकास के अधोसंरचना और खाद्य सुरक्षा थे।

- इस वर्ष G-20 शिखर सम्मेलन 2018 अंत में अर्जेटीना में ही संपन्न हुआ।

जी-20 के बारे में

- जी-20 का मतलब ग्रुप 20 से है। ये दुनिया के 20 ताकतवर देशों और यूरोपीय यूनियन (ईयू) देशों का समूह है।
- इसकी स्थापना 1999 में 7 देशों अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों ने की थी।
- इसमें आर्थिक मुद्दों तथा विकास सम्बन्धी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाता है।
- G20 में 19 देश तथा यूरोपियन संघ (EU) शामिल है, यह कुल मिलाकर विश्व की 85% जीडीपी, 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व की 65% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- G20 के सदस्य ऑस्ट्रेलिया, अर्जेटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, भारत, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, रूस, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ है।
- इसकी शुरुआत 1999 में दक्षिण-पूर्व एशिया के वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों व केन्द्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के रूप में हुई थी।
- इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सुदृढ़ता के संदर्भ में नीति निर्माण के लिए की गयी थी।
- वर्ष 2008 में G20 नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित किया गया। इससे पहले फोरम में केवल वित्त मंत्री और केन्द्रीय बैंक के गवर्नर ही हिस्सा लेते थे।
- वैश्विक वित्तीय संकट का सामना करने में इस फोरम की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- इस बैठक में टेक्नोलॉजी के विकास के लाभ को अधिकतम करने तथा चुनौतियों के सामना करने के लिए कई बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया।
- इसमें डिजिटल सरकार, डिजिटल अधोसंरचना तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा की गयी।
- इस बैठक में 33 प्रतिनिधिमंडलों, मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों व विभिन्न देशों व संस्थाओं से आमंत्रित अन्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
- इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रसारण तथा कानून व न्याय मंत्री ने किया।

डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यदल

- डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यदल (DETF) की स्थापना G20 की 2017 की बैठक में हुई थी जो जर्मनी में आयोजित की गई थी।
- G-20 की 2015 की बैठक तुर्की के अंटाल्यान नगर में हुई थी जिसमें आधुनिक युग को डिजिटल ने चीन के Hangzhou में सम्पन्न बैठक में लिया था।

डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है?

- उत्पादन में ज्ञान एवं सूचना को कारक के रूप में प्रयोग करना।
- सूचना तंत्रों को कार्रवाई के मंच के रूप में प्रयोग करना।
- सूचना एवं संचार तकनीक क्षेत्र की सहायता से आर्थिक वृद्धि प्राप्त करना।

अटल रैंकिंग (एआरआईआईए) लाँच

- उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार की संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने आज यहां एआईसीटीई में नवाचार उपलब्धियों पर नवाचार प्रकोष्ठ एवं संस्थानों की अटल रैंकिंग (एआरआईआईए) को लाँच किया।
- नवाचार प्रकोष्ठ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है और उसे एआईसीटीई परिसर में स्थापित किया गया है।
- इसका उद्देश्य देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार संस्कृति को व्यवस्थित तरीके से प्रोत्साहन देना है।
- इसके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित करना होगा कि वे अपने परिसरों में नवाचार क्लब बनाएं।
- नवाचार के बिना कोई भी देश सतत विकास और समृद्धि हासिल नहीं कर सकता है।
- 21वीं शताब्दी नवाचार की शताब्दी है और प्रधानमंत्री ने 2010-2020 के दशक को 'नवाचार दशक' कहा है।
- भारत विश्व मंच पर नवाचार के संदर्भ में 5 वर्ष पहले 86वें स्थान पर था, जो इस वर्ष 57वें स्थान पर पहुंच गया है।
- नवाचार का मतलब मौलिक विचार होता है और सभी लोग नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए अपने-अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय नवाचार प्रकोष्ठ

- नवाचार प्रकोष्ठ के प्रमुख कार्यों में युवा छात्रों को प्रोत्साहित, प्रेरित और शिक्षित करना है।
- इसके तहत युवा छात्रों को नए विचारों से परिचित कराया जाएगा और उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार क्लबों के नेटवर्क के जरिए उनमें नवाचार के प्रति रुझान पैदा किया

जाएगा।

क्षमता विकास योजना

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने क्षमता विकास योजना को 2,250 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ 2017-18 से 2019-20 की अवधि तक जारी रखने को अपनी मंजूरी दे दी है।
- क्षमता विकास योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की केन्द्रीय योजना है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य :

- इस योजना का उद्देश्य नीति निर्माताओं तथा लोगों के लिए विश्वसनीय और समय पर सरकारी सांख्यिकी उपलब्ध कराने के लिए संरचनात्मक, तकनीकी और मानव संसाधन को मजबूत बनाना है।
- क्षमता विकास योजना के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), सांख्यिकीय वर्गीकरण, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कार्य करने, क्षमता सृजन तथा सांख्यिकी समन्वय को मजबूत बनाने और आईटी अवसंरचना में सुधार करने जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

पृष्ठभूमि :

- योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2017 में सामयिक श्रम बल सर्वेक्षण तथा पूरे देश के लिए (शहरी और ग्रामीण क्षेत्र) श्रम डाटा एकत्रीकरण कार्य लाँच किया गया।
- क्षमता विकास योजना के अंतर्गत 2 उप-योजनाएं हैं- यह है आर्थिक गणना और सांख्यिकीय मजबूती के लिए समर्थन (एसएसएस)।
- आर्थिक जनगणना के अंतर्गत समय-समय पर सभी गैर-कृषि प्रतिष्ठानों को सूचीबद्ध करने का काम किया जाता है जो विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने का आधार होता है।
- अंतिम (61) आर्थिक गणना जनवरी, 2013 से अप्रैल, 2014 तक की गई और अब भविष्य में सरकार का इरादा 3 वर्ष में एक बार सर्वेक्षण कराने का है।
- यह सर्वेक्षण है समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस), सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एसएसएसई) तथा शामिल नहीं किए गए क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एसयूएसई)।

भारत सतत विकास फ्रेमवर्क (2018-2022)

- नई दिल्ली में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक ने 2018-2022 के लिए भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क

(यूएनएसडीएफ) पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- 2018-2022 भारत की विकास गाथा में एक महत्वपूर्ण चरण होगा क्योंकि इसमें यूएनएसडीएफ जैसे साझेदारी माध्यम 2022 तक, जो भारत की स्वतंत्रता का 75वां साल भी होगा।
- नए भारत के निर्माण की गति को तेज करने की दिशा में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे और यह भारत ऐसा भारत होगा जो गरीबी से मुक्त होगा और सब के लिए बराबर होगा।
- यूएनएसडीएफ भारत की प्रमुख राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की उपलब्धि के समर्थन में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र देश टीम के बीच विकास सहयोगपूर्ण कार्यनीति को रेखांकित करता है।
- यूएनएसडीएफ की रचना सरकारी संस्थाओं, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों, अकादमिक सदस्यों और निजी क्षेत्र के परामर्श से अत्यधिक भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया के बाद की गई थी।
- इसके फोकस क्षेत्रों में गरीबी और शहरीकरण; स्वास्थ्य, पानी स्वच्छता; शिक्षा; पोषण, खाद्य सुरक्षा; जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, आपदा समुत्थानशीलता; कौशलीकरण, उद्यमिता, रोजगार सृजन, लैंगिक समानता और युवा विकास शामिल हैं।
- परिणामी क्षेत्रों में, संयुक्त राष्ट्र विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर, दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर यह भारत सरकार का समर्थन करेगा।
- यूएनएसडीएफ 2018-2022 के कार्यान्वयन के लिए कुल नियोजित बजट व्यय लगभग 11000 करोड़ रुपये है, जिसमें से 47 % को निजी क्षेत्र और सरकार सहित कई स्रोतों से कार्यान्वयन के माध्यम से जुटाने की योजना है।

‘स्टैट’

- स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतिम दिन 1 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में किफायती परिवहन की दिशा में सतत वैकल्पिक (स्टैट) पहल लॉन्च किया गया।
- कंपनियों के साथ पहल शुरू करने के साथ ही संभावित उद्यमियों से संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए ब्याज की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करेंगे और मोटर वाहन ईंधन में उपयोग के लिए बाजार में बायोगैस उपलब्ध कराएंगे।

लक्ष्य :

- देश में मौजूदा समय में सालाना लगभग 4.4 करोड़ टन सीएनजी का इस्तेमाल वाहन ईंधन के तौर पर होता है।
- इस योजना में सरकार लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये निवेश

करेगी और इससे लगभग 75,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

योजना के लाभ

- यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इस कदम से किफायती परिवहन ईंधन की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य में अपशिष्ट पदार्थों के निपटान में भी सहायता मिलेगी।
- इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में क्षमतावान कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- इन प्लांटों में तैयार होने वाली कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को सरकार खरीदेगी और उसका इस्तेमाल वाहनों के ईंधन के तौर पर करेगी।
- इस योजना के जरिए सरकार सस्ता वाहन ईंधन तो मुहैया कराएगी ही साथ में कृषि अवशेषों का सही इस्तेमाल होगा और पशु मल तथा शहरी कचरे का इस्तेमाल भी हो सकेगा।
- इससे किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक और स्रोत मिलेगा।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम समीक्षा समिति

- केन्द्र सरकार ने 30 सितंबर 2018 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम की समीक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम समीक्षा समिति का गठन किया है।
- सशक्त आर्थिक आधारभूत ढांचे की आवश्यकता के लिए संबंधित अधिनियम को समकालीन बनाने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा अधिनियम समीक्षा समिति का गठन किया है।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम वर्ष 2002 में पारित हुआ था, लेकिन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वर्ष 2009 में पूरी तरह से काम करना शुरू किया।
- गत 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है और आज भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है और इसके और प्रगति करने की आशा है।

समिति का गठन

- इसके लिये अधिनियम की समीक्षा के लिये कॉर्पोरेट मामलों के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।
- यह समिति अपनी पहली बैठक की तिथि से 3 महीने के भीतर अपना कार्य पूर्ण करेगी और रिपोर्ट देगी।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत की एक विनियामक संस्था है।
- इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि

बाजार उपभोक्ताओं के हित का साधन बनाया जा सके।

समीक्षा समिति के सदस्य

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्षों को इसका सदस्य बनाया गया है।
- कार्पोरेट मामलों के संयुक्त सचिव (प्रतिस्पर्धा) समिति के सदस्य सचिव होंगे।

समिति के संदर्भ की शर्तें
<ul style="list-style-type: none"> ● प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली का अध्ययन करना और इसमें विशेष तौर पर साख विरोधी कानून, विलय दिशा-निर्देश और सीमा व्यापार प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दे सम्मिलित हैं। ● प्रतिस्पर्धा अधिनियम के साथ परस्पर व्याप्त अन्य नियामक व्यवस्था व संस्थागत प्रक्रिया सरकारी नीतियों का अध्ययन करता है। ● भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग देश में प्रतिस्पर्धा के विकास और बाजार के मामलों को देखता है।

बिहार में शत प्रतिशत विद्युतीकरण

- बिहार ने अपने तय समय से दो महीने पहले ही पूरे राज्य में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है।
- प्रधानमंत्री सौभाग्य स्कीम के तहत बिहार ने शत प्रतिशत विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है।
- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सौभाग्य योजना की वेबसाइट पर 25 अक्टूबर 2018 को जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार के सभी एक करोड़ 39 लाख 63 हजार 909 घरों में बिजली पहुंच गई है।

विद्युतीकरण पूरा करने का लक्ष्य:

- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत बिहार में शत प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य 31 दिसंबर 2018 तक रखा था।
- बिजली विभाग ने तय समय से दो महीने पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया।
- सौभाग्य योजना के तहत बिहार में करीब 32 लाख ऐसे घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया था।

केन्द्र सरकार की रिपोर्ट:

- केन्द्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने अपने हर घर तक बिजली पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर ली।
- इसके साथ ही बिहार देश के 8 राज्यों में शामिल हो गया जहां शत-प्रतिशत घरों तक बिजली पहुंची है।

- ये आठ राज्य हैं बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पुदुचेरी। यहाँ शत-प्रतिशत घरों में बिजली पहुंच चुकी है।

सौभाग्य योजना के द्वारा आई तेजी:

- मुख्यमंत्री ने 25 सितंबर 2017 को 'हर घर बिजली योजना' की शुरुआत की थी।
- इसके तहत सौभाग्य योजना लागू हुई। केन्द्र सरकार ने बाद में बिहार मॉडल अपनाया।
- इस समय राज्य में बिजली की प्रतिदिन औसत खपत 4500 मेगावाट से अधिक है।

सौभाग्य योजना
<ul style="list-style-type: none"> ● केंद्र सरकार ने सितंबर 2017 में 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' (सौभाग्य) लांच किया था। ● इसका उद्देश्य 31 मार्च 2019 तक देश में सम्पूर्ण रूप से घरों के विद्युतीकरण लक्ष्य को हासिल करना था। ● इस योजना के लांच होने के बाद से राज्य के विद्युत विभागों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के सहयोग से 1.65 करोड़ घरों का विद्युतीकरण हुआ है। ● यह योजना केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का एक हिस्सा है। ● सौभाग्य एक ऐसी योजना है जिसमें 16,000 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा और इसमें से 25 % को इस परियोजना के लिए तैनात किए जाने वाले मानव संसाधन एवं उनके पारिश्रमिक पर खर्च किए जाने का अनुमान है।

पहले चरण में बिहार:

- पहले चरण में 28 दिसंबर 2017 को बिहार के सभी 39,073 गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी थी।
- इसके बाद युद्धस्तर पर काम करके मई 2018 तक सभी 1,06,249 टोलों में बिजली पहुंचायी गई।
- इसके बाद बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी पूरी तरह हर घर बिजली योजना के तहत सभी घरों को कनेक्शन देने के काम में जुट गयी।

गुजरात में पहला मेगा फूड पार्क

- केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने 29 अक्टूबर 2018 को सूरत में गुजरात के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया।
- मंत्रालय ने ऐसा ही दूसरा मेगा फूड पार्क मेहसाणा में बनाए जाने को मंजूरी दे दी है।

- सूरत जिले के मंगलौर तालुका के तहत शाह और वसरावी गांव में स्थित यह पार्क मेसर्स गुजरात एग्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।
- इस पार्क के बनने से सूरत के साथ ही नवसारी, तापी, नर्मदा और भरूच के पड़ोसी जिले के लोग भी लाभान्वित होंगे।

मेगा फूड पार्क
<ul style="list-style-type: none"> इसमें डेवलपर द्वारा बनाए गए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में 3,500 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता से युक्त कई चैंबरों वाला कोल्ड स्टोर, 5,000 मीट्रिक टन क्षमता वाला वेयर हाउस, सब्जियों और फलों के गूदे निकालने के लिए बड़ी पाइपलाइन, क्यूसी प्रयोगशाला और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी ऐसी ही कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।
<ul style="list-style-type: none"> खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों के लिए पार्क में एक प्रशासनिक भवन भी बनाया गया है।
<ul style="list-style-type: none"> इसके अलावा भरूच, पाद्रा (वडोदरा), वलसाड और नवसारी में खेतों के पास ही प्राथमिक स्तर पर प्रसंस्करण और भंडारण के लिए 4 स्थानीय केंद्र भी बनाए गए हैं।
<ul style="list-style-type: none"> मेगा फूड योजना के तहत, भारत सरकार प्रति मेगा फूड पार्क के लिए 50 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देती है।

उद्देश्य:

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में मेगा फूड पार्क योजना लागू की है।

मजबूत अर्थव्यवस्था :

- भारत को खाद्य क्षेत्र में एक मजबूत अर्थव्यवस्था तथा विश्व के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर खास जोर दिया है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के विशेष प्रयास कर रहा है ताकि इससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिले और यह किसानों की आय दोगुनी करने में बड़ा योगदान कर सके।

खाद्य प्रसंस्करण:

- मेगा फूड पार्क एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करता है।
- केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में सामान्य सुविधाएं और सक्षम बुनियादी

ढांचे का निर्माण किया जाता है और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों (पीपीसी) और संग्रह केंद्रों (सीसी) के रूप में कृषि के साथ प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण की सुविधा दी जाती है।

सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ने 2 नवंबर 2018 को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री द्वारा 12 महत्वापूर्ण घोषणाएं:

- इस पोर्टल के जरिए सिर्फ 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक के ऋणों को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा सकती है।
- जीएसटी पोर्टल के जरिए इस पोर्टल का एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ने सभी जीएसटी पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 2 % ब्याज सब्सिडी देने का घोषणा किया।
- शिपमेंट से पूर्व और शिपमेंट के बाद की अवधि में ऋण लेने वाले निर्यातकों के लिए प्रधानमंत्री ने ब्याज की छूट 3% से बढ़ाकर 5% करने की घोषणा की।
- पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को अब आवश्यक रूप से व्यापार प्राप्ति या ई-डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) पोर्टल में शामिल किया जायेगा।
- इस घोषणा में शामिल होने से उद्यमी अपनी आगामी प्राप्तियों के आधार पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे।
- इससे उनके नकदी चक्र की समस्याएं हल हो जाएंगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अब 20 % की बजाय अपनी कुल खरीदारी की 25 % खरीदारी एमएसएमई से करने के लिए कहा गया है।
- पांचवी घोषणा महिला उद्यमियों से संबंधित है। एमएसएमई से की गई आवश्यक 25 % खरीदारी में से 3 % खरीदारी अब महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित की गई है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई)

- केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अब आवश्यक रूप से जीईएम का हिस्सा होना चाहिए। सभी विक्रेताओं को जीईएम से पंजीकृत कराना चाहिए।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अन्दर रहता है।
- किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

● पूरे देश में 22 केंद्र बनाए जाएंगे और टूल रूम के रूप में 100 स्पोक्स स्थापित किए जाएंगे।
● फार्मा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए क्लस्टर बनाये जायेंगे।
● इन क्लस्टर के निर्माण की लागत का 70 % केन्द्र सरकार वहन करेगी।
● 8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत रिटर्न अब साल में एक ही बार फाइल किये जायेंगे।
● अब प्रतिष्ठानों के निरीक्षक द्वारा किये जाने वाला दौरा कम्प्यूटर आधारित औचक आवंटन के जरिये तय किया जायेगा।
● वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण नियमों के तहत इन दोनों क्लियरेंस को एकल अनुमति में समाविष्ट कर दिया गया है। रिटर्न, स्व-प्रमाणीकरण के जरिये स्वीकार किया जायेगा।
● 12वीं घोषणा के रूप में एक अध्यादेश लाया गया है, जिसके तहत कंपनी अधिनियम के संबंध में मामूली उल्लंघनों के लिए उद्यमी को अदालतों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
● उन्हें आसान प्रक्रियाओं के तहत दुरुस्त कर लिया जायेगा।

केंद्र सरकार और विश्व बैंक के मध्य ऋण समझौता

- केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने 20 नवम्बर 2018 को नई दिल्ली में झारखंड विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के लिए 310 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया।
- झारखंड के लोगों को 24x7 विश्वसनीय, गुणवत्ता संपन्न तथा किफायती बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के लिए भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा विश्व बैंक ने ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया।
- परियोजना के लिए समझौता पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव, झारखंड सरकार की ओर से वहां के ऊर्जा विभाग की सचिव और विश्व बैंक की ओर से वर्ल्ड बैंक इंडिया के कंट्री डायरेक्टर ने हस्ताक्षर किया।

नई बिजली ट्रांसमिशन संरचना बनाने में मदद:

- झारखंड विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना से झारखंड में नई बिजली ट्रांसमिशन संरचना बनाने में मदद मिलेगी और राज्य की बिजली क्षेत्र की कंपनियों की तकनीकी दक्षता और वाणिज्यिक प्रदर्शन में सुधार होगा।
- परियोजना से ऑटोमेटेड सब-स्टेशन तथा नेटवर्क विश्लेषण और नियोजन उपकरण जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी समाधान लागू करने में मदद मिलेगी।

- इससे बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति होगी और उपभोक्ताओं की संतुष्टि में वृद्धि होगी।

उद्देश्य:

- प्रस्तावित निवेश के एक बड़े भाग का उद्देश्य बिजली ट्रांसमिशन संरचना में सुधार करना है।
- परियोजना सरकारी क्षेत्र की बिजली ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियों की संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और उनके संचालन में सुधार पर फोकस करेगी।

ऋण की अंतिम परिपक्वता अवधि:

- पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) से 310 मिलियन डॉलर के ऋण की रियायत अवधि 5 वर्ष है और इस ऋण की अंतिम परिपक्वता अवधि 25 वर्ष है।

झारखंड वितरण कंपनी के डाटा के अनुसार:

- झारखंड वितरण कंपनी के डाटा के अनुसार राज्य के 80 % लोगों तक बिजली पहुंची है, लेकिन राज्य को उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय रूप से 24x7 बिजली देने के लिए कार्य जारी रखना होगा।
- झारखंड में वित्त वर्ष 2016 के अंत तक बिजली की खपत प्रति व्यक्ति 552 किलोवाट रही है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग आधी है।
- परियोजना के प्रमुख घटकों में नए सब-स्टेशनों तथा मुख्य रूप से 132 किलोवाट वोल्टेज स्तर की नई ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण करना और राज्य लोड डिस्पैच स्तर (एलडीसी) के संचालन को मजबूत बनाने के लिए प्रणाली स्थापित करने में झारखंड ऊर्जा संचार निगम लि. (जेयूएसएनएल) को समर्थन देना है।
- इससे राज्य ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने में मदद मिलेगी।

बिजली योजना:

- झारखंड सबके लिए बिजली योजना में शामिल होने वाले पहले राज्यों में है और राज्य ट्रांसमिशन तथा बिजली वितरण सुधार का प्रयास कर रहा है।
- बिजली की विश्वसनीय मांग आने वाले वर्षों में लगभग दोगुनी हो जाएगी।
- यह परियोजना राज्य के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरी करने में मदद देगी। झारखंड सरकार राज्य के आर्थिक विकास के लिए लोगों को गुणवत्ता संपन्न बिजली आपूर्ति के लिए संकल्पबद्ध है।
- यह परियोजना घरों, उद्योगों, कारोबार तथा अन्य उत्पादक क्षेत्रों को बिजली आपूर्ति बढ़ाने में सहायता देगी और गरीबी

उपशमन तथा झारखंड में समावेशी विकास में योगदान करेगी।

पृष्ठभूमि:

- यह परियोजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में लांच किए गए सबके लिए बिजली कार्यक्रम का हिस्सा है।
- योजना में निजी और सार्वजनिक निवेश के माध्यम से वर्ष 2022 तक 4.5 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता (सौर ऊर्जा से 1.5 गीगावाट उत्पादन सहित) को जोड़ने का प्रावधान है।

प्राकृतिक पूंजी का नुकसान

- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-15 के दौरान सभी राज्यों का औसत सकल राज्य घरेलू उत्पाद दर लगभग 7 से 8% थी तब 11 राज्यों ने अपनी प्राकृतिक पूंजी में गिरावट दर्ज किया।
- जहां 13 राज्यों ने 0 से 5% के दायरे में मामूली बढ़त हासिल की तो केवल तीन राज्यों ने अपनी प्राकृतिक पूंजी में 5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- प्राकृतिक पूंजी का निगरानी महत्वपूर्ण है और सतत विकास के निर्धारकों में से इसे एक होना चाहिए।
- प्राकृतिक पूंजी प्रकृति के वे तत्व हैं जो मानव को मूल्यवान वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराते हैं जैसे कि वन, भोजन, स्वच्छ वायु, भूमि, खनिज इत्यादि।
- इस रिपोर्ट में आर्थिक विकास व मानव पूंजी की तुलना करने के लिए 'नेशनल कैपिटल एकाउंटिंग' पद्धति को अपनाया गया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2012 में स्वीकृत फ्रेमवर्क 'पर्यावरणीय आर्थिक लेखा प्रणाली' पर आधारित है।
- इन राज्यों ने परती भूमि को कृषि भूमि में बदला, वन आवरण में वृद्धि के साथ कार्बन स्टॉक में वृद्धि व खनिजों के नए स्रोतों को खोजा।
- रिपोर्ट में जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के प्रति भी चिंता जताई गई है।

भारत दूसरा इस्पात उत्पादक देश

- राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 में वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन इस्पात क्षमता स्थापित करने की योजना है। जिसका अर्थ है कि अगले 12 वर्षों के दौरान वर्तमान क्षमता 130 मीट्रिक टन से बढ़कर 300 मीट्रिक टन

हो जाएगी अर्थात् इसमें ढाई गुणा बढ़ोतरी होगी।

- इसमें 800,000 करोड़ रुपये (128 बिलियन अमरीकी डॉलर) से अधिक का भारी निवेश होगा।
- मौजूदा अनुभव के आधार पर 2030-31 तक लगभग 25 बिलियन अमरीकी डॉलर (160,300 करोड़ रुपये) मूल्य की पूंजीगत वस्तु उपकरणों के आयात की उम्मीद है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- देश में इस्पात की खपत पिछले दो वर्षों के दौरान 7.9% बढ़ी है।
- वर्ष 2018 के लिए विश्व इस्पात संघ के 8 महीने के इस्पात उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है।
- भारत का इस्पात उत्पादन 6.7% की दर से बढ़ रहा है।
- इससे अधिकांश पूंजीगत वस्तु उपकरण देश में ही बनाये जा सकेंगे।

जीडीपी दर 7.2%

- फिच रेटिंग्स ने 06 दिसंबर 2018 को भारत के वर्तमान वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर के अनुमान को 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया है।
- फिच ने ज्यादा लागत और ऋण उपलब्धता में कमी के चलते अनुमान को घटाया है।

2020-21 में 7.1 % रहने का अनुमान

- फिच ने जारी वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कहा कि वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 7 % और 7.1 % रहने का अनुमान है।
- फिच रेटिंग्स ने जून में 2019-20 के लिए 7.5% ग्रोथ का अनुमान जारी किया था।
- एजेंसी ने वर्ष 2019 के अंत तक रुपये के 75 प्रति डॉलर का स्तर छूने की आशंका जताई है।
- इस समय रुपया 71 रुपये प्रति डॉलर के आसपास चल रहा है।

ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट

- फिच रेटिंग्स ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्तीय स्थिति के तंग होने, तेल आयात बिल बढ़ने और बैंकों के कमजोर बैलेंसशीट को भारत के लिए बड़ी चुनौतियां माना है।

फिच रेटिंग्स के विषय में

- फिच रेटिंग्स विश्व की 3 सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक है।

- इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है।
- इसका पूर्व स्वामित्व हेअर्स्ट कारपोरेशन के पास है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक किस्म की कंपनी होती है जो क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती है।
- यह ऋणी द्वारा समय पर ऋण के भुगतान अथवा डिफॉल्ट की सम्भावना की योग्यता का अनुमान लगाती है।
- सिक्क्योरिटी व एक्सचेंज कमीशन ने वर्ष 2003 में कांग्रेस को एक रिपोर्ट जमा की जिसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्य प्रणाली और ब्याज संबंधी विवादों से युक्त मुद्दों के लिए एक जांच बैठाने की योजना के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया था।
- क्रेडिट रेटिंग का प्रयोग निवेशकों, ऋण निर्गमित करने वाली संस्थाओं, निवेश बैंक, दलालों-व्यापारियों और सरकार द्वारा किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 19 दिसंबर 2018 को ग्रामीण युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए किए गए समझौते पर ग्रामीण विकास मंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

उम्मीदवारों को प्रशिक्षण

- सरकार और मोटर वाहन क्षेत्र के प्रमुख उद्योग के बीच इस साझेदारी से दो वर्षों में कम से कम 5,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- देश के ग्रामीण युवकों को निश्चित रूप से नियोजन के अवसर मिल सकेंगे।

उद्देश्य :

- मंत्रालय की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य गांवों में रहने वाले गरीब युवकों को बाजार से जुड़े व्यापार में कौशल प्रदान करना और रोजगार के लिए उपयुक्त क्षमता सुनिश्चित करना है।

मारुति सुजुकी

- मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड सामान्यतः मारुति और इसके पूर्व में मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह संगठन भारत में मोटर निर्माता है।

- यह जापानी मोटरगाड़ी एवं मोटरसाईकिल निर्माता सुजुकी की एक सहायक कंपनी है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नियोजन से जुड़ा प्रमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण गरीबी को कम करना है।
- यह योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।
- यह एक ऐसी योजना जिसका मकसद बेरोजगारों को नए अवसर प्रदान करना है।
- इस योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी।
- इस योजना के तहत 250 से अधिक ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है जहां ग्रामीण या फिर निर्धन वर्ग के लोग बिना पैसों के शिक्षा/प्रशिक्षित होकर अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

बोगीबील पुल

- प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2018 को असम के डिब्रूगढ़ जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे रेल/रोड ब्रिज बोगीबील का उद्घाटन किया।
- यह ब्रिज 4.94 किलोमीटर लंबा है। यह ब्रिज भारत-चीन बॉर्डर एरिया में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने इस पुल को मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, ड्राई पेनिट्रेशन टेस्टिंग तथा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जैसी आधुनिकतम तकनीकों का इस्तेमाल करके इसे यूरोपीय मानकों के अनुरूप बनाया है।
- यह पुल अरुणाचल में बॉर्डर के समीप भारत यातायात सुगम बनाने के प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

ब्रिज से लाभ

- बोगीबील ब्रिज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सेना को दक्षिण से उत्तर की ओर आसानी से भेजा जा सकेगा।
- इसका अर्थ है कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत-चीन बॉर्डर तक सेना को भेजने में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी।
- इस परियोजना का शिलान्यास 22 जनवरी 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा द्वारा किया गया था। हालांकि इस

पर काम की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 21 अप्रैल 2002 को हुई।

- इस ब्रिज के रणनीतिक महत्व को देखते हुए 2007 में इसे राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया।
- यह इस तरह से बनाया गया था कि इमरजेंसी में इस पर लड़ाकू जेट भी उतारा जा सकता है।
- तकनीक के प्रयोग के कारण एयरफोर्स को 3 लैंडिंग पट्टियां उपलब्ध हो पाएंगी।

सबसे लंबा रेल/रोड ब्रिज

- हालांकि बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई 10.3 किलोमीटर है लेकिन रेलवे पुल बनाने के लिए यहां तकनीक लगाकर पहले नदी की चौड़ाई कम की गई और फिर इस पर करीब 5 किलोमीटर लंबा रेल/रोड ब्रिज बनाया गया है।
- पहली बार रेलवे ने स्टील गर्डर का इस्तेमाल कर इतना बड़ा पुल बनाया है।
- इस पुल में कहीं भी रिवेल्स नहीं लगाए गए हैं बल्कि हर जगह लोहे को वेल्ड किया गया है जिससे इसका वजन 20% तक कम हो गया और इससे लागत में भी कमी आई है।

बोगीबील ब्रिज की विशेषता
<ul style="list-style-type: none"> ● बोगीबील पुल भूकंप प्रभावित क्षेत्र में है, इस पुल को भूकंपरोधी बनाया गया है जो 7 तीव्रता से ज्यादा के भूकंप में भी धराशायी नहीं होगा।
<ul style="list-style-type: none"> ● ब्रह्मपुत्र नदी पर डबल डेकर रेल और रोड ब्रिज (बोगीबील पुल) की सहायता से असम और अरुणाचल राज्यों के बीच लोग आसानी से आ-जा सकेंगे।
<ul style="list-style-type: none"> ● बोगीबील पुल चीन के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है और सेना को इस पुल से जरूरत पड़ने पर खासी मदद मिलेगी।
<ul style="list-style-type: none"> ● अभी डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए व्यक्ति को गुवाहाटी होकर जाना होता है और उसे 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी होती है।
<ul style="list-style-type: none"> ● इस पुल के निर्माण से से यह यात्रा अब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी।
<ul style="list-style-type: none"> ● यह पुल असम के धेमाजी जिला और डिब्रूगढ़ जिला को जोड़ता है। बोगीबील ब्रिज का जीवनकाल 120 साल बताया गया है।

विदेशी क्षेत्र

अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क

- भारत ने अमेरिका के साथ चल रही व्यापारिक अनबन के जवाब में 29 वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया है जिनमें काला चना, मसूर, बादाम, अखरोट, और सेब आदि जैसी कई वस्तुएं शामिल हैं।
- अब भारत में अमेरिका से आने वाली इन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा।
- अमेरिका द्वारा भारतीय स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों पर कर बढ़ाने के जवाब में भारत द्वारा यह कदम उठाया गया है।
- अमेरिका द्वारा लागू किए गए अतिरिक्त कर से भारत पर 24 करोड़ डॉलर के शुल्क का बोझ बढ़ा था।

मुख्य बिंदु

- भारत ने विश्व व्यापार संगठन को 30 उत्पादों की सूची भेजी थी, जिस पर भारत ने 50 % का आयात शुल्क बढ़ाने की मंशा जताई थी।
- विश्व व्यापार संगठन को सौंपी गई सूची में से केवल 800 सीसी से अधिक क्षमता की बाइकों पर आयात शुल्क नहीं बढ़ाया गया बाकी अन्य सभी 29 वस्तुओं पर अतिरिक्त आयात शुल्क लागू किया गया है।
- वित्त मंत्रालय के अनुसार इन वस्तुओं पर लगाया गया यह अतिरिक्त आयात शुल्क 4 अगस्त से प्रभावी हो जाएगा।

भारत एशिया प्रशांत व्यापार समझौता

- भारत ने बांग्लादेश और श्रीलंका सहित एशिया प्रशांत व्यापार समझौते (एपीटीए) के सदस्यों को 3,142 उत्पादों पर टैरिफ रियायतें प्रदान करने पर सहमत हो गया है।
- ये रियायतें विकसित देशों (एलडीसी) और विकासशील देशों के लिए कम से कम होंगी।

भारत एशिया प्रशांत व्यापार समझौते के बारे में

- एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते (एपीटीए), जिसे पहले बैकॉक समझौते का नाम दिया गया था, को ईएससीएपी की पहल के रूप में 1975 में हस्ताक्षर किया गया था।
- भारत एशिया प्रशांत व्यापार समझौते में शामिल 6 सदस्य देश हैं - बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओस, कोरिया और श्रीलंका।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों के बीच सबसे पुराना अधिमान्य व्यापार समझौता होने के नाते, एपीटीए का उद्देश्य परस्पर लाभकारी व्यापार उदारीकरण उपायों को अपनाने के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। जो अंतर-क्षेत्रीय व्यापार विस्तार में योगदान देगा और व्यापार वस्तुओं, सेवाओं के कवरेज के माध्यम से आर्थिक

एकीकरण प्रदान करेगा।

एपीटीए का महत्व

- सभी विकासशील सदस्य देशों के लिए एपीटीए मध्य और दक्षिण एशिया में फैलो क्षेत्रीय व्यापार समझौता है, जिसमें मध्य एशिया और प्रशांत समेत अन्य उप-क्षेत्रों में विस्तार करने की संभावना है।
- एपीटीए क्षेत्र के विकासशील देशों के बीच पहला बहुपक्षीय समझौता है जो माल की उत्पत्ति के प्रमाणीकरण और सत्यापन के लिए सामान्य परिचालन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए है और पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार समझौते के बीच इसकी सबसे प्रभावी कार्यान्वयन अवधि है।
- विशेष रूप से, एपीटीए चीन और भारत को जोड़ने वाला एकमात्र परिचालन व्यापार समझौता है, जो दुनिया के दो सबसे तेजी से बढ़ते बाजार और कोरिया गणराज्य जैसे अन्य प्रमुख बाजार हैं।

ब्रिक्स देशों के साथ MoU को मंजूरी

- केन्द्रीय कैबिनेट ने ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के साथ क्षेत्रीय विमानन पार्टनरशिप के सम्बन्ध में MoU पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी प्रदान की।
- इस MoU से नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आपसी सहयोग से सभी ब्रिक्स देशों को लाभ होगा, इसके तहत एक संस्थागत फ्रेमवर्क स्थापित किया जायेगा।

मुख्य बिंदु :

- यह MoU भारत और ब्रिक्स सदस्य के बीच नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क है।
- इससे ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।
- इस MoU के तहत जन नीतियां, आधारभूत संरचना प्रबंधन, एयर नेविगेशन सेवाएं, नियंत्रक एजेंसी, नवोन्मेष, पर्यावरण संतुलन, प्रशिक्षण इत्यादि कई क्षेत्रों में सहयोग किया जायेगा।

निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) निर्यात में बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ईसीजीसी) को 2000 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने को मंजूरी दे दी है।
- इसने परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एनआईआईए) को 1,040 करोड़

रुपये के अनुदान सहायता (कॉर्पस) के योगदान को भी मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- मोनेटरी इन्फ्यूजन एमएसएमई निर्यात को बीमा कवरेज बढ़ाएगा और अफ्रीका, सीआईएस (स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल) और लैटिन अमेरिकी देशों जैसे उभरते और चुनौतीपूर्ण बाजारों में भारत के निर्यात को मजबूत करेगा।
- यह ईसीजीसी को अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को विविधता देने और लागत प्रभावी क्रेडिट बीमा प्रदान करने में मदद करेगा। जिससे निर्यातकों को मुश्किल बाजारों में मजबूत आधार प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- एक मजबूत अंडरराइटिंग क्षमता के साथ, भारतीय निर्यातकों को नए और अन्वेषित बाजारों को टैप करने के लिए ईसीजीसी बेहतर स्थिति में होगा।

निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ईसीजीसी) के विषय में

- निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ईसीजीसी) देश से निर्यात की सुविधा के लिए निर्यात क्रेडिट बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख निर्यात क्रेडिट एजेंसी है।
- निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ईसीजीसी) निर्यातकों को राजनीतिक और/या वाणिज्यिक जोखिमों के कारण विदेशी खरीदारों द्वारा निर्यात बकाया भुगतान के कारण उन्हें नुकसान के खिलाफ बचाने के लिए क्रेडिट बीमा योजनाएं प्रदान करता है।
- इसके अलावा, निगम से कवर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के निर्यातकों की प्रतिस्पर्धी स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा।
- ईसीजीसी के कवर से लाभान्वित 85 % से अधिक ग्राहक एमएसएमई हैं।
- ईसीजीसी दुनिया के लगभग 200 देशों में निर्यात को कवर करता है। यह निर्यातकों को राजनीतिक या वाणिज्यिक जोखिमों के कारण विदेशी खरीदारों द्वारा निर्यात के बकाया भुगतान के कारण होने वाले घाटे से उनकी रक्षा के लिए क्रेडिट बीमा योजनाएं प्रदान करता है।

इन्वेस्ट इंडिया और बिजनेस फ्रांस

- निवेश भारत और व्यापार फ्रांस (Invest India & Business France) ने भारत और फ्रांस के स्टार्ट-अप के बीच निवेश सुविधा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- समझौता ज्ञापन, उद्यमों को व्यावहारिक निवेश जानकारी प्रदान करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा प्रदान करेगा।

समझौते की मुख्य विशेषताएं :

- ❶ निवेश भारत और बिजनेस फ्रांस, संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने और पारिस्थितिक तंत्र सहयोग शुरू करने तथा संस्थागत ज्ञान को मजबूत करने के अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए सहयोग करेंगे।
- ❷ दोनों पक्ष फ्रांस और भारतीय निजी क्षेत्र के व्यवसायों के बीच अवसरों की पहचान करेंगे और इनबाउंड कंपनियों और स्टार्टअप की सुविधा के लिए एक समर्पित समर्थन संरचना तैयार करेंगे।
- ❸ यह फ्रांसीसी और भारतीय बाजारों में पैर बढ़ाने के लिए भारत और फ्रांस से नए व्यवसायों और नवाचारों के लिए एक निर्बाध सुविधा चैनल प्रदान करेगा।
- ❹ यह भागीदारी भारत और फ्रांस के बीच मौजूदा व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करेगी।

निवेश भारत

- ❶ निवेश भारत, भारत सरकार के आधिकारिक निवेश संबंधी सुविधा एजेंसी है, जो देश में निवेश की सुविधा के लिए अनिवार्य है।
- ❷ यह देश में संभावित वैश्विक निवेशकों के लिए पहला पड़ाव है।
- ❸ यह पूरे निवेश चक्र के माध्यम से निवेशकों को क्षेत्र और राज्य-विशिष्ट इनपुट और अन्य सहायता प्रदान करता है।
- ❹ मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निवेश भारत द्वारा हैंड होल्डिंग और सुविधा समर्थन जैसे सभी प्रयास किए गए।
- ❺ निवेशक को निवेश भारत टीम द्वारा प्रदान की जाने वाली समर्थन सेवाओं में शामिल है:-
 1. नियामक अनुमोदन निष्पादित करना
 2. प्रासंगिक सरकार और कॉर्पोरेट अधिकारियों के साथ बैठकें सुगम बनाना।
 3. निवेशकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए उपचारात्मक कार्यों की शुरुआत जैसी अन्य सेवाओं में निवेशकों को सुविधा प्रदान करना।

बिजनेस फ्रांस

- ❶ व्यापार फ्रांस आर्थिक मामलों और वित्त मंत्री और विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री की देखरेख में फ्रेंच सरकार की कार्यकारी एजेंसी है।
- ❷ यह 80 व्यापार आयोगों के विश्वव्यापी नेटवर्क के माध्यम से फ्रांसीसी कंपनियों और पेशेवरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास को बढ़ावा देता है।
- ❸ व्यापार फ्रांस में और 70 अन्य देशों में 1400 लोगों की

विशेषज्ञता को जोड़ता है।

रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण-1

- ❶ संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण-1 (एसटीए -1) देश के रूप में नामित किया है जो देश को अमेरिका से अत्यधिक उन्नत और अत्याधुनिक संवेदनशील प्रौद्योगिकियों को खरीदने की अनुमति देगा।
- ❷ एसटीए-1 पदनाम अनधिकृत या अपरिवर्तनीय उपयोगों के कम जोखिम वाले गंतव्यों के लिए वाणिज्य नियंत्रण सूची पर निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात, पुनः निर्यात और हस्तांतरण (इन-देश) को अधिकृत करता है।
- ❸ वर्तमान में एसटीए-1 सूची में 36 देश हैं। सूची में रहने वाला भारत केवल एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है।
- ❹ एसटीए-1 के रूप में नामित अन्य एशियाई देशों में जापान और दक्षिण कोरिया हैं।

मुख्य तथ्य :

- ❶ एसटीए-1 के कारण, भारत और अमेरिका संबंधों में मजबूती आ गई है जिसके अंतर्गत भारत को अपने निर्यात नियंत्रण उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध कदमों के साथ-साथ दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकियों की विस्तृत शृंखला तक लाइसेंस मुक्त पहुंच प्राप्त होगी।
- ❷ एसटीए-1 निर्यात प्रशासन विनियम (ईएआर) के अधीन प्रौद्योगिकी निर्यात के दायरे का विस्तार करेगा। जिसे व्यक्तिगत लाइसेंस के बिना भारत में बनाया जा सकता है।
- ❸ इससे द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों में और वृद्धि होगी और नतीजतन भारत में अमेरिकी निर्यात की मात्रा अधिक होगी।

एसटीए-1 सूची

- अमेरिका द्वारा अब तक एसटीए-1 सूची में केवल उन्हीं देशों को रखा गया था जो मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण संधि (एमटीसीआर), परंपरागत हथियारों के व्यापार में पारदर्शिता लाने के लिए हुए वासेनार समझौता (डब्ल्यूए), रासायनिक एवं जैविक हथियारों के व्यापार पर नियंत्रण के लिए गठित आस्ट्रेलिया समूह (एजी) और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के सदस्य रहे हैं।
- विदित रहे कि, भारत एनएसजी को छोड़कर बाकी 3 समूहों में शामिल है।
- अमेरिका ने भारत को अभी तक एसटीए-2 में रखा हुआ था।
- **नोट :** इस सूची में अल्बानिया, हांगकांग, इजराइल, माल्टा, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और ताइवान को रखा गया है।

महत्व :

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने निर्यात नियंत्रण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भारत की साझेदारी में सुधार करेगा।
- यह भारत के लिए उस प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति के मामले में अमेरिका के लिए भी प्रतिस्पर्धी लाभ होगा।

2025 तक दोगुना निर्यात

- केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा नागर विमानन मंत्रालय ने विभिन्न निर्यात साझेदारों और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें भारत के निर्यात में नई जान डालने और उसे 2025 तक दोगुना करने की रणनीति पर विचार किया गया।

निर्यात का महत्व

- निर्यात नौकरियां सृजित करता है, विदेशी मुद्रा लाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को मान्यता प्रदान करता है।
- भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफआईआईओ) ने परंपरागत, नये बाजार और उत्पादों में 100 अरब के निर्यात की पहचान का अध्ययन किया है।
- एक्विजम ने बाजार तलाश किया है और निर्यात रणनीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
- भारत ने डब्ल्यूटीओ के टीएफए (व्यापार सरल बनाने संबंधी समझौते) को अप्रैल, 2016 में स्वीकृत कर लिया और व्यापार की अड़चनों को दूर करने के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आईटी पहलों डीजीएफटी तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र के जरिए पारदर्शिता लाने के लिए इन्हें कस्टम आइसगेट से ऑनलाइन जोड़ा गया है।
- निर्यात और आयात के लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजों को कम करके तीन-तीन कर दिया गया है।
- आयात-निर्यात कोड (आईईसी) को पैन से जोड़ा गया है और पूरी तरह से जोड़ने के लिए जीएसटीएन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- त्वरित टैक्स रिफंडों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट (ईबीआरसी) प्रणाली को 14 राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।
- ईबीआरसी को जीएसटीएन से जोड़ने के लिए जीएसटी नेटवर्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- राज्य सरकारों को डीजीसीआईऔरएस निर्यात आंकड़ों तक पहुंच प्रदान की गई है।
- पहचाने गए 12 सर्वोत्तम सेवा क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने और उनकी संभावनाओं को पहचानने पर विशेष ध्यान देने के लिए वाणिज्य विभाग के एक प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी दे चुका है।

उद्देश्य:

- रत्न और आभूषण, चमड़ा, वस्त्र और सिले-सिलाए कपड़े इंजीनियरिंग क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन एवं पेट्रो रसायन, फार्मा, कृषि और सहायक उत्पाद और समुद्री उत्पाद जैसे मर्चों के लिए जिन्स और क्षेत्र विशेष वाली रणनीति तैयार की जा रही है।
- क्षेत्र विशिष्ट रणनीति में उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (एनएफटीए), यूरोप, उत्तर-पूर्व एशिया, आसियान, दक्षिण एशिया, लातिन अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सीआईएस शामिल होंगे।
- परंपरागत बाजारों के अलावा भारत को छोटे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए और अफ्रीका जैसे देशों के नये क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए, जिसका भारत से निर्यात केवल 8 % है।

भारत और मोरक्को के बीच हवाई समझौता

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के बीच हवाई सेवाओं के लिए संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर की अनुमति दे दी है।
- विदित रहे कि नए समझौते के प्रभावी होने के साथ ही दिसंबर 2004 में किया गया मौजूदा समझौता स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा।

लाभ:

- इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।
- यह समझौता व्यापक सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही दोनों देशों की विमान सेवाओं के लिए व्यापारिक संभावनाएं उपलब्ध कराएगा और निर्बाध हवाई संपर्क के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार करेगा।

समझौते की प्रमुख विशेषताएं:

- दोनों देशों की विमानन कंपनियां विभिन्न तरह की सेवाओं के लिए कोड शेयरिंग कर सकती है।
- प्रत्येक पक्ष की निर्दिष्ट एयर लाइन विपणन के लिए परस्पर करार कर सकती है। वे दूसरे पक्ष या तीसरी पार्टी के साथ भी ऐसा समझौता कर सकती है।

- ☞ समझौते के जरिए दोनों देशों की कोई भी निर्दिष्ट एयर लाइन हवाई सेवाओं की बिक्री और विज्ञापन के लिए एक दूसरे के यहां अपने कार्यालय खोल सकती हैं।
- ☞ एएसए द्वारा निर्धारित मार्गों पर चिह्नित 6 स्थानों से दोनों देशों की एयर लाइनें एक दूसरे के यहां जितनी संख्या में चाहे सेवाएं दे सकती हैं।
- ☞ इस व्यवस्था के तहत भारत की निर्दिष्ट एयर लाइनें मोरक्को के कासाब्लांका, रबात, माराकेश, अगादीर, तांगीर और फेज से आने जाने के लिए अपनी सेवाएं दे सकती हैं।
- ☞ इसी तरह मोरक्को की निर्दिष्ट एयर लाइनें नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद आने जाने के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकती हैं।
- ☞ हवाई सेवा समझौते में विमान सेवाओं के संचालन की अनुमति, संचालन नियमों, व्यावसायिक संभावनाओं तथा सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को निलंबित करने या खत्म करने की भी व्यवस्था है।

पृष्ठभूमि:

- ☞ नागरिक उड़्डयन के क्षेत्र में बढ़ते अवसरों तथा दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं को आधुनिक और निर्बाध बनाने के उद्देश्य से मौजूदा हवाई सेवा समझौते में संशोधन किया जा रहा है।
- ☞ भारत और मोरक्को के बीच मौजूदा हवाई सेवा समझौता 2004 किया गया था।
- ☞ इसमें निर्दिष्ट एयरलाइनों की सुरक्षा, संरक्षा और वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़े प्रावधानों में समय के अनुरूप बदलाव की व्यवस्था नहीं थी।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कार्यक्रम

- ☞ भारत और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 05 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कार्यक्रम (पीएमजीएसवाई) के तहत मध्य प्रदेश में 2,800 किलोमीटर लम्बी बारहमासी ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के वित्त पोषण के लिए 110 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

उद्देश्य:

- ☞ इस समग्र कार्यक्रम का उद्देश्य कई राज्यों जैसे कि असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लगभग 12,000 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों की बेहतरी सुनिश्चित कर ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर करना, आजीविका के लिए सुरक्षित पहुंच की सुविधा प्रदान करना

और ग्रामीण समुदायों के लिए सामाजिक-आर्थिक अवसर सृजित करना है।

समझौते से संबंधित मुख्य तथ्य

- यह समझौता दूसरी किस्तों की ऋण राशि भारत हेतु 500 मिलियन डॉलर के द्वितीय ग्रामीण कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जिसे दिसम्बर 2017 में एडीबी के बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी गई थी।
- पहली किस्त के तहत 250 मिलियन डॉलर की ऋण राशि का उपयोग फिलहाल परियोजना से जुड़े 5 राज्यों में किया जा रहा है, जिसके तहत 6,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लम्बी ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करना है।
- इस परियोजना से लागत कम करने, गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और ग्रामीण सड़कों के निर्माण में अपशिष्ट सामग्री का उपयोग बढ़ाने हेतु अभिनव उपाय करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को नई गति मिलेगी।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी):

- ☞ एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसम्बर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गयी थी।
- ☞ यह बैंक यूएन (UN) इकोनॉमिक एंड सांशल कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट पैसिफीक (vc UNESCAP) और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है।
- ☞ इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी, अब एडीबी के पास अब 67 सदस्य हैं - जिसमें से 48 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं।
- ☞ एडीबी (ADB) का प्रारूप काफी हद तक विश्व बैंक के आधार पर बनाया गया था और विश्व बैंक के समान यहां भी भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है। जिसमें वोटों का वितरण सदस्यों के पूंजी अभिदान अनुपात के आधार पर किया जाता है।

भारतीय रेलवे तथा रूस के मध्य समझौता

- ☞ भारतीय रेल मंत्रालय भारत-रूस शिखर सम्मेलन के दौरान और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 'रूसी रेलवे' के साथ 05 अक्टूबर 2018 को सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- ☞ सहयोग ज्ञापन में दोनों देशों के मध्य 24 दिसंबर 2015 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अधीन की गई गतिविधियों को आने बढ़ाने का इरादा व्यक्त किया गया है।

सहयोग ज्ञापन में निम्न तथ्य शामिल है
● नागपुर-सिकंदराबाद खंड की गति बढ़ाने की परियोजना का कार्यान्वयन करना।
● कार्गो परिचालन में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाना।
● बहुमॉडल टर्मिनलों का विकास करना तथा दोनों देशों द्वारा प्रयुक्त की जा रही सर्वोत्तम तकनीकों का आदान-प्रदान करना।
● रूसी रेलवे से संबंधित उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानों को शामिल करके भारतीय रेल कर्मचारियों के प्रशिक्षण और शैक्षिक योग्यता में सुधार लाना है।

- स्थानीय स्तर पर मिले-जुले यातायात के प्रबंधन हेतु एकल यातायात नियंत्रण केंद्र की स्थापना।

गृह मंत्रालय एवं इसरो समझौता

- गृह मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गृह मंत्रालय में आपातकालीन स्थिति के लिए एक अत्याधुनिक समेकित नियंत्रण कक्ष की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया।

प्रमुख तथ्य:

- इसरो प्रस्तावित समेकित नियंत्रण कक्ष की स्थापना के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता देगा जबकि परियोजना का निष्पादन गृह मंत्रालय के पर्यवेक्षण में होगा।
- प्रस्तावित नियंत्रण कक्ष के अगले डेढ़ वर्ष में स्थापित हो जाने की उमीद है।
- यह आईसीआर-ईआर आपदा प्रबंधन के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करेगा।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)
● वर्ष 1959 में इसरो की स्थापना की गई थी तथा प्रोफेसर विक्रम साराभाई को इसका चेयरमैन बनाया गया।
● वर्ष 1962 में जब भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (इन्कोस्पार) का गठन हुआ तब भारत ने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया।
● इसरो को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए साल 2014 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
● मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के लगभग एक वर्ष बाद इसरो ने 29 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट के रूप में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की।
● वर्ष 2017 में इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों का सफल परीक्षण करके विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था।

- आज भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है।

भारत और इजरायल डिफेंस डील

- भारत ने इजराइल के साथ रक्षा प्रणाली की आपूर्ति के लिए समझौता किया है।
- इसके तहत इजराइल की प्रमुख सरकारी रक्षा कंपनी ने 24 अक्टूबर 2018 को भारतीय नौसेना के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है।
- इस समझौते के तहत इजरायल भारत को सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की बराक-8 मिसाइल और मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति करेगा।
- इसके लिए दोनों देशों के बीच करीब 77.7 करोड़ डॉलर के रक्षा सौदों पर समझौता हस्ताक्षर किये गये हैं।

इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई)

- इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) इजराइल की प्रमुख एयरोस्पेस और विमानन निर्माता कंपनी है।
- यह सैन्य और नागरिक उपयोग के लिए कार्य करती है यह कंपनी पूरी तरह सरकार के स्वामित्व में कार्यरत है।
- लड़ाकू विमान के निर्माण के अलावा, आईएआई नागरिक विमान मध्यम आकार के व्यापार जेट विमानों को भी बनाता है।
- इन उत्पादों के विशेष रूप से इजराइल के रक्षा बलों की जरूरतों के अनुसार बनाया जाता है जबकि अन्य देशों के लिए आईएआई सैन्य विनिर्माण करता है।

भारत-इजराइल रक्षा प्रणाली आपूर्ति समझौता

- इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) के अनुसार नई दिल्ली की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) इस परियोजना के लिए मुख्य विनिर्माता कंपनी होगी।
- आईएआई भारतीय नौसेना के सात पोतों के लिए सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल और हवाई मिसाइल रक्षा प्रणाली (एएमडी), एएमडी प्रणाली बराक-8 के समुद्री संस्करण की आपूर्ति करेगी।
- बराक-8 एक भारतीय-इजरायली लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
- बराक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल और यूएवी के साथ-साथ क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू जेट विमानों के किसी भी प्रकार के हवाई खतरे से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है।

- बराक-8 मिसाइल की मारक क्षमता 70 से 90 किमी है। यह 4.5 मीटर लंबी मिसाइल है जिसका वजन लगभग 3 टन है और यह 70 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है।
- हथियारों और तकनीकी अवसंरचना, एल्टा सिस्टम्स और अन्य चीजों के विकास के लिए इजराइल का प्रशासन जिम्मेदार होगा जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) मिसाइलों का उत्पादन करेगी।
- आईएआई इजरायल की सबसे बड़ी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है।
- यह मिसाइल भेदी, हवाई प्रणालियों और खुफिया और साइबर सुरक्षा प्रणालियों सहित रक्षा प्रणालियों का विकास, विनिर्माण और आपूर्ति करती है।

विश्व का पहला ब्लू बॉण्ड

- सेशेल्स ने विश्व का पहला ब्लू बॉण्ड (Sovereign Blue Bond) जारी किया है जिसका उद्देश्य सामुद्रिक एवं मत्स्य पालन परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- इस बॉण्ड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों द्वारा 15 मिलियन डॉलर भी दिए गये हैं।
- इस बॉण्ड के माध्यम से कोई भी देश सामुद्रिक संसाधनों के सतत् उपयोग के लिये वित्त हेतु किसी भी प्रकार के पूंजी बाजार से धनराशि एकत्र कर सकता है।
- इसके अंतर्गत, ब्लू ग्रांट्स निधि के जरिये अनुदान भी दिया जाएगा।
- इस निधि का प्रबंधन सेशेल्स के संरक्षण एवं जलवायु अनुकूलन न्यास द्वारा किया जाएगा।

ब्लू बॉण्ड की विशेषताएं

- इस बॉण्ड के माध्यम से कोई भी देश सामुद्रिक संसाधनों के सतत् उपयोग के लिये किसी भी प्रकार के पूंजी बाजार से धन एकत्र कर सकता है।
- इस बॉण्ड द्वारा सरकारी और निजी दोनों स्रोतों से निवेश प्राप्त होगा।
- इस बॉण्ड के जरिये सेशेल्स को सतत् मत्स्य पालन को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
- सेशेल्स द्वारा जारी किये गए ब्लू बॉण्ड को विश्व बैंक द्वारा 5 मिलियन डॉलर की गारंटी प्राप्त है।
- इसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा की ओर से 5 मिलियन डॉलर का रियायती ऋण भी उपलब्ध कराया गया है।
- इस बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त आय में से कम से कम 12 मिलियन डॉलर स्थानीय मछुआरा समुदायों को कम व्याज

वाले ऋण के रूप में आवंटित किये जाएंगे।

- जबकि शेष राशि का उपयोग सतत् मत्स्य परियोजनाओं के शोध हेतु वित्तपोषण के लिये किया जाएगा।
- इस निधि का प्रबंधन सेशेल्स विकास बैंक (CBS) करेगा।
- इंडोनेशिया और अन्य द्वीपीय राष्ट्र सतत् मत्स्य पालन और समुद्री परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये बॉण्ड बाजार को टैप करने में एक मॉडल के रूप में सेशेल्स द्वारा जारी ब्लू बॉण्ड संरचना का उपयोग कर सकते हैं।

सेशेल्स के बारे में :

- सेशेल्स गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपसमूह राष्ट्र है।
- यह अफ्रीकी मुख्यभूमि से पूर्व दिशा में और मेडागास्कर के उत्तर-पूर्व में स्थित है।
- सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स का अजम्पसन आइलैंड भारत के लिए सामरिक रूप से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत यहाँ अपना सैन्य बेस बनाने का प्रयास कर रहा है।

भारत और चीन के बीच दोहरा कराधान

समझौता

- भारत और चीन के बीच 26 नवंबर 2018 को दोहरे कराधान के समझौते में संशोधन पर हस्ताक्षर किये गये।
- संशोधन के तहत दोनों देशों के बीच कर संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान का प्रावधान किया गया है।
- इसके अमल में आने से दोनों देशों में कर चोरी रोकने में मदद मिलेगी। संशोधन के जरिये वित्तीय अपवचना को रोकने में मदद मिलेगी।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- ताजा संशोधन से संधि में सूचनाओं के आदान-प्रदान से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को नये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है।
- इसके अलावा संधि में कारोबार में आधार क्षरण और मुनाफा स्थानांतरण की कार्रवाई रिपोर्ट (बीईपीएस) परियोजना के न्यूनतम मानकों को अमल में लाने के लिये जरूरी बदलाव भी किये गये हैं।
- इस संधि में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर बीईपीएस एक्शन रिपोर्ट के अनुसार कई बदलाव किये गये हैं।

आयकर कानून के तहत

- भारत में आयकर कानून की शुरुआत 1860 में हुई।
- उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल की परिषद में वित्त सदस्य सर जेम्स विल्सन ने आयकर कानून लागू किया।
- आधुनिक भारत का पहला व्यापक आयकर कानून 1886 में

लॉर्ड डफरिन ने पेश किया।

- ☛ 1916 में पहली बार कर की अलग-अलग दर तय की गयी।
- ☛ 1945 में पहली बार आयकर अधिकारियों की भर्ती के लिए भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा आयोजित की गई। बाद में इसे ही भारतीय राजस्व सेवा (IRS) का नाम दिया गया।
- ☛ विधि आयोग और जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर आयकर अधिनियम 1961 पारित किया जो 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी है।
- ☛ कुछ आय ऐसी भी है जिनपर टैक्स नहीं देना पड़ता
 - कृषि से आमदनी
 - अविभाजित हिंदू परिवार से मिली रकम
 - बचत खाते से ब्याज
 - पार्टनरशिप फर्म के शेयर से कमाई
 - लॉग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स
 - ग्रैच्युरी पर टैक्स छूट
 - बिना HRA के किराये पर टैक्स छूट
 - वीआरएस पर मिली रकम
 - स्कॉलरशिप एवं अवार्ड
 - विदेश में सेवा के लिए मिले भत्ते
- ☛ आयकर कानून 1961 की धारा 90 के तहत भारत दोहरे कराधान से बचने, कर चोरी रोकने के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये किसी दूसरे देश के साथ अथवा विशिष्ट अधिकार क्षेत्र वाले भूखंड के साथ समझौता कर सकता है।

केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच समझौता

- ☛ केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बिहार में लगभग 230 किलोमीटर लंबे राजमार्गों को चौड़ा करने और उनमें सुधार के उद्देश्य से वित्तीय सहायता देने के लिए 26 नवम्बर 2018 को नई दिल्ली में 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।

एडीबी 2008 से अब तक बिहार में

- ☛ एडीबी 2008 से अब तक बिहार में करीब 1,453 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के सुधार और पटना के नजदीक गंगा नदी पर एक नये पुल के निर्माण के लिए 1.43 अरब डॉलर के चार ऋण प्रदान कर चुका है।

दो लेन वाले राजमार्गों में बदलना

- ☛ एडीबी बोर्ड द्वारा अक्टूबर 2018 में मंजूर बीएसएचपी-III परियोजना में राज्य राजमार्गों में सुधार कर उन्हें सड़क सुरक्षा

के साथ दो लेन वाले राजमार्गों में बदलना और पुलियाओं और पुलों का पुनर्निर्माण, उन्हें चौड़ा करना और मजबूत बनाना शामिल है।

संस्थागत क्षमता का निर्माण

- ☛ इस परियोजना से सड़क डिजाइन और रखरखाव के लिए राज्य की संस्थागत क्षमता का निर्माण होगा और राज्य के सड़क उपक्षेत्र का रख-रखाव हो सकेगा और उसमें उपयुक्त नई प्रौद्योगिकी को शामिल किया जा सकेगा।

कृषि

कृषि कल्याण अभियान 2018

- ☛ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के उद्देश्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 1 जून, 2018 से 31 जुलाई, 2018 तक कृषि कल्याण अभियान की शुरुआत की है।
- ☛ इस अभियान के अंतर्गत किसानों को उन्नत तकनीक और आय में बढ़ोतरी करने के तरीकों के बारे में सहायता और जानकारी प्रदान की जाएगी।

मुख्य बिन्दु :

- ☛ कृषि कल्याण अभियान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जिले के 1000 से अधिक आबादी वाले 25 गांवों का चयन करेगा।
- ☛ यदि किसी जिले में गांवों की संख्या 25 से कम है तो उस जिले के सभी 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को इस अभियान के तहत लाभांशित किया जाएगा।
- ☛ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा तैयार कार्य योजना में निम्न विशिष्ट गतिविधियाँ शामिल हैं-
 - सभी किसानों में मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण
 - खुर और मुंह रोग (एफएमडी) से बचाव के लिए प्रत्येक गांव में 100% बोवाइन टीकाकरण।
 - भेड़-बकरियों में बीमारी से बचाव के लिए 100 फीसदी कवरेज।
 - सभी किसानों को दालों और तिलहन की मिनी किट वितरित करना।
 - प्रति परिवार 5 बागवानी या कृषि वानिकी या बांस के पौधे वितरित करना।
 - कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी देना।
 - प्रत्येक गांव में 100 एनएडीएपी किट का निर्माण।
 - बहु-फसली कृषि के तौर-तरीकों का प्रदर्शन।

- सूक्ष्म सिंचाई से जुड़े कार्यक्रमों का प्रदर्शन।

- ☞ चयनित गांवों में कार्यक्रमों का संचालन कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन, डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन, कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाएगा।
- ☞ जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र भी अभियान को लागू करने में सहायता करेंगे।
- ☞ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों और सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को कार्यक्रम की निगरानी करने एवं सहयोग करने के लिए भी चयनित किया गया है।

सूर्य शक्ति किसान योजना

- ☞ गुजरात सरकार ने बिजली की समस्या से निपटने के लिए अपने राज्य में सूर्य शक्ति किसान योजना (एसकेवाई) चलाने की घोषणा की है।
- ☞ सूर्य शक्ति किसान योजना किसानों और बिजली से जुड़ी हुई योजना है।
- ☞ इस योजना का लक्ष्य किसानों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है और इस राज्य में जो बिजली की कमी की समस्या है, उस समस्या को खत्म करना है।
- ☞ ये योजना 2018, जुलाई के महीने से इस राज्य में शुरू कर दी जाएगी।

योजना से जुड़ी जानकारी	
योजना का नाम	सूर्य शक्ति किसान योजना
किसके द्वारा शुरू की गई ये योजना	गुजरात राज्य
कब शुरू होगी ये योजना	2 जुलाई, 2018
योजना का लक्ष्य	बिजली की पैदावार बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना
योजना का बजट	870 करोड़ रुपए

सूर्य शक्ति किसान योजना का उद्देश्य :

- ☞ इस योजना को स्टार्ट करने का उद्देश्य इस राज्य की बिजली की कमी को पूरा करना है और किसानों की आय में वृद्धि लाना है।
- ☞ सूर्य शक्ति किसान योजना के लागू होने से इस राज्य में किसानों द्वारा हर वर्ष लगभग 175 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी और ऐसा होने से इस राज्य की बिजली समस्या को कम करने में सरकार को मदद मिलेगी।

सूर्य शक्ति किसान योजना के लाभ :

- ☞ सोलर पैनल लगाने के बाद जो बिजली इनसे उत्पन्न होगी उसका इस्तेमाल किसान खुद के लिए कर सकेंगे और ऐसा होने पर किसानों को बिना कोई बिजली कनेक्शन लिए मुफ्त में बिजली मिल सकेगी।
- ☞ इस योजना के मुताबिक खुद से बनाई गई बिजली को किसान सरकार को बेच भी सकेंगे और ऐसा होने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
- ☞ सरकार द्वारा इन किसानों से ये बिजली 7 रुपए प्रति यूनिट के दर के हिसाब से खरीदी जाएगी।
- ☞ हालाँकि बिजली खरीदने की ये दर 7 सालों के लिए निर्धारित है। 7 सालों के बाद सरकार किसानों से 18 वर्ष तक 3.5 रुपए के हिसाब से बिजली खरीदेगी।
- ☞ गुजरात सरकार के मुताबिक जो भी बिजली, सोलर पैनल से उत्पन्न होगी उसमें से केवल 26% बिजली की जरूरत ही किसानों को पड़ेगी और बाकी के 74 % बिजली सरकार को किसान बेच सकेंगे।

किस तरह से दी जाएगी सब्सिडी

- ☞ सूर्य शक्ति किसान योजना के तहत सोलर पैनल लगाने में जो खर्चा आएगा उस खर्चे में से 5% खर्चा किसान द्वारा किया जाएगा और 60 % खर्च राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, जबकि बची 35 % राशि को किसान को कर्ज के रूप में बैंक से लेना होगा।

ब्याज दर

- ☞ किसानों को ये कर्ज की राशि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से लेनी होगी और ये कर्जा किसानों को 4.5 से लेकर 6% की ब्याज दरों पर दिया जाएगा।

योजना का बजट

- ☞ सूर्य शक्ति किसान योजना को 25 वर्ष की अवधि तक चलाया जाएगा और इस अवधि को दो वर्षों में बांटा गया है, जिसमें से एक अवधि 7 वर्ष की होगी और दूरी अवधि 18 वर्ष की होगी।
- ☞ 25 वर्ष की अवधि तक चलने वाली इस बिजली योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा 870 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- ☞ गुजरात राज्य की सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली ये योजना किसानों के साथ साथ सरकार के लिए भी फायदेमंद होगी।
- ☞ इस योजना से जुड़कर किसान खुद के लिए बिजली उत्पन्न कर सके और बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकेंगे।

न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

- किसानों की आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2018-19 सत्र के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
- जिसमें धान सहित **14 खरीफ फसलों** का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है।

एमएसपी की वर्तमान प्रणाली

- एमएसपी वो कीमत होती है जिससे सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। सरकार ने एसएसपी निर्धारित करने से पहले ए 2+ एफएल फॉर्मूला अपनाया है।
- ए 2+ फॉर्मूले के तहत फसल की बुआई पर होने वाले कुल खर्च और परिवार के सदस्यों की मजदूरी शामिल होती है। हालांकि किसानों की मांग थी कि सी 2 फॉर्मूले के तहत लागत तय की जाए।

इन तीन फॉर्मूले से निकाली जाती है फसल की लागत

- ए 2+ एफएल :** इस फॉर्मूले के तहत परिवार के सदस्यों का मेहनताना भी जोड़ा जाता है।
- ए 2- :** इस फॉर्मूले के तहत किसान किसी भी तरह का भुगतान करते हैं तो उन सबका खर्च जोड़ा जाता है। मसलन किसान द्वारा बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, ईंधन, सिंचाई का खर्च सब जोड़ा जाता है।
- सी-2:** इस फॉर्मूले के तहत उस जमीन की कीमत भी जोड़ी जाती है जिसमें फसल उगाई गई हो।
- इसमें जमीन का किराया व जमीन तथा खेतीबाड़ी के काम में लगी स्थाई पूंजी पर ब्याज को भी शामिल किया जाता है।
- इसमें कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है। यह लागत ए 2+ एफएल के ऊपर होती है।

क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य?

- अत्यधिक उत्पादन से कृषि उत्पादों के मूल्यों में भारी गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार मुख्य फसलों का एक न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारित करती है जो उस सत्र के लिए मान्य होता है।
- कृषि उत्पादों के मूल्यों में किसी तीव्र गिरावट को रोकने के लिए यह सरकार का एक सराहनीय हस्तक्षेप है।
- भारत सरकार द्वारा, **कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)** की अनुशंसाओं के आधार पर कुछ फसलों के बुवाई सत्र के आरम्भ में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की

घोषणा किये जाने का प्रावधान है।

- न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य किसान भाइयों को मजबूरीवश सस्ते कीमतों पर अनाज बिक्री से बचाना और **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)** के लिए खाद्यान्न की खरीद करना है।
- यदि किसी फसल के लिए बाजार मूल्य, बम्पर उत्पादन होने या बाजार में अधिकता होने के कारण घोषित मूल्य की तुलना में अत्यधिक गिर जाते हैं तो सरकारी एजेंसियां किसानों द्वारा प्रस्तुत की गई संपूर्ण मात्रा को घोषित किए गए न्यूनतम मूल्य पर खरीद लेती है।
- वर्तमान में सरकार 25 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है जिसमें **7 अनाज** (धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी); **5 दालें** (चना, अरहर, मूंग, उड़द, और मसूर); **8 तिलहन** (मूंगफली, सरसों, तोरिया, सोयाबीन के बीज, कुसुम्भी (Safflower) और **खुरसाणी** (Niger Seed); नारियल, कच्चा कपास, कच्चा जूट, गन्ना और वर्जीनिया फलू उपचारित तम्बाकू सम्मिलित है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर के सम्बन्ध में अनुशंसाएँ निर्मित करते समय सीएसीवी निम्न बिन्दुओं पर निर्भर करता है जो इस प्रकार है-

उत्पादक की लागत	इनपुट मूल्यों में परिवर्तन	इनपुट आउटपुट मूल्य समता	बाजार कीमतों की प्रवृत्तियाँ	सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव
मांग और आपूर्ति	अंतर फसल मूल्य समता	औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव	जीवन यापन लागत पर प्रभाव	अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति
<ul style="list-style-type: none"> किसानों द्वारा भुगतान किए गए और प्राप्त किए गए मूल्यों के बीच समता और निर्गम मूल्यों पर प्रभाव। 				

- ध्यान रहे आयोग जिले, राज्य और देश के स्तर पर लघु - स्तरीय आंकड़ों एवम समग्र आंकड़ों का उपयोग करते हुए मूल्यनिर्धारण करता है।

कृषि से 23% ग्रामीण आय : नाबार्ड

- नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ऑल इंडिया ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, कृषि (खेती) ग्रामीण आय में केवल 23% उत्पन्न करती है यानी भारत में ग्रामीण घरेलू आय का 1/3 भी नहीं।
- तथाकथित कृषि घरों के लिए भी, उनकी औसत आय का 43% से अधिक फसलों की खेती और जानवरों की देखभाल से आता है। सर्वेक्षण का संदर्भ अवधि

2015-17 थी।

नाबार्ड सर्वेक्षण का मुख्य बिन्दु :

- “ग्रामीण” की परिभाषा व्यापक है, जिसमें 50,000 से कम आबादी वाला राजस्व गांव और अर्द्ध-शहरी केंद्र शामिल है।
- कम से कम एक सदस्य कृषि में स्व-नियोजित है जिसका वार्षिक उत्पादन 5,000 रुपये से अधिक नहीं है।
- शेष 11.10 करोड़ परिवार (लगभग 52%) गैर-कृषि कार्य से जुड़ा है।
- इसका उच्चतम हिस्सा (3,504 रुपये) मजदूरी श्रम (कृषि और गैर-कृषि दोनों) के लिए जिम्मेदार था, इसके बाद सरकारी या निजी सेवा नौकरियां (1,906 रुपये) आती है।
- कृषक परिवारों में, खेती और पशुधन पालन से औसत आय का हिस्सा 43% से अधिक था। शेष 57% आय गैर कृषि स्रोतों से थी।

सर्वेक्षण का महत्व :

- यह 2012-17 के लिए आयोजित कृषक परिवारों के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) स्थिति आकलन सर्वेक्षण के पहले निष्कर्षों की पुनः पुष्टि की है।
- हालांकि दोनों सर्वेक्षणों में पद्धतिगत मतभेद थे, लेकिन वे ग्रामीण भारत के समान तथ्य को उजागर करते हैं, दोनों खेतों में शामिल परिवारों के हिस्से और आय स्रोतों के विविधीकरण के मामले में भी कम कृषि आय का मापन करते हैं।

आईसीएआर का सम्मेलन

संदर्भ :

- तेजी सी बढ़ती आबादी को सतत आजीविका उपलब्ध कराने की चुनौती से निपटने के लिए और कृषि क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के लिए तथा कृषि क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित एवं आकर्षित करने पर (एमएवाईए) नई दिल्ली में 30 अगस्त, 2018 को दो दिवसीय सम्मेलन आरंभ किया गया।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- कृषि विकास खास कर देश में खाद्य सुरक्षा के नजरिए से ग्रामीण युवाओं के महत्व को समझते हुए आईसीएआर ने वर्ष 2015-16 के दौरान कृषि क्षेत्र में युवाओं के आकर्षण और उन्हें बनाए रखने (एआरवाईए) पर एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी।
- इस योजना के तहत 35 साल तक के ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ताकि शहरों की ओर पलायन कर रहे ग्रामीण युवाओं की संख्या को नियंत्रित किया जा सके।

- इस सम्मेलन का आयोजन ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस
- (टीएएस), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर),
- एमएस स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ),
- एशिया-प्रशांत कृषि अनुसंधान संस्थान संघ (एपीएएआरआई),
- स्किल इंडिया, भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई),
- कृषि विकास युवा पेशेवर (वाईपीएआरडी) और नाबार्ड ने मिलकर किया है।

कृषि निर्यात नीति 2018

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 06 दिसंबर 2018 को देश की पहली कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी प्रदान की।
- इस नीति का मकसद 2022 तक कृषि उत्पादों का निर्यात 60 अरब डॉलर करना है ताकि किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके। फिलहाल यह 37 अरब डॉलर है।

इस नीति से लाभ

- कृषि निर्यात नीति व्यवस्था के माध्यम से किसानों को निर्यात के अवसरों का लाभ मिलेगा।
- इस नीति से अधिकतर जैविक और प्रसंस्कृत आहार के निर्यात पर अंकुश समाप्त हो जाएगा तथा कृषि उत्पादों के निर्यात के कई रास्ते खुलेंगे।

उद्देश्य :

- कृषि निर्यात नीति का मकसद क्षेत्र से चाय, कॉफी, चावल व अन्य जिनसे निर्यात को बढ़ावा देना है।
- इससे वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु :

- नीति के तहत जैविक उत्पादों के निर्यात पर लगे सभी तरह के प्रतिबंधों को हटाने पर भी जोर दिया गया है।
- इस नीति के क्रियान्वयन में अनुमानित 1,400 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव होगा।
- प्याज जैसे घरेलू जरूरतों के कुछ प्रमुख कृषि उत्पादों को छोड़कर सभी जैविक और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों से निर्यात प्रतिबंध हटा लिया जाएगा।
- सरकार ने कृषि निर्यात दोगुना करने और भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने के मकसद से व्यापक कृषि निर्यात नीति बनाई है।
- इस नीति का मकसद अगले कुछ साल में 100 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है।

2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष

- ☛ खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) परिषद ने वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा-ज्वार दिवस के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- ☛ वर्तमान में रोम में चल रहे एफएओ परिषद के 160वें सत्र ने प्रस्ताव को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- ☛ केंद्र सरकार द्वारा ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है।
- ☛ इस फसल में ज्वार, बाजरा, रागी आते हैं और इन्हें पौष्टिक अनाज माना जाता है।
- ☛ खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से राज्य सरकारों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से ज्वार, बाजरा, मक्का खरीदने की अनुमति दी गई है।
- ☛ एफएओ परिषद ने वर्ष 2020 तथा वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के कार्यकारी बोर्ड में भारत की सदस्यता को भी स्वीकृति दे दी है।

खाद्य और कृषि संगठन परिषद के विषय में
<ul style="list-style-type: none"> ● खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लक्ष्य के साथ की गई थी।
<ul style="list-style-type: none"> ● विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (सीएफएस), खाद्य का उत्पादन, खाद्य तक पहुंच सहित विश्व खाद्य सुरक्षा विषयक नीतियों की समीक्षा और अनुपालन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तंत्र में एक मंच के रूप में कार्य करती है।
<ul style="list-style-type: none"> ● एफएओ के प्रथम महानिदेशक ब्रिटेन के जॉन ओर थे। इसके वर्तमान महानिदेशक सेनेगल के जैक्स डियोफ हैं।
<ul style="list-style-type: none"> ● इस संगठन को सदस्य देशों के सम्मेलन द्वारा शासित किया जाता है।
<ul style="list-style-type: none"> ● भारत एफएओ और सीएफएस, दोनों का सदस्य है। विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (सीएफएस) डब्ल्यूएफएस कार्य-योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करती है।
<ul style="list-style-type: none"> ● एफएओ का मुख्यालय रोम में स्थित है। वर्तमान में इस संस्था के 194 सदस्य हैं।

उद्योग

एमएसएमई पोर्टल

- ☛ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, भारत की केंद्र

सरकार जल्द ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए नौकरी पोर्टल लॉन्च करेगी।

- ☛ पोर्टल के साथ 4.40 लाख लोग पंजीकृत हैं, जिसमें 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों में प्रशिक्षित लोगों को शामिल किया गया है।
- ☛ मौजूदा 18 केंद्रों के अलावा, हमारे पास 15 और केन्द्र आ रहे हैं जो उन लोगों को चुनेंगे। जो स्कूल छोड़ चुके हैं और उच्च योग्य पेशेवर हैं।
- ☛ सरकार उम्मीद करती है कि यह दिलचस्प परिणाम उत्पन्न करे और अधिक रोजगार प्रदान करे।
- ☛ राष्ट्रीय सम्मेलन “उद्योग संगम, 2018” में लगभग 2,300 प्रतिनिधि होंगे, जिनमें छोटे व्यवसाय, स्टार्ट-अप, वित्तीय कंपनियां, बैंक और एनबीएफसी शामिल हैं।
- ☛ सम्मेलन में लगभग 800 युवा उद्यमियों और महिलाओं के लिए एक अलग सत्र होगा, जो अपने स्वयं के व्यवसाय स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।
- ☛ सम्मेलन का उद्देश्य एमएसएमई के विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और भागीदारी को प्रोत्साहित करना और नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।

अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा

- ☛ भारत सरकार ने अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास(एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 अधिनियमित किया है जिसके अनुसार अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा निम्नवत है:-
- ☛ किसी वस्तु के निर्माण अथवा उत्पादन, प्रसंस्करण अथवा परिरक्षण करने वाले उद्यम की परिभाषा निम्न है-
 1. अति लघु (माइक्रो) उद्यम वह होता है जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश 25 लाख तक होता है;
 2. लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी पर निवेश 25 लाख से अधिक किंतु 5 करोड़ से अधिक नहीं होता;
 3. मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी पर व्यय 5 करोड़ से अधिक किंतु 10 करोड़ से अधिक नहीं होता।
- ☛ उक्त उद्यमों के मामले में संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश उनकी मूल लागत होती है। जिसमें भूमि तथा भवन एवं लघु उद्योग मंत्रालय के 5 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना में उल्लिखित मदें शामिल नहीं होती।
- ☛ वे उद्यम जो सेवा प्रदान करने अथवा उपलब्ध कराते हैं था जिनका उपस्करों उपकरणों में निवेश (मूल लागत भूमि, भवन तथा फर्नीचर, फिटिंग्स एवं एमएसएमईडी अधिनियम 2006 में अधिसूचित उन मदों को छोड़कर जिनको प्रदान की जा रही सेवा से सीधा संबंध नहीं है), का विवरण

निम्नवत है:-

1. अति लघु (माइक्रो) उद्यम वह होता है जिसमें उपस्करों/उपकरणों पर निवेश 10 लाख से अधिक नहीं होता है;
2. लघु उद्यम वह है जिसमें उपस्करों/उपकरणों पर निवेश 10 लाख से अधिक किंतु 2 करोड़ से अधिक नहीं होता;
3. मध्यम उद्यम वह है जिसमें उपस्करों/उपकरणों पर व्यय 2 करोड़ से अधिक किंतु 5 करोड़ से अधिक नहीं होता।

केवीआईसी (ई-मार्केटिंग)

- ☞ खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने नई दिल्ली में खाद इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (केआईएमआईएस) नामक अपनी इन-हाउस विकसित, एक ई-मार्केटिंग प्रणाली लॉन्च की।
- ☞ खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए देश में कहीं भी सिस्टम से पहुंचा जा सकता है।

केवीआईसी के कार्य-

- ☞ यह ग्रामीण इलाकों में खादी और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना, प्रचार, आयोजन और कार्यान्वयन करता है।
- ☞ यह कच्चे माल के भंडार बनाता है और उन्हें उत्पादकों को आपूर्ति करता है, कच्चे माल और अर्द्ध तैयार वस्तुओं की प्रसंस्करण के लिए सामान्य सेवा सुविधाएं बनाता है।
- ☞ यह खादी उत्पादों की बिक्री और विपणन को बढ़ावा देता है।
- ☞ यह खादी इंडस्ट्रीज में उत्पादन तकनीकों और उपकरणों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।

खादी संस्थान प्रबंधन/सूचना प्रणाली, किमिस के बारे में

- ☞ किमिस बिक्री और खरीद के लिए इन-हाउस सिंगल छतरी बिलिंग सॉफ्टवेयर के रूप में काम करेगा, जिसकी निगरानी भारत के किसी भी हिस्से से की जा सकती है।
- ☞ इसे केवीआईसी आईटी टीम द्वारा विकसित किया गया है। यह बिक्री के वास्तविक समय के डेटा देगा और खादी भवनों और गोदामों के शेषों की अद्यतन स्थिति भी देगा, जिससे सूची की बेहतर योजना और नियंत्रण की अनुमति मिल सकेगी।
- ☞ केवीआईसी के 480 खादी संस्थान और शोरूम इस बिलिंग सॉफ्टवेयर से जुड़े होंगे। उच्च मांग में माल की मांग और आपूर्ति बढ़ाने में सॉफ्टवेयर उपयोगी होगा।

खादी/ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के बारे में

- केवीआईसी खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- यह माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के तहत एक शीर्ष संगठन है।

विश्वास पटेल: भुगतान परिषद् के अध्यक्ष

- ☞ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में इफिबैम एवेन्यू के निदेशक विश्वास पटेल को नियुक्त किया है।
- ☞ पटेल 2013 में इफिबैम एवेन्यू स्थापना के बाद पीसीआई से जुड़े रहे हैं और पीसीआई के सह-अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।
- ☞ पीसीआई ने अपने नए सह-अध्यक्ष के रूप में, हिताची भुगतान सेवाओं के प्रबंध निदेशक, लॉनी एंटनी को भी नियुक्त किया है।

भारत की भुगतान परिषद् (पीसीआई)

- ☞ पीसीआई भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष गैर-सरकारी निकाय है।
- ☞ यह भारत में डिजिटल भुगतान उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2013 में आईएमएआई के तहत गठित किया गया था।
- ☞ यह विभिन्न विनियमित गैर-बैंकिंग भुगतान उद्योग के प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करने और भुगतान और निपटान प्रणाली में विभिन्न उद्योग स्तर के मुद्दों और बाधाओं को हल करने में मदद के लिए गठित किया गया था।
- ☞ यह भुगतान उद्योग विकास और 'नकद से कम नकद सोसाइटी' और 'वित्तीय समावेशन की वृद्धि' के समर्थन लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए अपने सभी सदस्यों के साथ काम करता है, जिसे भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा साझा किया गया दृष्टिकोण भी है।
- ☞ इसी तरह की सरकार, विभाग, निकायों या संस्थानों को 'भारत को कम नकद समाज' बनाने के लिए।

आईएमएआई के बारे में:

- इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएमएआई) भारत में डिजिटल कारोबार के पूरे मैदान का प्रतिनिधित्व करने की महत्वाकांक्षाओं के साथ एक युवा और जीवंत सहयोग है।

- यह 2004 में अग्रणी ऑनलाइन प्रकाशकों द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में मोबाइल सामग्री और सेवाओं, ऑनलाइन प्रकाशन, मोबाइल विज्ञापन, ऑनलाइन विज्ञापन, ईकॉमर्स और मोबाइल और डिजिटल सहित डिजिटल और ऑनलाइन उद्योग का सामना करने वाली चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए आया है।
- दूसरों के बीच भुगतान यह एकमात्र व्यावसायिक उद्योग निकाय है। जो भारत में ऑनलाइन और मोबाइल वीएस उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है।
- एसोसिएशन सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है और महाराष्ट्र में एक मान्यता प्राप्त धर्मार्थ संस्थान है।

एचएएल ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर पीएसयू

- सरकार के स्वामित्व वाली एयरोस्पेस और रक्षा निर्माता हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (एचएएल) आरएक्सआईएल ट्रेड्स मंच पर लेनदेन करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसयू) बन गया।
- इसने नासिक-आधारित एमएसएमई (माइक्रो श्रेणी) विक्रेता उद्योग द्वारा अपलोड किए गए डिजिटल चालान को स्वीकार कर आरएक्सआईएल ट्रेड्स मंच पर अपना पहला डिजिटलीकृत चालान छूट लेनदेन निष्पादित किया।
- **नोट :** इस लेनदेन को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

आरएक्सआईएल-ट्रेड्स मंच

- टीआरडीएस कई फाइनेंसर्स के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संस्थागत तंत्र है।
- आरएक्सआईएल (RxIL) जनवरी 2017 के बाद से भारत का पहला टीआरडीएस मंच है।
- इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है।
- यह एमएसएमई को अपनी दृश्यता और समयबद्धता के साथ अपने प्राप्तियों के नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- अक्टूबर 2017 में, केंद्र सरकार ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) विक्रेताओं को भुगतान की सुविधा के लिए टीआरडीएस मंच में शामिल होने के लिए सभी प्रमुख पीएसयू को अनिवार्य किया था।

स्टार्ट-अप इंडिया का अकादमिक गठबंधन

- देश में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने संबंधी भारत सरकार के मिशन को पूरा करने के लिए स्टार्ट-अप इंडिया ने 'स्टार्ट-अप अकादमिक गठबंधन' कार्यक्रम शुरू किया है
- यह अकादमिक विद्वानों और समान कार्य क्षेत्रों (डोमेन) में कार्यरत स्टार्टअप्स के बीच एक अनूठा मार्गदर्शन अवसर उपलब्ध कराता है।

कार्यक्रम का उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और उसके औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच के अंतर को कम करना है ताकि इन प्रौद्योगिकियों की प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सके और इसके साथ ही इनके प्रभावों या असर का दायरा बढ़ाया जा सके।
- शिक्षाविदों और उद्योग जगत के बीच एक सेतु सृजित करते हुए इस गठबंधन का उद्देश्य स्टार्ट-अप परितंत्र के हितधारकों के बीच टिकाऊ संपर्क सृजित करना और उस तृतीय स्तंभ को क्रियान्वित करना है। जिस पर स्टार्ट-अप इंडिया की कार्य योजना आधारित है।
- 'स्टार्ट-अप अकादमिक गठबंधन' के लिए आवेदनों को स्टार्ट-अप इंडिया हब के जरिए प्राप्त किया गया।

स्टार्टअप इंडिया हब

- पूरे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक संपर्क स्थान का निर्माण जिससे ज्ञान का आदान-प्रदान एवं वित्त पोषण हो सके।
- सरकार मुख्य हितधारक होगी एवं केंद्र तथा राज्य सरकारों, भारतीय और विदेशी पूंजीपतियों, एंजेल नेटवर्क, बैंकों, इन्व्यूबेटर्स, कानूनी भागीदारों, सलाहकारों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगी।
- इसके तहत उन स्टार्टअप्स का पता लगाने पर विशेष जोर दिया गया। जो विभिन्न क्षेत्रों की गंभीर समस्याएं सुलझाने के लिए अभिनव समाधानों को उपयोग में लाते हैं।
- इस दिशा में मार्गदर्शन संबंधी सत्रों की शुरुआत हो चुकी है और यह उम्मीद की जा रही है कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अनुभवी अनुसंधान विद्वानों की विशेषज्ञता एवं अंतर्दृष्टि से स्टार्ट-अप्स काफी लाभान्वित होंगे।

भूमिका :

- यह कार्यक्रम भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्ट-अप्स और नये विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र Startup India का निर्माण करना

है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो एवं बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों।

- स्टार्ट-अप इंडिया की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2015 के भाषण में की गयी थी।
- ये सरकार द्वारा देश के युवाओं की मदद करने के लिये एक प्रभावी योजना है।

स्टार्टअप की परिभाषा

- स्टार्टअप एक ऐसी इकाई है, जो भारत में 5 साल से अधिक समय से पंजीकृत नहीं है और जिसका सालाना कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।
- यह एक इकाई है जो प्रौद्योगिकी या बौद्धिक सम्पदा से प्रेरित नये उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास, प्रविस्तारण या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है।
- इकाई पहले से अस्तित्व में रहे व्यापार के विखंडन/पुनर्निर्माण द्वारा गठित नहीं की गई हो।
- इकाई एक स्टार्टअप के तौर पर नहीं मानी जाएगी यदि पिछले वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार 25 करोड़ रुपये से अधिक हो या उसने गठन की तिथि से 5 वर्ष पूरा कर लिया हो।
- स्टार्टअप अंतर मंत्रालयी बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कर लाभ के लिए योग्य होगा।

स्टार्ट-अप एक्शन प्लान मुख्य रूप से इन तीन बृहद भागों में विभाजित है:	
1.	सरलीकरण और प्रारंभिक सहायता
2.	समर्थन और प्रोत्साहन अनुदान
3.	उद्योग-शैक्षिकजगत (एकेडेमिया) भागीदारी और उद्भवन

स्टार्ट-अप एक्शन प्लान सरलीकरण प्रारंभिक सहायता

- स्व-प्रमाणन पर आधारित अनुपालन व्यवस्था
- मोबाइल अनुप्रयोग और पोर्टल को रॉल आउट करना
- कानूनी सहायता और कम दर पर पर तेजी से पेटेंट परीक्षण
- स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक खरीद के शिथिलीकृत मानदंड
- स्टार्टअप्स के लिए त्वरित निकासी
- स्टार्टअप्स के लिए धन की व्यवस्था
- स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी
- कैपिटल गेन पर कर में छूट
- स्टार्टअप्स को 3 वर्ष के लिए टैक्स छूट

योजना की प्रमुख बातें :

- स्टार्ट-अप कारोबारियों द्वारा कमाये जाने वाले मुनाफे पर

व्यवसाय शुरू होने के पहले 3 साल तक इनकम टैक्स से छूट होगी।

- ऐसे उद्यमों में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों द्वारा किए गए निवेश के बाद अपनी संपत्ति बेचने पर 20% की दर से लगने वाले पूंजीगत लाभ टैक्स से भी छूट होगी। यह छूट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उद्यम पूंजीकोषों के निवेश पर भी उपलब्ध होगी।

वार्षिक इन्क्यूबेटर ग्रैंड चैलेंज	
1.	इन्क्यूबेटर एक प्रभावी स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रारंभिक चरण में स्टार्ट-अप्स की पहचान करने और उन्हें अपने जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2.	सरकार पहले चरण में विश्व स्तर के इन्क्यूबेटर्स के निर्माण की दिशा में निवेश करने का प्रस्ताव कर रही है।
3.	शुरुआती लक्ष्य ऐसे 10 इन्क्यूबेटर्स की स्थापना करना है।
4.	इसके लिए सरकार विश्व स्तरीय बनने के लायक 10 संभावित इन्क्यूबेटर्स की पहचान करेगी।
5.	इनमें से प्रत्येक को वित्तीय सहायता के रूप में 10 करोड़ रुपये दिये जायेंगे और ये इस तरह के अन्य इन्क्यूबेटर्स के लिए संदर्भ मॉडल बनेंगे। इसके बाद इनको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।
6.	ऐसे इन्क्यूबेटर्स की पहचान के लिए ग्रैंड चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी और इसे वार्षिक रूप से जारी रखा जाएगा।

- सरकार की ओर से एक राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट लायक कंपनी बनाने का प्रस्ताव है जिसमें अगले 4 साल तक सालाना 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया जाएगा।
- पेटेंट पंजीकरण में इन उद्यमों के पंजीकरण शुल्क में 80% छूट दी जायेगी।
- दिवाला कानून में स्टार्ट अप उद्यमों को कारोबार बंद करने के लिए सरल निर्गम विकल्प देने का प्रावधान भी किया जायेगा।
- इसके तहत 90 दिन की अवधि में ही स्टार्ट अप अपना कारोबार बंद कर सकेंगे।
- छात्रों के लिए नवाचार के कोर्स शुरू किये जायेंगे और 5 लाख विद्यालयों में 10 लाख बच्चों पर फोकस करके इसको बढ़ाया जायेगा।
- स्व:प्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था से स्टार्टअप पर नियामकीय बोझ कम होगा।
- स्टार्ट-अप को वित्तपोषण का समर्थन देने के लिये प्रारंभ में सरकार 2,500 करोड़ रुपये का शुरुआती कोष बनाएगी,

जिसमें अगले 4 साल के दौरान कुल 10,000 करोड़ रुपये का कोष सृजन होगा।

- ☛ दुनियाभर में स्टार्ट-अप की तीसरी बड़ी संख्या भारत में है।
- ☛ इसमें महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है।

कंपनी कानून-2013

- ☛ कंपनी कानून-2013 और संबद्ध मामलों के अंतर्गत अपराधों से निपटने के लिए वर्तमान ढांचे की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा जुलाई, 2018 में गठित समिति ने कॉर्पोरेट अनुपालन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

- ☛ समिति ने सभी दंड विषयक प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण किया, जिन्हें अपराधों की प्रकृति के आधार पर उस समय 8 श्रेणियों में बांट दिया गया था।
- ☛ समिति का मानना था कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉर्पोरेट के बेहतर अनुपालन को बढ़ावा देने के दोहरे मकसद को पूरा किया जा सकेगा।
- ☛ इससे विशेष अदालतों में दायर मुकदमों की संख्या भी कम होगी, जिसके बदले में गंभीर अपराधों का तेजी से निपटारा होगा और गंभीर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज हो सकेगा।
- ☛ कॉर्पोरेट धोखेबाजी से जुड़ा अनुच्छेद 447 उन मामलों पर लागू रहेगा, जहां धोखेबाजी पाई गई है।
- ☛ रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को न्यायाधिकरण के समक्ष मौजूद शमनीय अपराधों की संख्या में पर्याप्त कटौती के जरिए मुक्त करने की सिफारिश की गई है।
- ☛ इसके अलावा रिपोर्ट में कॉर्पोरेट शासन प्रणाली जैसे कि व्यवसाय शुरू करने की घोषणा, पंजीकृत कार्यालय का संरक्षण, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा, पंजीकरण और शुल्क प्रबंधन, हितकारी स्वामित्व की घोषणा और स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है।

समिति की प्रमुख सिफारिशें

1. नियमित अपराधों के मामले में निर्णय देने से विशेष अदालतों को छुटकारा दिलाने के लिए कॉर्पोरेट अपराधों की नये सिरे से समीक्षा :
 - ☛ 81 शमनीय अपराधों में से 16 को विशेष अदालतों के अधिकार क्षेत्र से हटाकर आंतरिक ई-निर्णय के लिए अपराधों की नई श्रेणियां बनाना, जहां अधिकृत निर्णय अधिकारी

(कंपनियों के रजिस्ट्रार) चूककर्ता पर दंड लगा सकेंगे।

- ☛ शेष 65 शमनीय अपराध अपने संभावित दुरुपयोग के कारण विशेष अदालतों के अधिकार क्षेत्र में ही रहेंगे।
- ☛ इसी प्रकार गंभीर कॉर्पोरेट अपराधों से जुड़े सभी अशमनीय अपराधों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने की सिफारिश की गई है।
- ☛ फैसलों का ई-निर्णय और ई-प्रकाशन करने के लिए पारदर्शी ऑनलाइन मंच तैयार करना।
- ☛ दंड लगाने के समय पर चूक साबित करने के लिए सहवर्ती आदेश को अनिवार्य करना, ताकि बेहतर तरीके से पालन हो सके।

2. एनसीएलटी को मुक्त करना

- ☛ कंपनी कानून-2013 के अनुच्छेद 441 के अंतर्गत अपराधों की शमनीयता के लिए वित्तीय सीमाओं को बढ़ाने के साथ क्षेत्रीय निदेशक का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर।
- ☛ अनुच्छेद 2(41) के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय वर्ष में बदलाव को मंजूरी देने की केन्द्र सरकार को अधिकार प्रदान करना।
- ☛ कानून के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनियों को निजी कंपनियों में बदलकर।

3. कॉर्पोरेट अनुपालन और कॉर्पोरेट शासन से जुड़ी सिफारिशें

- ☛ 'मुखौटा कंपनियों' से बेहतर तरीके से निपटने के व्यावसायिक प्रावधानों की दोबारा शुरुआत की घोषणा करना।
- ☛ सार्वजनिक जमा के संबंध में बृहत्तर प्रकटीकरण, खासतौर से ऐसे लेन-देन के संबंध में जिसे कानून के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत सार्वजनिक जमा की परिभाषा से मुक्त कर दिया गया है, ताकि जनहित के नुकसान को रोका जा सके।
- ☛ कंपनी के एक बार अनुच्छेद 90(7) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व से जुड़े प्रतिबंध हासिल करने पर, ऐसे शेयरों के संबंध में जिनके स्वामित्व का पता नहीं है, ऐसे शेयरों को निवेशक शिक्षा और सर्वेक्षण कोष को हस्तांतरित कर दिए जाने चाहिए, यदि असली स्वामी ऐसे प्रतिबंधों का एक वर्ष के भीतर स्वामित्व का दावा नहीं करता।
- ☛ पंजीकरण नहीं करने की प्रक्रिया के लिए पंजीकृत कार्यालय का रखरखाव नहीं करना।
- ☛ स्वीकृति योग्य सीमा के बाहर निदेशक का पद रखना, ताकि ऐसे निदेशकों को अयोग्य ठहराया जा सके।
- ☛ स्वतंत्र निदेशकों की आय के प्रतिशत के मामले में मेहनताने की सीमा लागू करना ताकि किसी प्रकार के वित्तीय संबंधों से बचा जा सके, जो कंपनी के बोर्ड में उसकी स्वतंत्रता

को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

एनपीसीसी को मिनीरल कंपनी का दर्जा

- नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनपीसीसी) को भारत सरकार द्वारा मिनीरल श्रेणी-1 का सम्मानित दर्जा प्रदान किया गया है।
- एनपीसीसी को मिनीरल का दर्जा हासिल होने से निदेशक मंडल की शक्तियों में वृद्धि होगी। जिससे कंपनी तेजी से निर्णय ले सकेगी।
- एनपीसीसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में अनुसूची 'बी' का एक केन्द्रीय लोक-उद्यम है। जिसे हाल ही में आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

एनपीसीसी के विषय में

- नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनपीसीसी) की स्थापना वर्ष 1957 में की गई।
- राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक जनशक्ति एवं तकनीक उपलब्ध कराना और निजी क्षेत्र के लिए मूल्य नियंत्रक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना इसका उद्देश्य रहा है।

महारल कंपनी का अर्थ एवं पात्रता हेतु शर्तें

- सरकार द्वारा इस टाइटल की स्थापना 2009 में की गयी थी जिसका उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों (CAPASAE) को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व की बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना है।
- कंपनी को 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त होना चाहिए।
- पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना निवल संपत्ति 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होनी चाहिए।
- पिछले 3 सालों के दौरान औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होना चाहिए।
- वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति/ अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन्स होने चाहिए अर्थात् देश के अलावा कंपनी का कारोबार विदेश में भी होना चाहिए।
- भारत की 8 महारत्न कम्पनियां हैं: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

- सेबी के नियामकों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए।

नवरत्न कंपनी का अर्थ एवं पात्रता शर्तें

- नवरत्न को वर्ष 1997 में सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। इसमें उन सार्वजनिक कंपनियों को शामिल किया गया जिनमें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है।
- किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसे पहले मिनीरल का दर्जा प्राप्त होना चाहिए।
- इसके निदेशक मंडल के 4 स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है।
- नवरत्न कंपनी का दर्जा देकर इन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की गयी ताकि बाजार में देश की कम्पनियों को वैश्विक दर्जा प्राप्त हो सके।
- इस समय 'नवरत्न' का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 23 हो गयी है।
- पिछले 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित 6 दक्षता मानकों पर अपने प्रदर्शन के आधार पर कंपनी को कुल 100 अंकों में से 60 या उससे अधिक का कंपोजिट स्कोर प्राप्त हुआ हो- शुद्ध मूल्य पर शुद्ध लाभ, कुल उत्पादन/सेवा लागत पर मानव श्रम लागत, नियोजित पूंजी पर सकल मार्जिन, टर्नओवर पर सकल लाभ, प्रति शेयर आय, शुद्ध मूल्य पर शुद्ध लाभ पर आधारित अंतर-क्षेत्रीय तुलना।

● भारत की 16 नवरत्न कम्पनियां हैं:

1. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
2. भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड,
3. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड,
4. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड,
5. भारतीय पेट्रोलियम निगम लिमिटेड,
6. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड,
7. राष्ट्रीय एल्युमीनियम कं. लिमिटेड,
8. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड,
9. एनएमडीसी लिमिटेड,
10. नेवेली लिग्नाइट कॉर्पो. लिमिटेड,
11. ऑयल इंडिया लिमिटेड,
12. पावर फाइनेंस कॉर्पो. लिमिटेड,
13. पावर ग्रिड कॉर्पो. ऑफ इंडिया लिमिटेड,
14. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड,
15. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड,
16. भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड।

मिनी रत्न कंपनी का अर्थ एवं पात्रता शर्तें

- इसे दो वर्गों में बांटा गया है। मिनीरत्न कंपनी वर्ग-1 बनने के लिए कंपनी के पास पिछले 3 वर्षों से निरंतरता लाभ अर्जित करना चाहिये तथा 3 साल में एक बार 30 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया जाना चाहिए।
- मिनीरत्न वर्ग- 2 के लिए कंपनी द्वारा पिछले 3 साल से लगातार लाभ कमाया हो और उसकी नेट वर्थ सकारात्मक होनी चाहिए। दोनों वर्गों में कुल 75 कम्पनियां शामिल हैं।

पहली प्राइवेट यूएवी फैक्ट्री

- अडानी समूह तथा इजराइल की कंपनी एल्विट सिस्टम्स द्वारा संयुक्त रूप से भारत की पहली निजी मानव रहित विमान (यूएवी) निर्माण फैक्ट्री हैदराबाद में आरंभ की गई है।
- यह देश में इस प्रकार की पहली यूनिट है जिसमें निजी कम्पनियों द्वारा मानव रहित यान बनाए जायेंगे।
- अडानी एल्विट अडवांस्ड सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (AEASIL) के साथ मिलकर 12 यूएवी के पहले ऑर्डर को पूरा करेगी।
- अडानी एल्विट अडवांस्ड सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड इसकी जॉइंट वेंचर है।
- अडानी द्वारा यह फैक्ट्री चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए अपने 40 से ज्यादा इंजीनियरों को इजरायल भेजा गया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह फैक्ट्री हैदराबाद के निकट शमशाबाद में अडानी एयरोस्पेस पार्क में शुरू की गई है।
- यह फैक्ट्री 50,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैली हुई है, इसका निर्माण अडानी समूह तथा इजराइली कंपनी एल्विट सिस्टम्स ने किया है।
- इस फैक्ट्री में हमीज 900 UAV तथा हमीज 450 UAV के कार्बन कम्पोजिट ढाँचे का निर्माण किया जायेगा।
- इस फैक्ट्री में पूर्ण UAV के निर्माण व इंटीग्रेशन का कार्य भी किया जाएगा।
- वर्तमान में इस फैक्ट्री में निर्माण कार्य किया जायेगा, जबकि UAV का इंटीग्रेशन कार्य इजराइल में किया जायेगा। जहां उसमें सेंसर और एवियानॉक्स फिट किए जाएंगे।
- कंपनी की योजना हैदराबाद वाले कारखाने को केवल UAV बनाने तक सीमित रखने की नहीं है और इसे अगले साल अन्य सैन्य साजो-सामान बनाने के लिए अपग्रेड किया जाएगा।

मानव रहित विमान (यूएवी)

- मानव रहित विमान एक प्रकार का विमान है जिसे सैन्य अभियानों में शत्रु क्षेत्र की टोह लेने एवं आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण करने के लिये उपयोग में लाया जाता है।
- अन्य क्षेत्रों में इनका उपयोग भूमि एवं सागर के ऊपर उड़ते हुए सर्वेक्षण करने में भी किया जाता है।
- चूँकि इन विमानों को रिमोट कंट्रोल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन्हें किसी मानव चालक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है।
- अपनी विशेषताओं के कारण ही यह टोही विमान के रूप अत्यधिक उपयोग में लाये जाते हैं।
- इन विमानों को ड्रोन विमान भी कहा जाता है। ड्रोन अंग्रेजी का एक शब्द है और इसका अर्थ नर मधुमक्खी होता है।
- ड्रोन और प्रक्षेपास्त्र दोनों ही रिमोट संचालित होते हैं परन्तु इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ मानव रहित विमान को पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, प्रक्षेपास्त्र केवल एक बार के उपयोग के लिये ही होता है।

संरचना

100वां स्मार्ट सिटी शिलॉन्ग

- मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग का चयन 100वीं स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है।

- ❖ शिलॉन्ग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के आकलन के बाद ही इस शहर का चयन किया गया है।
- ❖ अब तक संबंधित प्रतिस्पर्धा के 4 दौर में 99 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया था।
- ❖ इससे पहले जनवरी 2016 में 20 शहरों, मई 2016 में 13 शहरों, सितम्बर 2016 में 27 शहरों, जून 2017 में 30 शहरों और जनवरी 2018 में 9 शहरों का चयन किया गया था।
- ❖ शिलॉन्ग के चयन के साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अंतिम रूप से चयनित 100 स्मार्ट सिटी में कुल प्रस्तावित निवेश 2,05,018 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।

नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड

- ❖ एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए भारत के राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचे कोष (NIIF) में 200 मिलियन डॉलर के निवेश को मंजूरी दे दी है।
- ❖ अभी यह 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा और बाकी 100 मिलियन डॉलर का निवेश बाद में करेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- ❖ भारत में 6 बुनियादी परियोजनाओं के लिए 1.2 बिलियन डॉलर के निवेश को मंजूरी दे दी गई है।
- ❖ यह मंजूरी भारत को एआईआईबी का सबसे बड़ा धन प्राप्तकर्ता देश बनाती है।

● एआईबीबी का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं को वित्त प्रदान करना है।
● इसकी स्थापना 2016 में की गई। इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 83 है।
● चीन के बाद भारत एआईबी में दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है।
● इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है।

राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा फंड

- ❖ एनआईआईएफ की स्थापना दिसंबर 2015 में देश के बुनियादी ढांचे क्षेत्र में वित्त पोषण को उत्प्रेरित करने के लिए की गई थी।
- ❖ यह श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) के साथ पंजीकृत है।
- ❖ इसे बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ निवेशकों के लिए जोखिम समायोजित रिटर्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से फंड संरचना के निधि के रूप में स्थापित किया गया है।

डिजिटल लेनदेन के लिए कैशबैक

- ❖ राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 29वीं बैठक में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए नकद प्रोत्साहनों को मंजूरी दे दी है।
- ❖ परिषद की बैठक की अध्यक्षता अंतरिम वित्त मंत्री ने की थी।
- ❖ इसने 100 रुपये प्रति लेनदेन के आधार मानक के अधीन रुपये और (बीएचआईएम) प्लेटफॉर्म का उपयोग करके व्यापारी-से-उपभोक्ता लेनदेन पर भुगतान किए गए डिजिटल लेनदेन के लिए 20% कैशबैक की घोषणा की है।

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु पायलट कार्यक्रम

- ❖ पायलट कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर किसी भी राज्य में लागू किया जाएगा।
- ❖ डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहित करने से सरकार द्वारा बेहतर डेटाबेस बनाए रखने में मदद मिलेगी, इस प्रकार अर्थव्यवस्था के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

एमएसएमई क्षेत्र

- ❖ जीएसटी परिषद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की चिंताओं और सुझावों पर भी ध्यान केंद्रित किया।
- ❖ इसने एमएसएमई द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए वित्त राज्य मंत्री के नेतृत्व में राज्य मंत्री (एमओएस) की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद (जीओएम) का गठन किया।
- ❖ यह एमएसएमई के लिए कर राहत के संबंध में सभी प्रस्तावों की जांच करेगा और जीएसटी परिषद को सिफारिशें करेगा। समूह अगले 6 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट जमा करेगा।

जीएसटी परिषद

- संविधान के अनुच्छेद 279-ए के अनुसार जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है।
- यह जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच है।
- केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा, केंद्रीय राज्य मंत्री (एमओएस) वित्त और मंत्री के राजस्व के प्रभारी कराधान या वित्त के प्रभारी या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कई अन्य मंत्री इसके सदस्य हैं।

डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर

- ❖ पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर (डब्ल्यू डीएफसी) और पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर (ईडीएफसी) के वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ होकर अगले 4 वर्षों में चरण-वार पूरा होने

के साथ ही भारतीय रेल के माल ढुलाई परिचालन में आमूल-चूल बदलाव आएगा।

पर्यावरणीय स्वीकृतियां

- कुल 10548 हैक्टेयर जमीन में 86 % का अधिग्रहण किया जा चुका है और 9 राज्यों तथा 61 जिलों से होकर गुजरने वाली इन परियोजनाओं के लिए ज्यादातर पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त की जा चुकी हैं।

रेलवे के परिचालनों में मूलभूत बदलाव

- दोनों परियोजनाओं के चालू होने से, ना सिर्फ रेलवे को माल ढुलाई या फ्रेट परिवहन में अपनी बाजार हिस्सेदारी को पुनः प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि साथ ही यह माल ढुलाई की कारगर, विश्वसनीय, सुरक्षित एवं किफायती व्यवस्था की भी गारंटी होगी।
- माल ढुलाई से संबंधित इन दो कॉरिडोरों के चालू होने से, परिवहन की इकाई लागत में कटौती होने, प्रबंधन की कम लागत होने और ऊर्जा की कम खपत से रेलवे के परिचालनों में मूलभूत बदलाव आएगा।

औद्योगिक कार्यकलापों में मदद

- रेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 में विशेष प्रयोजन संस्था के रूप में गठित किए गए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरों-पश्चिमी और पूर्वी रेल मार्गों के साथ बने रेलवे के बेहद भीड़भाड़ वाले स्वर्णिम चतुर्भुज को राहत पहुंचाएंगे और कॉरिडोरों के साथ नये औद्योगिक कार्यकलापों तथा मल्टी मॉडल मूल्यवर्द्धित सेवा केंद्रों को सहायता प्रदान करेंगे।

राजस्व के 58% का वहन

- भारतीय रेल के स्वर्णिम चतुर्भुज में दो विकर्णों (दिल्ली-चेन्नई और मुम्बई-हावड़ा) सहित चारों महानगरों दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और हावड़ा (कोलकाता) को जोड़ने वाला रेलवे नेटवर्क शामिल है।
- इसके कुल मार्ग की लम्बाई 10,122 किलोमीटर है और यह माल ढुलाई से रेलवे को प्राप्त होने वाले राजस्व का 58 % से अधिक हिस्सों का वहन करता है।

दीर्घकालिक अल्पनिवेश

- रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इसका मूलभूत कारण रेलवे में दीर्घकालिक अल्पनिवेश है।
- इसकी वजह से उपनुकूलित फ्रेट और यात्री यातायात तथा अल्प वित्तीय संसाधनों के साथ भीड़-भाड़ और अतिशय उपयोग में वृद्धि हुई है।

रेल की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा

- दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से रेलगाड़ी की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है।
- दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कार्यान्वयन में निम्न कार्बन मार्ग, विभिन्न तकनीकी विकल्पों को अपनाने पर ध्यान दे रहा है, जिससे अधिक ऊर्जा दक्षता के साथ इन्हें परिचालित किया जा सके।

चार और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) बनाने की योजना

- रेल मंत्रालय की 4 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) बनाने की योजना है और इनके लिए डीएफसीसीआईएल को प्रारंभिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण (पीईटीएस) का काम सौंपा गया है।
- ये अतिरिक्त कॉरिडोर करीब 2,330 किलोमीटर का पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर (कोलकाता-मुंबई), करीब 2,343 किलोमीटर का उत्तरी-दक्षिण कॉरिडोर (दिल्ली-चेन्नई), 1100 किलोमीटर का पूर्व तटीय कॉरिडोर (खड़गपुर-विजयवाड़ा) और लगभग 899 किलोमीटर का दक्षिणी कॉरिडोर (चेन्नई-गोवा) है।

बायोफ्यूल नीति 2018 लागू करने वाला पहला राज्य

- भारत सरकार के बाद राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति 2018 को लागू करने वाला देश में राजस्थान पहला राज्य बन गया है।
- भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 4 जून 2018 को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018 घोषित की गई है।

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 की मुख्य विशेषताएं

- नीति में जैव ईंधनों को 'आधारभूत जैव ईंधनों' यानी पहली पीढ़ी (1जी) जैव इथेनॉल और जैव डीजल तथा 'विकसित जैव ईंधनों' - दूसरी पीढ़ी (2जी) इथेनॉल, निगम के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) से लेकर ड्रॉप इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी (3जी) के जैव ईंधन, जैव सीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है ताकि प्रत्येक श्रेणी में उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।
- नीति में गन्ने का रस, चीनी वाली वस्तुओं जैसे - भुट्टा, कसावा, मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त बेकार अनाज जैसे गेहूं, टूटा चावल, सड़े हुए आलू के इस्तेमाल की अनुमति देकर इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाया

गया है।

- यह नीति गैर-खाद्य तिलहनों, इस्तेमाल किए जा चुके खाना पकाने के तेल, लघु गाद फसलों से जैव डीजल उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला तंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया गया है।

संभावित लाभ

● आयात निर्भरता कम होगी
● स्वच्छ पर्यावरण
● स्वास्थ्य संबंधी लाभ
● एमएसडब्ल्यू प्रबंधन
● ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचना निवेश
● रोजगार सृजन
● किसानों की अतिरिक्त आय

पृष्ठभूमि:

- देश में जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009 के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जैव ईंधनों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई थी।
- भारत में जैव ईंधनों का रणनीतिक महत्व है, क्योंकि ये सरकार की वर्तमान पहलों में एक हैं। इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल विकास के अनुकूल है और किसानों की आमदनी दोगुनी करने, आयात कम करने, रोजगार सृजन, कचरे से ईंधन सृजन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को जोड़ने का अवसर प्रदान करता है।

जल मार्ग परियोजना हेतु विश्व बैंक से समझौता

- आईडब्ल्यूआई ने बनारस से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर नौवहन को पूरी तरह बढ़ावा देने की दिशा में जलमार्ग विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ महत्वपूर्ण समझौता किया है।
- जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP) के लिए आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ तकरीबन 37.5 करोड़ डॉलर का ऋण समझौता हुआ है।
- बनारस से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग-1 (गंगा नदी) पर नौवहन को बढ़ावा देने को लेकर लगभग 80 करोड़ डॉलर वाली जेएमवीपी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद यह महत्वपूर्ण समझौता हुआ है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 हेतु 5369 करोड़ की मंजूरी

- राष्ट्रीय राजमार्ग की भांति भारत में पहले राष्ट्रीय जलमार्ग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गयी।
- केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग-एक (एनडब्ल्यू-1) के हल्दिया-वाराणसी खंड में नौवहन के विस्तार के लिए 5,369 करोड़ रुपये की जल विकास परियोजना (जेपीएमपी) को मंजूरी प्रदान की गई।
- इससे बुनियादी ढांचे के विकास अर्थात् मल्टी मॉडल और इंटर मॉडल टर्मिनल, रोल ऑन-रोल ऑफ (रो-रो) सुविधा, फेरी सेवाओं तथा नौवहन को प्रोत्साहन मिलेगा।

राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना के लाभ

- इसे बजटीय आवंटन तथा बांड निर्गम से प्राप्त राशि के जरिए जुटाया जाएगा।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 301 करोड़ रुपये (4.5 करोड़ डॉलर) होगी।

वाराणसी में अलकनंदा क्रूज सेवा आरंभ

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सितंबर 2018 को वाराणसी में अलकनंदा क्रूज सेवा का उद्घाटन किया।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस कदम को उठाया गया है।
- निजी कंपनी नॉर्डिक को इस क्रूज के संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- यह क्रूज प्रतिदिन देशी-विदेशी पर्यटकों को अस्सी घाट से पंचगंगा घाट तक, काशी के प्राचीन घाटों, सुबह-ए-बनारस और शाम को गंगा आरती का दर्शन करायेगी।
- क्रूज में दोपहर के वक्त पार्टी, बिजनेस मीटिंग, सेमिनार आदि के लिए बुक किया जा सकता है।
- इस पर रुद्राभिषेक जैसे आध्यात्मिक आयोजन भी कराए जाएंगे।

क्रूज की विशेषताएं :

- क्रूज में सफर के लिए एक व्यक्ति को 750 रुपये देने होंगे।
- यह दो मंजिला क्रूज 2000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है।
- क्रूज में 125 सीटें हैं, सफर के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकती है।
- क्रूज के अंदर पर्यटकों को अस्सी से पंचगंगा के बीच सभी घाटों के इतिहास की जानकारी टीवी प्रसारण के माध्यम से दी जाएगी।
- इस क्रूज के माध्यम से वाराणसी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

भारत में क्रूज सेवा

- भारत में एक अन्य क्रूज सेवा मुंबई से गोवा के मध्य अक्टूबर 2018 से आरंभ की जाएगी। इस शिप को आंग्रीया नाम दिया गया है।
- यह नाम मराठा नौसेना के पहले एडमिरल कन्होजी आन्ने के नाम पर रखा गया है।
- इस शिप में एक समय में 400 लोग सवार हो सकते हैं।
- यह भारत की पहली क्रूज सेवा है जिसकी अधिकारिक शुरुआत 1 अगस्त से की गई।

भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना के लिए परियोजना खर्च 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,435 करोड़ रुपये करने संबंधी संशोधन को मंजूरी दे दी है।
- संशोधित लागत अनुमानों में 635 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि में से चार सौ करोड़ रुपये प्रौद्योगिकी खर्च के लिए और 235 करोड़ रुपये मानव संसाधन पर खर्च के लिए होंगे।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- आईपीपीबी सेवाएं 1 सितंबर, 2018 से 650 आईपीपीबी शाखाओं और 3250 अभिगम इकाइयों और दिसंबर 2018 तक सभी 1.55 लाख डाकघरों (अभिगम इकाइयों) में उपलब्ध होंगी।
- परियोजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए आसानी से पहुंचने, वहन करने योग्य और विश्वसनीय बैंक का निर्माण करना, जहां बैंक नहीं है वहां इस बाधा को समाप्त करके वित्तीय समावेशन की दिशा में आगे बढ़ना और दरवाजे तक बैंकिंग सहायता के जरिए कम बैंकों वाली आबादी के वैकल्पिक खर्च को कम करना है।
- यह परियोजना सरकार की 'कम नगदी' वाली अर्थव्यवस्था की कल्पना को पूरा करेगी और साथ ही आर्थिक वृद्धि और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगी।
- आईपीपीबी की जबरदस्त आईटी रूपरेखा बैंक ग्रेड प्रदर्शन, धोखाधड़ी और जोखिम कम करने के मानकों तथा भुगतान और बैंकिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

आईपीपीबी सेवाएं:

- आईपीपीबी अपने प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों के जरिए भुगतान/वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगी जिन्हें डाक विभाग द्वारा कर्मचारियों/अंतिम मील के एजेंटों तक पहुंचाया जा सकेगा,

ताकि वे डाकिए के स्थान पर वित्तीय सेवाओं के अग्रदूत बन सकें।

- आईपीपीबी अपने अंतिम मील एजेंट (डाक कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवकों) को आईपीपीबी सेवाएं प्रदान करने के लिए सीधे उनके खाते में प्रोत्साहन/कमीशन का भुगतान करेंगी, ताकि वे ग्राहकों को आईपीपीबी डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर सकें।
- डाक घरों के साधनों को बढ़ाने के लिए आईपीपीबी द्वारा भुगतान किए गए कमीशन के एक हिस्से का डाक विभाग द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

ब्रॉड गेज का 100% प्रतिशत विद्युतीकरण

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय रेल के विद्युतीकरण से वंचित शेष ब्रॉड गेज (बड़ी लाइन) मार्गों के विद्युतीकरण के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है।
- इन मार्गों में 108 सेक्शन के तहत 13,675 मार्ग किलोमीटर (16,540 ट्रेक किलोमीटर) का कवरेज है।
- विद्युतीकरण का कार्य 12,134.50 करोड़ रुपये की लागत से 2021-22 तक पूरा किया जाना है।
- भारतीय रेल नेटवर्क पर बड़े मुख्य मार्गों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और यह मार्ग चालू है।
- पूरे नेटवर्क में बाधारहित रेल परिवहन की आवश्यकता पर विचार करते हुए यह आवश्यक है कि कर्षण परिवर्तन की आवश्यकता से उत्पन्न बाधाएं दूर की जाएं।

नीति आयोग का इंटरनेट कार्यक्रम

- नीति आयोग और आईबीएम ने 11 अक्टूबर 2018 को अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के तहत चुने गए छात्रों के लिए इंटरनेट कार्यक्रम की घोषणा की।
- इस इंटरनेट कार्यक्रम के तहत 38 छात्रों को दो सप्ताह का देय इंटरनेट मिलेगा।
- अटल विचार लैब (एटीएल) के 14 शिक्षकों को भी विभिन्न राज्यों जैसे असम, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार और अन्य राज्यों से चुना गया है।
- वे सब एक जगह एकत्रित होकर अपने विचारों, सहयोग और नये-नये आयामों पर चर्चा करेंगे।

कौशल प्रशिक्षण:

- इन छात्रों को कृत्रिम बुद्धिकता, इंटरनेट के बारे में, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में नए करियर के लिए कौशल सिखाया जाएगा।
- उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करने के अलावा, छात्रों को संकट के समय कार्यस्थल पर कौशल के बारे में भी

प्रशिक्षित किया जाएगा।

- यह पहल टेक्नोलॉजी के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में भावी नौकरियों के लिए अगली पीढ़ी को अपनाने के लिए आईबीएम की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- इस कार्यक्रम को और मजबूती देने के उद्देश्य से, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उनके तकनीकी कौशल को मजबूत करने और भविष्य की नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा।

अटल इनोवेशन मिशन
<ul style="list-style-type: none"> अटल इनोवेशन मिशन ने 2017 में अटल टिंकरिंग मैराथन का आयोजन किया जहां 5 क्षेत्रों- एग्रीटेक, स्वास्थ्य, स्मार्ट मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन - के शीर्ष 30 नवाचारों की पहचान की गई। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के तहत अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए देशभर से 1500 स्कूलों का चयन किया गया है।

छात्रों को विभिन्न अवसर:

- शीर्ष 30 टीमों के छात्रों को विभिन्न अवसरों जैसे छात्र नवप्रवर्तन (इनोवेटर) कार्यक्रम, भागीदार उद्योग जगत के साथ एटीएल बूटकैम्प, विश्व रोबोट ओलंपियाड (डब्ल्यूआरओ) जैसे वैश्विक नवाचार प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर और आईबीएम इंडिया के बेंगलुरु परिसर में इंटरशिप की पेशकश की गई है।
- आईबीएम इंटरशिप कार्यक्रम छात्रों के कौशल को विभिन्न नये गतिविधियों जैसे डिज़ाइन के लिए नए दृष्टिकोण, प्रोटोटाइप विकसित करने और समुदाय के मुद्दों के समाधान तथा उन्हें हल करने के लिए बढ़ाने पर केंद्रित है।

नीति आयोग:

- नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।
- 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया।
- यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा।
- नीति आयोग, केन्द्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी

परामर्श उपलब्ध कराएगा।

‘डिजी यात्रा’

- केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने 04 अक्टूबर 2018 को हवाई अड्डों पर विमान यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सेवा- ‘डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म’ की नीति जारी कर दी है।
- मंत्रालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विमान यात्रियों के लिए देश भर के हवाई अड्डों पर टिकट बुकिंग तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एकसमान व्यवस्था की है।

डिजी यात्रा

- इस प्रणाली के तहत यात्रियों का एक केन्द्रीयकृत प्रणाली के जरिए पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें डिजी यात्रा आईडी दी जाएगी।
- आईडी में यात्रियों का नाम, उनकी ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार ना होने की स्थिति में कोई अन्य पहचान पत्र का विवरण होगा।
- टिकट बुक कराते समय यात्री इस आईडी का इस्तेमाल कर सकेंगे।

डिजी यात्रा सेवा में क्या है विशेष?
<ul style="list-style-type: none"> हवाई यात्रियों के लिए सरकार ने डिजी यात्रा नाम की नई सुविधा शुरू की है। यात्री चेहरे और बायोमेट्रिक से एयरपोर्ट पर इंट्री कर सकेंगे। इसके लिए यात्रियों को आधार और पासपोर्ट के जरिए ऑनलाइन रजिस्टर करवाना होगा। यह पूरी तरह यात्रियों की मर्जी पर निर्भर करेगा। इससे अब यात्रियों को बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं होगी। “डिजीयात्रा” योजना, यूनिक आईडी जैसे भारतीय नागरिकों के आधार, पासपोर्ट या पैन कार्ड को पीएनआर की बुकिंग के लिए लिंक करेगी। बुकिंग के समय स्वचालित प्रणाली हवाई टिकट के साथ अद्वितीय पहचान (यूआईडी) लिंक करेगी।

इंदौर मेट्रो रेल परियोजना

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है।
- जिसमें बंगाली स्क्वायर-विजयनगर-एयरपोर्ट-पाटासिया-बंगाली स्क्वायर रिंग लाइन शामिल है।

- इस मार्ग की कुल लंबाई 31.55 किलोमीटर है जो इंदौर के सभी प्रमुख केंद्रों और शहरी क्षेत्रों को जोड़ेगा।
- रिंग लाइन पर स्टेशनों की संख्या 30 है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस परियोजना से इंदौर शहर में सुरक्षित, विश्वसनीय और वहनीय यातायात प्रणाली उपलब्ध होगी। जिसमें शहर के सभी प्रमुख केंद्र जुड़ेंगे।
- इससे दुर्घटनाओं, प्रदूषण, यात्रा के समय में कमी, ऊर्जा खपत, असामाजिक गतिविधियों में कमी आएगी तथा शहरी विस्तार और सतत विकास के लिए जमीन के इस्तेमाल में मदद मिलेगी।
- इस परियोजना की अनुमानित लागत 7500.80 करोड़ है और इसे 4 वर्ष में पूरा किया जाएगा।
- इस मेट्रो रेल गलियारे से रेलवे स्टेशन, बीआरडी स्टेशन, बसों के फीडर नेटवर्क, इंटरमीडियट पब्लिक ट्रांसपोर्ट तथा गैर-मोटरित यातायात के लिए बहुमॉडल समन्वय होगा।

भोपाल मेट्रो रेल परियोजना

समाचारों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है।
- इस परियोजना के तहत करोंद सर्कल से एम्स तक और भदभदा चौराहे से रत्नागिरि तिराहा तक दो रेल गलियारे बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लम्बाई 27.87 किलोमीटर होगी।
- इनमें से करोंद सर्कल से एम्स गलियारा 14.99 किलोमीटर और भदभदा चौराहे से रत्नागिरि तिराहा गलियारा 12.88 किलोमीटर का होगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भोपाल मेट्रो रेल परियोजना से भोपाल की 23 लाख की घनी आबादी वाले क्षेत्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।
- परियोजना के तहत बनाए जाने वाले दोनों रेल गलियारे बहु-मॉडल वाले होंगे जो रेलवे स्टेशनों से जुड़े होंगे।
- इन मेट्रो रेल स्टेशनों के लिए फीडर बस सेवा नेटवर्क उपलब्ध होगी।
- परियोजना को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के नाम से एक अलग कंपनी का गठन किया गया है।
- परियोजना के लिए वित्त पोषण केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से समान आधार पर किया जाएगा।
- कुछ हिस्सा यूरोपीय निवेश बैंक की ओर से भी दिया जाएगा।

सिक्किम में पहला एयरपोर्ट स्थापित

- प्रधानमंत्री ने 24 सितम्बर 2018 को सिक्किम के पाक्योंग में बने राज्य के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया।
- यह एयरपोर्ट राजधानी गंगटोक से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर है।

उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य लोगों को सस्ते में हवाई सफर उपलब्ध कराना और दूर-दराज के इलाकों को भी हवाई संचालन से जोड़ना है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- **स्थान:** पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा 4500 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है।
- **सामरिक स्थान:** भारत-चीन सीमा से करीब 60 किमी और सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 30 किमी दूर।
- **व्यय:** लगभग 605 करोड़ रुपये।
- **सामरिक प्रासंगिकता:** इसे उड़ान योजना से जोड़ा गया। आने वाले दिनों में मुख्य रनवे के बगल में 75 मीटर लंबी एक अन्य पट्टी के निर्माण के बाद भारतीय वायुसेना इस हवाई अड्डे पर विभिन्न प्रकार के विमान उतार सकेगी।
- **रनवे चौड़ाई:** एयरपोर्ट का रनवे 1.75 मीटर का है, जिसकी चौड़ाई 30 मीटर है।
- **यात्रा का समय:** पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों के लिए भी यह सफर कम से कम 4-5 घंटे बचाएगा।
- **यात्री क्षमता:** इसके 1.75 मीटर लंबे रनवे के साथ 116 मीटर का टैक्सीवे है, जिससे इस हवाई पट्टी पर एक ही समय में दो विमान उतारे जा सकते हैं।
- **कनेक्टिविटी:** इस एयरपोर्ट के बनने से सिक्किम के टूरिज्म, आर्थिक विकास को बल मिलेगा। सिक्किम अकेला ऐसा राज्य था, जिसके पास अपना कोई एयरपोर्ट भी नहीं था।
- **इंजीनियरिंग का चमत्कार:** हवाई अड्डे के निर्माण में अत्याधुनिक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है।
- 4,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बना यह हवाई अड्डा इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जा रहा है।
- **पर्यटन:** प्राकृतिक हरे-भरे पौधों, जंगलों, दर्शनीय घाटियों, पर्वतमालाओं और भव्य सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध सिक्किम पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगह है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- पाक्योंग हवाई अड्डा देश का 100वां हवाई अड्डा है।

- ☞ स्पाइसजेट एयरलाइन सबसे पहली उड़ान को अंजाम दी। विमान 4 कोलकाता से उड़ान भरी।
- ☞ पाक्योंग हवाई अड्डा केंद्र सरकार की 'उड़ान' (उड़ें देश का आम नागरिक) योजना में शामिल है। इसका निर्माण भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी (एएआई) ने किया है।
- ☞ ये एयरपोर्ट चीन सीमा के सबसे करीब है, लिहाजा भारत के लिए रणनीतिक तौर पर भी काफी काम आएगा।

पृष्ठभूमि:

- ☞ इस हवाई अड्डे की आधारशिला वर्ष 2009 में रखी गई थी। यहां से परिचालन शुरू होने के साथ ही सिक्किम पूरे देश से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा।
- ☞ इस योजना के तहत एक घंटे तक के सफर के लिए सिर्फ 2500-2600 रुपये ही देने होते हैं।
- ☞ सरकार के इस विजन के तहत हवाई यात्रा का किराया, रेलवे के सफर के किराए के बराबर हो गया है।

6 हवाई अड्डों को लीज पर देने हेतु मंजूरी

- ☞ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) योजना के तहत लीज पर दिए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की है।
- ☞ सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के छह हवाई अड्डों- अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु को लीज पर देने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई।
- ☞ पीपीपीएसी के कार्यक्षेत्र से बाहर के किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तथा व्यय विभाग के सचिव को शामिल करके सचिवों के अधिकारप्राप्त समूह का गठन किया जायेगा।

योजना का लाभ

- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पीपीपी से सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेशों को जुटाने के अलावा सेवा आपूर्ति, विशेषज्ञता, उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल में दक्षता आती है।

- हैदराबाद और बेंगलुरु में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए पीपीपी मॉडल से बुनियादी ढांचा परियोजना में हवाई अड्डों पर विश्व श्रेणी का बुनियादी ढांचा जुटाने, हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को कुशल और समयबद्ध सेवाओं की आपूर्ति करने और बिना किसी निवेश के भारतीय विमान प्राधिकरण की राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने में मदद मिली है।

- वर्तमान में पीपीपी मॉडल के तहत प्रबंध किए जा रहे हवाई अड्डों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि शामिल है।

- भारत में पीपीपी हवाई अड्डों ने हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता (एसक्यू) के रूप में हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय परिषद (एसीआई) द्वारा अपनी संबंधित श्रेणियों में शीर्ष 5 हवाई अड्डों में रैंक हासिल की है।

भारत का पहला जलमार्ग बंदरगाह

- ☞ प्रधानमंत्री ने 12 नवंबर 2018 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 2400 करोड़ रुपये की सौगात दी। उन्होंने यहां रामनगर स्थित पहले बॉटर वेज टर्मिनल का उद्घाटन किया।
- ☞ प्रधानमंत्री ने देश के पहले मल्टी-मॉडल टर्मिनल समेत 2413 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
- ☞ यह जलमार्ग वाराणसी-हल्दिया मार्ग पर बनाया गया है।

वाराणसी-हल्दिया जलमार्ग

- गंगा नदी में बंगाल से वाराणसी तक पोत का परिचालन शुरू हो गया है।
- आजाद भारत में पहली बार गंगा के रास्ते एक कंटेनर कोलकाता से वाराणसी पहुंचा है।
- यह जलपोत एमवी आरएन टैगोर वाराणसी से इफको कंपनी का उर्वरक लेकर वापस कोलकाता लौटेंगा।
- इस टर्मिनल को हल्दिया-वाराणसी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर विकसित किया जा रहा है।
- इस टर्मिनल के जरिए 1500 से 2000 टन के बड़े जहाजों की भी आवाजाही संभव हो सकेगी।

भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग

- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (इलाहाबाद से हल्दिया) : गंगा नदी से गुजरने वाले 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद-हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 का दर्जा दिया गया है।

● गंगा नदी का प्रयोग नागरिक यातायात तथा भारवहन के लिए के लिए काफी समय से किया जाता रहा है।
● इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता तथा हल्दिया है।
● राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (सादिया से धुबरी पट्टी) : ब्रह्मपुत्र नदी में धुबरी से सदिया तक के मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग-2 के नाम से जाना जाता है।
● इस जलमार्ग को वर्ष 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था।
● इस जलमार्ग की कुल लम्बाई 891 किमी है इस राजमार्ग के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र धुबरी, गोगीघोषा, गुवाहटी, तेजपुर, निमाती, डिब्रूगढ़, सदिया तथा सायखोवा है।
● राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (कोल्लम से कोट्टापुरम) : पश्चिमी भारत में स्थित तटीय नहरों की श्रृंखला को कोट्टापुरम से कोल्लम तक राष्ट्रीय जलमार्ग-3 घोषित किया गया है।
● इस जलमार्ग की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। इस राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई 205 किमी है।
● राष्ट्रीय जलमार्ग-4 (काकीनाडा से मरक्कानम) : काकीनाडा पुदुचेरी नहर विस्तार के साथ गोदावरी नदी विस्तार तथा कृष्णा नदी विस्तार को सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग-4 नाम से जाना जाता है।
● इस जलमार्ग की लंबाई 1095 किमी है।
● यह जलमार्ग चेन्नई बंदरगाह को काकीनाडा तथा मछलीपट्टनम् के बन्दरगाहों को जोड़ता है।
● राष्ट्रीय जलमार्ग-5 (तलचर से धमरा) : पूर्वी तटीय नहर प्रणाली में ब्राह्मणी तथा महानदी डेल्टा क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के नाम से जाना जाता है।
● यह जलमार्ग मंगलगडी से पारादीप बन्दरगाह के बीच 101 किमी जलमार्ग को भी जोड़ता है।
● इस जलमार्ग की कुल लंबाई 623 किमी है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। इसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था।
● राष्ट्रीय जलमार्ग-6 (लखीपुर से भंगा) : भंगा से लाषीमपुर जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 कहा गया है। अभी यह जलमार्ग प्रस्तावित है। इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है।
● नोट : इस राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई 121 किमी है।

2.0 वेब पोर्टल

- केन्द्रीय नागरिक उड्डयन एवं वाणिज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने 19 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में एयरसेवा 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल एप का उन्नत वर्जन लांच किया।
- इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि उपयोगकर्ताओं (यूजर) को बेहतर अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एयरसेवा के एक उन्नत वर्जन के विकास की जरूरत महसूस की जा रही थी।

वेब पोर्टल से संबंधित मुख्य तथ्य:

- इस वेब पोर्टल में कई खूबियां शामिल की गई हैं। सोशल मीडिया के साथ सुरक्षित साइन-अप एवं लॉग-इन, यात्रियों की सुविधा के लिए चैटबॉक्स, सोशल मीडिया पर शिकायतों सहित बेहतर शिकायत प्रबंधन, वास्तविक समय पर उड़ानों की ताजा स्थिति से अवगत कराना और उड़ान कार्यक्रम से जुड़ा विस्तृत विवरण उपलब्ध कराना इन खूबियों में शामिल हैं।
- एयरसेवा के उन्नत एवं बेहतरीन वर्जन का संचालन संवादात्मक वेब पोर्टल के साथ-साथ एंड्रायड एवं आईओएस दोनों ही तरह के प्लेटफॉर्मों पर प्रभावकारी मोबाइल एप के जरिए किया जाता है।
- इस अवसर पर सुरेश प्रभु एवं जयंत सिन्हा ने चेन्नई एयरपोर्ट को चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया।
- चेन्नई एयरपोर्ट पर शत-प्रतिशत शिकायतों का निवारण एक साल के अंदर कर दिया गया है।

पृष्ठभूमि:

- एयर सेवा 3.0 में डिजिटल का उपयोग करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट के डिजिटल मैप के अलावा लोकेशन ट्रैकिंग की सहूलियत भी मिलेगी।
- एयरसेवा पोर्टल और मोबाइल एप नवंबर 2016 में शुरू किया गया था।

किलोग्राम की नई परिभाषा

- वैज्ञानिकों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को एक मत से सहमति प्रदान कर दी है।
- फ्रांस के वर्साय में भार एवं माप पर आम सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने नई परिभाषा को अनुमति दी। यह परिभाषा 20 मई, 2019 से लागू होगी।
- वर्तमान में किलोग्राम को 'ली ग्रांड के' नामक प्लेटिनम आधारित इंगट के वजन के आधार पर परिभाषित किया

जाता है जो कि इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम है। यह फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय तौल एवं माप ब्यूरो में रखा हुआ है।

- नई परिभाषा के तहत किलोग्राम को इलेक्ट्रिक धारा के रूप में परिभाषित किया जाएगा। यह प्लैंक कॉन्स्टैंट पर आधारित है जो कि क्वांटम भौतिकी का मौलिक स्थिरांक है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- ली ग्रांड के, वर्ष 1889 से ही अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली के केंद्र में रही है।
- इसके कई प्रतिरूप बनाकर पूरे विश्व में वितरित किए जाते रहे हैं।
- परंतु इस मास्टर किलोग्राम एवं इसके प्रतिरूपों की गुणवत्ता में कमी होने के साथ ही यह परिवर्तित होता रहा है।
- इसका रख-रखाव करने वाले संस्थानों के लिए 'ली ग्रांड के' से प्लैंक कॉन्स्टैंट की ओर संक्रमण अनिवार्य हो गया था।
- विश्व भर में स्थित सभी किलोग्राम प्रतिरूप को ली ग्रांड के माध्यम से जांच की जाती थी।
- परंतु नई प्रणाली के तहत केवल किबबल बैलेंस से कहीं भी कभी भी और कोई भी अपनी माप की जांच कर सकता है।

क्या है किबबल बैलेंस

- किबबल बैलेंस, जिसे पहले वाट बैलेंस भी कहा जाता था, की खोज 1975 में डॉ. ब्रायन किबबल ने किया था और वर्ष 2016 में उनकी मौत के पश्चात इसे किबबल नाम दिया गया।
- यह एक उपकरण है जिसका उपयोग प्लैंक कॉन्स्टैंट नामक मूल भौतिक स्थिरांक की अति सटीक मापन के लिए किया जाता है।
- किबबल बैलेंस विभिन्न द्रव्यमानों को तौलने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में धारा युक्त तार द्वारा उत्पन्न बल का उपयोग करता है।

कच्चे तेल के मूल्य में गिरावट

- अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जगत की यह पुरानी बहस है कि तेल (पेट्रोल) दुनिया की राजनीति तय करता है या दुनिया की राजनीति तेल के दाम तय करती है।
- इसका सबसे बड़ा कारण तो यह बताया जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ समय से जो व्यापार युद्ध चल रहा था, उस पर फिलहाल विराम लगाम लग गया है।

तेल मूल्य में उतार-चढ़ाव का कारण

- यह युद्ध विराम फिलहाल 90 दिनों के लिए है, जिस दौरान अमेरिका और चीन आपसी मसलों पर बातचीत करेंगे।

- एक अन्य कारण यह भी है कि तेल के दो सबसे बड़े निर्यातकों सऊदी अरब और रूस ने आपस में बातचीत करके उत्पादन कम करने का फैसला किया है, ताकि कीमतों को गिरने से रोका जा सके।
- तेल की कीमत का बढ़ जाना यह संकेत तो देता ही है कि उनकी रणनीति कामयाब रही है।
- खासकर तब, जब तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक में ही फूट पड़ती दिख रही है।

कतर ओपेक से अलग

- कतर ने खुद को ओपेक से अलग करने का एलान कर दिया है।
- इसका कारण सऊदी अरब और कतर का आपसी झगड़ा है, लेकिन इसका पेट्रोल की राजनीति पर असर पड़ना भी तय है।
- ओपेक के बाकी सदस्यों के मुकाबले कतर पेट्रोल का सबसे छोटा निर्यातक है।
- अब यह इस संगठन से अलग हो गया है, तो उत्पादन में कटौती के ओपेक के अनुशासन से भी बाहर हो गया है।
- पेट्रोलियम उत्पादन में थोड़ी सी कमी बाजार को तेजी से बदलती रही है, इसलिए कतर ओपेक के गणित को तो खराब कर ही सकता है।

मूल्य वृद्धि के परिणाम

- तेल की कीमतों के बढ़ने के क्या नतीजे हो सकते हैं, इसके लिए हमें फ्रांस जाना होगा।
- वहां पर्यावरण के लिहाज से नए टैक्स लगाने के कारण पेट्रोल और गैस आदि ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ीं, तो वहाँ दंगे भड़क उठे।
- पेट्रोल की कीमतों ने फ्रांस जैसे देश की राजनीति पर भी असर डालना शुरू कर दिया है।

रिपोर्ट एवं सूचकांक

भारत में 2017 में हुई हिंसा से प्रति व्यक्ति 40 हजार रुपये का नुकसान

- ऑस्ट्रेलियाई संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (आईईपी) द्वारा किये गये एक वैश्विक सर्वेक्षण में पता चला है कि वर्ष 2017 में हुई हिंसा के कारण भारत की जीडीपी को 9 % का नुकसान हुआ है।
- इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने 163 देशों एवं क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य :

- भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) के संदर्भ में हिंसा के कारण पिछले साल देश को 1,190 अरब डॉलर यानी करीब 80 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
- यह नुकसान प्रति व्यक्ति के हिसाब से करीब 595.40 डॉलर यानी 40 हजार रुपये से अधिक है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था को पीपीपी आधार पर 14,760 अरब डॉलर का नुकसान हुआ।
- यह वैश्विक जीडीपी का 12.4 % है जो प्रति व्यक्ति 1,988 डॉलर होता है।
- रिपोर्ट के अनुसार एशिया-प्रशांत क्षेत्र कुछ गिरावट के बाद भी विश्व का सबसे शांत क्षेत्र बना हुआ है।
- इस दौरान बाह्य एवं आंतरिक दोनों संघर्षों तथा पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार हुआ है लेकिन हिंसक अपराध, आतंकवाद के प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक आतंकवाद ने क्षेत्र में स्थिति को बिगाड़ा है।

रिपोर्ट के वैश्विक आंकड़े

- दक्षिण एशिया क्षेत्र में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो सबसे खराब देश बने हुए हैं तथा इनकी स्थिति और खराब हुई है।
- सीरिया इस दौरान जीडीपी के 68 % खर्च के साथ सबसे खराब देश रहा है।
- इसके बाद 63 % के साथ अफगानिस्तान और 51 % के साथ इराक का स्थान है।
- उभरते हुए बाजारों में चीन की अर्थव्यवस्था को पीपीपी के मामले में हिंसा से करीब 1704 अरब डॉलर का नुकसान हुआ।
- वहीं, ब्राजील की अर्थव्यवस्था को लगभग 510 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा।
- रूस को करीब 1,000 अरब डॉलर और दक्षिण अफ्रीका को 240 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा।
- हिंसा के कारण अमेरिका को 2,670 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा जो कि जीडीपी का 8 प्रतिशत था।
- वहीं, ब्रिटेन को लगभग 312 अरब डॉलर यानी कि जीडीपी का 7 % नुकसान उठाना पड़ा।
- शीर्ष खराब देशों में अल सल्वाडोर, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, साइप्रस, कोलंबिया, लीसोथो और सोमालिया भी शामिल हैं।

- हिंसा से हुए नुकसान के मामले में सबसे बेहतर स्थिति स्विट्जरलैंड की रही है। इसके बाद इंडोनेशिया और
- बुर्किनाफासो का स्थान है।

रिपोर्ट का आधार

- रिपोर्ट के अनुसार आकलन में हिंसा के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभावों समेत आर्थिक गुणात्मक प्रभाव को भी शामिल किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, गुणात्मक प्रभाव उन अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का भी आकलन करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष प्रभाव को टाल दिए जाने की सूरत में हो सकते थे।
- रिपोर्ट के अनुसार इंसान को नियमित तौर पर घर, काम, दोस्तों के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ता है।
- जातीय, धार्मिक और राजनीतिक समूहों के बीच यह संघर्ष और अधिक व्यवस्थित तरीके से होता है। लेकिन, इनमें से अधिकांश संघर्ष हिंसा में नहीं बदलते।

वैश्विक स्तर दर रक्षा खर्च

- वैश्विक स्तर पर रक्षा खर्च 2017 में बढ़कर 1,739 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।
- भारत और चीन दुनिया में सैन्य खर्च वाले 5 अग्रणी देशों में शामिल हैं और वैश्विक स्तर पर रक्षा खर्च का 60 प्रतिशत इन 5 देशों द्वारा ही किया जा रहा है।
- स्वीडन के हथियारों की निगरानी करने वाली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
- SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो दशक से सैन्य खर्च लगातार बढ़ रहा है।
- वर्ष 2017 में रक्षा खर्च में अग्रणी 5 देशों में अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस और भारत शामिल हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार 2017 में वैश्विक स्तर पर रक्षा खर्च 2016 की तुलना में 1.1 % बढ़कर 1,739 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
- रिपोर्ट के अनुसार चीन का सैन्य खर्च अनुमानतः 228 अरब डॉलर है जो एशिया और ओशियाना क्षेत्र में कुल रक्षा खर्च का 48 % बैठता है।
- यह क्षेत्र में खर्च में दूसरे नंबर पर रहे भारत से 3.6 गुना अधिक है।
- 2017 में भारत का रक्षा खर्च 63.9 अरब डॉलर रहा जो 2016 की तुलना में 5.5 प्रतिशत अधिक है। यह 2008 से 45 प्रतिशत ज्यादा है।

- रिपोर्ट के अनुसार चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव की वजह से भारत सरकार अपने सैन्य बलों का विस्तार, आधुनिकीकरण और परिचालन क्षमता को बढ़ाना चाहती है।

अमेरिका सैन्य खर्च

- अमेरिका का सैन्य खर्च 2017 में 610 अरब डॉलर रहा है और इस मामले में वह सबसे आगे है।
- यह दुनिया के कुल सैन्य खर्च का 1/3 से अधिक बैठता है।
- अमेरिका का सैन्य खर्च दुनिया में दूसरे नंबर पर रहे चीन की तुलना में 2.7 गुना अधिक है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका का सैन्य खर्च 2016 और 2017 के दौरान बदला नहीं है।
- वहीं दूसरी ओर रूस का रक्षा खर्च 1998 के बाद पहली बार घटा है।
- 2017 में रूस का रक्षा खर्च 66.3 अरब डॉलर रहा है जो 2016 की तुलना में 20 % कम है।

ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018

- इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए 2018 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 163 देशों की सूची में 137 वें स्थान पर रहा।
- वर्ष 2017 में भारत इस सूची में 141 वें स्थान पर था और इस बार भारत की रैंकिंग में 4 स्थान की बढ़ोतरी का कारण हिंसक अपराध के स्तर में कमी को बताया जा रहा है।

मुख्य बिन्दु :

- इस सूची के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है, शांतिपूर्णता के मामले में आइसलैंड की यह सर्वोच्च स्थिति 2008 से ही बनी हुई है।
- आइसलैंड के बाद इस सूची के शीर्ष 5 देशों में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल और डेनमार्क आते हैं।
- साथ ही दूसरी तरफ पिछले 5 सालों से विश्व का सबसे अशांत देश सीरिया है।
- अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान, इराक और सोमालिया सूची में सबसे नीचे आने वाले अर्थात सबसे कम शांतिपूर्ण देश हैं।
- मौतों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी वाले देशों में श्रीलंका, चाड, कोलंबिया और युगांडा के साथ-साथ भारत भी मुख्य देश रहा है।
- यदि कुछ और देशों की पिछले वर्ष की तुलना में बात करें तो श्रीलंका सूची में 80 से 67 वें स्थान पर, नेपाल 93 से 84 वें स्थान पर, पाकिस्तान 152 से 151 वें स्थान पर जबकि भूटान 13 से 19 वें स्थान पर और बांग्लादेश 84 से

93 वें स्थान पर आ गया है।

वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2018

- वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक (GRETI) में भारत 100 देशों के बीच 35 वें स्थान पर रहा।
- यह सूचकांक रियल्टी सलाहकार जेएलएल द्वारा जारी किया गया था।
- 2016 में आयोजित पिछले द्वि-वार्षिक सर्वेक्षण के दौरान भारत इस सूचकांक में 36 वें स्थान पर था जबकि वर्ष 2014 में 40 वें स्थान पर था।
- भारत के रियल्टी बाजार को वर्तमान में 'अर्द्ध-पारदर्शी क्षेत्र' में रखा गया है।

मुख्य बिन्दु :

- इस सूची में शीर्ष 10 देश : यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी, आयरलैंड और स्वीडन है।
- सबसे खराब प्रदर्शन वाले पाँच देश : वेनेजुएला (100), लीबिया (99), सेनेगल (98), मोजाम्बिक (97) और आइवरी कोस्ट (96) है।
- ब्रिक्स देश : दक्षिण अफ्रीका 21 वें स्थान पर रहा, इसके बाद चीन 33 वें, ब्राजील 37 वें और रूस ने 38 वें स्थान पर सूची में अपनी जगह बनाई।
- दक्षिण एशिया : श्रीलंका 66 वें स्थान तथा पाकिस्तान 75 वें स्थान पर रहा।
- भारत से संबंधित तथ्य : सूचकांक के इस संस्करण में, बाजार बुनियादी सिद्धांतों, नीतिगत सुधारों और एफडीआई के उदारीकरण में सुधार के कारण भारत एक स्थान आगे बढ़ गया है। गत संस्करण में भारत इस सूचकांक में 36 वें स्थान पर था।
- इसके अलावा, किफायती आवास के लिए संपत्ति रिकॉर्ड और उद्योग की स्थिति के डिजिटलीकरण ने भी भारत को अपनी रैंकिंग में सुधार करने में मदद की है।
- पिछले दो वर्षों में रियल एस्टेट में पारदर्शिता में अधिकतम सुधार दर्ज करने के लिए भारत शीर्ष 10 देशों में से एक है।

राज्यों में व्यापार की रैंकिंग

- विश्व बैंक और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा तैयार एक रिपोर्ट के मुताबिक, लगातार दूसरे वर्ष के लिए, आंध्र प्रदेश व्यापार करने में आसानी वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है।
- इसके पड़ोसी राज्य तेलंगाना ने 98.33% के स्कोर के साथ

दूसरा स्थान हासिल किया, इसके बाद **हरियाणा** और **झारखंड** है।

- गुजरात ने 97.96 % के स्कोर के साथ व्यापार करने में आसानी की राज्य रैंकिंग सूची में 5 वाँ स्थान हासिल किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- शीर्ष 5 राज्यों को वर्ष 2018 के लिए शीर्ष प्राप्तकर्ताओं का नाम दिया गया है जबकि रैंकिंग की प्राप्तकर्ता सूची में **छत्तीसगढ़** (6वें स्थान), **मध्य प्रदेश** (7वें स्थान), **कर्नाटक** (8वें स्थान) और **राजस्थान** (9वाँ स्थान) शामिल है।
- रैंकिंग निर्माण परमिट, श्रम विनियमन, और पर्यावरण पंजीकरण, सूचना तक पहुँच, भूमि उपलब्धता और एकल खिड़की प्रणाली जैसे क्षेत्रों जैसे पैरामीटर पर आधारित थी।
- व्यापार करने में आसानी सूचकांक में कम से कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मेघालय शामिल है।
- इस प्रक्रिया में सहयोग और समर्थन के लिए प्रत्येक राज्य को पूरक बनाने के लिए राज्यों को % के आधार पर शीर्ष प्राप्तकर्ताओं (95 से अधिक अंक), प्राप्तकर्ता (90-95), तेज मूवर्स (80-90) और उम्मीदवारों (80 से नीचे) के रूप में वर्गीकृत किया है।
- विश्व बैंक के सहयोग से डीआईपीपी एक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से विभिन्न सरकारी नियामक कार्यों और सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए बीएआरपी के तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए वार्षिक सुधार अभ्यास आयोजित करता है।

2018 सॉफ्ट पॉवर सूचकांक

- पोर्टलैंड नामक संस्था तथा दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने 2018 सॉफ्ट पॉवर 30 सूचकांक प्रकाशित किया, यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है।
- इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, दूसरे स्थान पर फ्रांस तथा तीसरे स्थान पर जर्मनी तथा चौथे स्थान पर अमेरिका काबिज है।
- 30 देशों की इस सूची में भारत को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। परन्तु इसमें एशियाई देशों की सूची अलग भी है, एशियाई देशों में भारत को सॉफ्ट पॉवर अथवा मृदु शक्ति के मामले में 10वाँ स्थान प्राप्त हुआ।

सॉफ्ट पॉवर अथवा मृदु शक्ति

- ‘सॉफ्ट पॉवर’ शब्द का उपयोग सबसे पहले 1980 के दशक में जोसेफ नाय ने किया था।
- सॉफ्ट पॉवर का अर्थ सहयोग व सहायता के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपेक्षित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता से है।
- इसमें बलपूर्वक किसी कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाता।
- वर्तमान में सॉफ्ट पॉवर विदेश नीति का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

समावेशी विकास के लिए मजदूरी नीति

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की 20 अगस्त, 2018 को जारी रिपोर्ट में भारत में आम लोगों की कमाई को लेकर खुलासा हुआ है।
- आईएलओ द्वारा प्रकाशित ‘इंडिया वेज रिपोर्ट’ के आधार पर दो दशक तक भारत की औसत सालाना वृद्धि 7% रही, लेकिन ना तो मजदूरी में इस हिसाब से बढ़ोतरी हुई और ना ही आर्थिक असमानता में कमी आई है।
- यह असमानता स्त्री-पुरुष, शहरी-ग्रामीण सभी मामलों में है।
- रिपोर्ट के अनुसार कम वेतन और मजदूरी असमानता, बेहतर कार्य परिस्थितियों को प्राप्त करने और समावेशी विकास भारत के मार्ग में गंभीर चुनौती है।

मजदूरी असमानता और आर्थिक असमानता

- रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस) और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के आधार पर रिपोर्ट का अनुमान है कि वास्तविक औसत दैनिक मजदूरी 1993-94 और 2016-17 के बीच लगभग दोगुना हो गई है।
- शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कमाई तेजी से बढ़ी है।
- दिहाड़ी मजदूरों की कमाई तेजी से बढ़ी है, किंतु नियमित कर्मचारियों की तनखाह में इस तुलना में कम वृद्धि हुई है।
- महिलाओं के लिए औसत मजदूरी तेजी से बढ़ी है, जबकि पुरुष इस मामले में महिलाओं से पीछे रह गए हैं।
- असंगठित क्षेत्र में मजदूरी ज्यादा बढ़ी है, जबकि संगठित क्षेत्र में काम करनेवाले इस तुलना में पीछे रह गए हैं।
- आईएलओ की ‘इंडिया वेज रिपोर्ट’ के मुताबिक काम के बदले कम वेतन और मजदूरी में असमानता आज भी भारत के श्रम बाजार में चुनौती बनी हुई है।
- वर्ष 2016-17 में, भारत में औसत मजदूरी लगभग 247 रुपये प्रतिदिन रही है।

- केवल शहरी क्षेत्रों के कुछ क्षेत्र में ही पेशेवर की कमाई औसत से ज्यादा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है।
- वर्ष 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों को पंजीकृत तो कर सकती है, किंतु यह सरकारों पर प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकती है।
- इस संगठन की स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् 'लीग ऑफ नेशन्स' की एक एजेंसी के रूप में वर्ष 1919 में की गई थी। भारत इस संगठन का एक संस्थापक सदस्य रहा है।
- इस संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है।
- वर्तमान में 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं, जिनमें से 186 देश संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से हैं तथा एक अन्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित 'कुक्स द्वीप' है।

भारत में एड्स पीड़ित

- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा 14 सितंबर 2018 को एचआईवी आकलन 2017 रिपोर्ट जारी की गई।
- इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 तक भारत में 21.4 लाख लोग एचआईवी से ग्रस्त थे, जिनमें करीब 40 % महिलाएं थीं।
- भारत में एचआईवी आकलन का पहला संस्करण 1998 में आया था, जबकि पिछला संस्करण वर्ष 2015 में जारी हुआ था।

नाको द्वारा जारी एचआईवी एड्स रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- नाको ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद से एचआईवी संक्रमण के सालाना नए मामलों में 60 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, लेकिन 2010 और 2017 के बीच गिरावट की दर 27 % रही।
- यह संक्रमण के नए मामलों में 2020 तक 75 फीसदी कमी लाने के लक्ष्य पर पहुंचने के लिहाज से बहुत पीछे है।
- रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत में एचआईवी पीड़ित लोगों (पीएलएचआईवी) की संख्या लगभग 21.40 लाख थी।
- साल 2000 के मुकाबले एचआईवी संक्रमण की दर 60%

कम हुई है।

- वयस्कों में एचआईवी संक्रमण की दर जम्मू-कश्मीर में सबसे कम 0.03% है, जबकि महाराष्ट्र 15% के साथ सबसे आगे है, यहां 3.30 लाख एड्स के मरीज हैं।

पांच राज्यों में बढ़ोतरी

- 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय और उत्तराखंड को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नए संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं।
- इन राज्यों में 2010 की तुलना में पिछले साल इन मामलों में बढ़ोतरी हुई।
- संसद के एक पैनल ने स्वास्थ्य मंत्रालय से एचआईवी संक्रमितों के लिए देश भर में एंटी-रेट्रोवायरल उपचार केंद्र स्थापित करने और इसे जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था।
- इससे एचआईवी प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए 'सस्ती और प्रभावकारी' दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

रिपोर्ट में दर्ज की गई कमी

- रिपोर्ट के अनुसार 1995 में एड्स महामारी की अधिकता की तुलना में कार्यक्रम के प्रभाव में इसके संक्रमण में 80 फीसदी से अधिक की कमी आई है।
- इसी तरह 2005 में एड्स से संबंधित मौत की अधिकता की तुलना में 71 फीसदी की कमी आई है।
- यूएन-एड्स 2018 की रिपोर्ट के अनुसार एड्स के नये संक्रमण और एड्स से संबंधित मौतों का वैश्विक औसत घटकर क्रमशः 47 फीसदी और 51 फीसदी तक आ गया है।

'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स' रिपोर्ट

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018' रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक 50% से अधिक नौकरियों पर स्वचालित मशीनों का कब्जा होगा।

रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य

- 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018' रिपोर्ट में उद्योग क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखला से 300 से अधिक वैश्विक कंपनियों को शामिल किया गया है।
- इस सर्वे में 1.5 करोड़ से अधिक कर्मचारी और 20 विकसित तथा उभरती अर्थव्यवस्थाएँ शामिल थीं जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 70 % धारण करती हैं।
- वर्तमान में कुल कार्य का 71% हिस्सा मानव श्रम द्वारा होता है।
- वर्ष 2022 तक आते-आते यह हिस्सा 58% तक रह

जाएगा, वहीं 2025 तक यह हिस्सेदारी 48% पर सिमट जाएगी।

- ऑटोमेशन (रोबोट क्रांति) के आने से जिन नौकरियों के खत्म होने की उम्मीद है, उनमें डेटा एंट्री क्लर्क, अकाउंटिंग क्लर्क और परोल क्लर्क जैसे वाइट कॉलर जॉब शामिल हैं।

टिप्पणी :

- विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार आज मशीनों के माध्यम से जहां 29 % कार्य हो रहे हैं। वहीं वर्ष 2025 तक मौजूदा कार्यभारों का तकरीबन आधा मशीनों के माध्यम से सम्पन्न होगा।
- इसी तरह से रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और प्रबोधन जैसे कार्यों में भी मानव कौशल बना रहेगा।

दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट विश्व का 16वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट : रिपोर्ट

- एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, 2017 में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर 6.34 करोड़ यात्रियों की आवाजाही रही। जिससे यह दुनिया का 16वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया।
- यात्रियों की आवाजाही की संख्या के लिहाज से आईजीआई हवाई अड्डे ने शीर्ष 20 व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में 16वें पायदान पर जगह बनाई है।

रिपोर्ट से संबंधित मुख्य तथ्य :

- रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल के मुकाबले 14 % अधिक यात्रियों की आवाजाही हुई और वर्ष 2016 में 22वें पायदान से उछलकर यह 16वें पायदान पर आ गया।
- भारत दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाला एविएशन मार्केट है।
- रिपोर्ट में के अनुसार 10.39 करोड़ यात्रियों के साथ अटलांटा का हटर्सफील्ड जैक्सन हवाई अड्डा बीते साल दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा।
- इसके बाद 9.58 करोड़ यात्रियों के आवागमन के साथ बीजिंग हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर रहा।
- दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (8.82 करोड़ यात्री) तीसरे, तोक्यो हवाई अड्डा (8.54 करोड़ यात्री) चौथे और लॉस एंजलिस (8.45 करोड़ यात्री) पांचवें स्थान पर रहा।

एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल

- एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल दुनियाभर के एयरपोर्ट का एसोसिएशन है जो अभी 641 सदस्यों के साथ काम कर रहा है।
- इसके अंतर्गत 1953 एयरपोर्ट और 176 देश के 1751 हवाई

अड्डे आते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2017 में दुनियाभर में हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में 5.2 फीसदी की वृद्धि हुई।

- इसका उद्देश्य आम जनता को हवाई परिवहन प्रणाली के साथ सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से उत्तम सुविधाएं प्रदान करना है।
- एसीआई हवाई सेवा गुणवत्ता के आधार पर हर साल विश्व भर के हवाई अड्डों की रैंकिंग करती है।

भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था: आईएमएफ

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि अगर अनुमान सही रहा तो भारत फिर से दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
- आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2018 के लिए भारत के विकास दर का अनुमान 7.3 % रखा है, जबकि वित्तीय वर्ष 2019 के लिए यह अनुमान 7.4 % कर दिया है।
- वित्तीय वर्ष 2017 में भारत का विकास दर 6.7 % था। आईएमएफ ने ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारत का विकास दर वर्ष 2018 में 7.3 % रहने का अनुमान है और 2019 में यह 7.4 % रहेगा।
- हालांकि यह अप्रैल 2018 में वर्ष 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट से थोड़ा कम है।
- आईएमएफ ने हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत के बावजूद यह कहा कि वर्ष 2017 में विकास की दर 6.7 % से ऊपर रहेगा।
- भारत का मध्यम अवधि का विकास मजबूत:**
- रिपोर्ट के अनुसार भारत का मध्यम अवधि का विकास मजबूत है और यह 7 % पर है। इस मजबूती में वर्तमान में चल रहे ढांचागत सुधार की बड़ी भूमिका है।
- सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था:**
- हालांकि वर्ष 2017 में चीन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी। वैसे भारत से महज 0.2 % ही ज्यादा थी।
- आईएमएफ ने अप्रैल के मुकाबले भारत और चीन के विकास दर के अनुमान में मामूली कटौती कर दी है।
- भारत के लिए यह 0.4 % और चीन के लिए 0.32 % कम किया गया है।

विश्व बैंक ने भारत में भरोसा दिखाया:

- विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि में मजबूती आ रही है और चालू वित्त वर्ष में इसके 7.3 % रहने का

अनुमान है।

- इसके बाद अगले दो वर्षों में यह और बढ़कर 7.5 % पर पहुँच जाएगी।
- विश्व बैंक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था नोटबंदी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की अस्थायी बाधाओं के प्रभावों से निकल चुकी है।

‘फ्यूचर ऑफ़ वर्क इन इंडिया’ रिपोर्ट

- विश्व आर्थिक मंच द्वारा “फ्यूचर ऑफ़ वर्क इन इंडिया” रिपोर्ट जारी की गई।
- इस रिपोर्ट के अनुसार जो कम्पनियाँ तेज़ी से विकास कर रही हैं। वे पुरुषों को बतौर कर्मचारी रखना अधिक पसंद करती हैं।
- यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच की ओर से ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत द्वारा पर्याप्त नये अवसर तथा संभावनाएँ मौजूद हैं।

फ्यूचर ऑफ़ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट
● रिपोर्ट में कहा गया है कि 1/3 कंपनियों में कोई भी महिला कर्मचारी नहीं है।
● भारत में रोज़गार सृजन काफी तीव्र गति से हो रहा है लेकिन देश की केवल 26 % महिलाएँ ही कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, यह वैश्विक स्तर से काफी नीचे है।
● रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 3 में से एक कंपनी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को काम पर रखने में प्राथमिकता देती है जबकि 10 में से एक कंपनी ही महिलाओं को काम पर रखने के लिए प्राथमिकता देती है।
● रितेल सेक्टर में 45 प्रतिशत कंपनियों में कोई महिला कर्मचारी नहीं है, जबकि परिवहन और लॉजिस्टिक्स में 36 % कंपनियों में कोई भी महिला कर्मचारी कार्यरत नहीं है।
● फ्यूचर ऑफ़ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार फ्रीलान्स क्षेत्र में भी 75 % पुरुष ही कार्यरत हैं।
● इस क्षेत्र में पाया गया है कि फ्रीलान्स पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा 30 प्रतिशत अधिक सैलरी दी जाती है।
● इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि केवल 1/4 कंपनियाँ ही महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान करती हैं।

रिपोर्ट का कार्यक्षेत्र

- ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इस रिपोर्ट के लिए 700 सूक्ष्म आकार की कंपनियों का सर्वेक्षण किया गया। इन

कंपनियों में 25,000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं।

- इस रिपोर्ट के लिए वस्त्र उद्योग, लॉजिस्टिक्स, परिवहन तथा बैंकिंग व वित्तीय सेवा क्षेत्र व रितेल कंपनियों का सर्वेक्षण किया गया।

भारत 2022 तक दुनिया का 11वाँ अमीर देश

- बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) के मुताबिक साल 2022 तक भारत दुनिया का 11वाँ सबसे अमीर देश बन जाएगा।
- यह रिपोर्ट बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) की द ग्लोबल वेल्थ-2018 रिपोर्ट में जारी किया गया है। निजी संपत्ति के मामले में 2022 तक भारत दुनिया का 11वाँ सबसे अमीर देश बन जाएगा।
- वर्तमान समय में भारत का 15वाँ स्थान है।

बीसीजी रिपोर्ट से संबंधित मुख्य तथ्य:

- बीसीजी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 तक भारत की रैंक में 4 पायदान का सुधार होगा। यह स्विट्ज़रलैंड, हॉंगकॉंग, नीदरलैंड और ताइवान को पीछे छोड़ देगा।
- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 से भारत का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) 12% रहा है।
- चीन के बाद भारत ही ऐसा देश है जिसका सीएजीआर पर्सनल वेल्थ के हिसाब से डबल डिजिट (दो अंकों) में रहा।
- भारत समृद्ध, हाई नेटवर्थ और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ कैटेगिरी में एशिया का पांचवाँ सबसे बड़ा बाजार है।
- व्यक्तिगत संपत्ति (पर्सनल वेल्थ) में फिलहाल अमेरिका 80 लाख करोड़ डॉलर के साथ टॉप पर है। साल 2022 तक यह 100 लाख करोड़ डॉलर पहुंचने की उम्मीद है।
- चीन की निजी संपत्ति 21 लाख करोड़ डॉलर है। 3 साल में यह दोगुनी होकर 43 लाख करोड़ डॉलर पहुंचने की उम्मीद है।

भारत तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार

- अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जायेगा। वर्तमान में भारत वैश्विक विमानन बाजार में सातवें स्थान पर है।
- IATA की 24 अक्टूबर 2018 को जारी अगले 20 वर्ष के पूर्वानुमान रिपोर्ट में यह बात कही गयी है।

वैश्विक विमानन बाजार में पहले स्थान पर:

- वैश्विक विमानन बाजार में अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर, ब्रिटेन तीसरे स्थान पर, स्पेन चौथे स्थान पर,

जापान पांचवे स्थान पर और जर्मनी छठे स्थान पर है।

नागर विमानन महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार:

- नागर विमानन महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में घरेलू मार्गों पर हवाई यात्रियों की संख्या सितम्बर 2014 से सितम्बर 2018 तक लगातार बढ़ी है।
- इस वर्ष सालाना वृद्धि दर 20.94 % रही है।

अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए):
● आईएटीए की स्थापना वर्ष 1945 में की गयी थी। IATA का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है।
● अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ 120 देशों के 280 अनसूचित अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स का एक समूह है।
● यह अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स के लिए एक व्यापार संघ है।
● यह संगठन हवाई यात्रा क्षेत्र से सम्बंधित नीति तथा मानक तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
● इसके अतिरिक्त यह संगठन कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाता है।
● अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्य कार्य अन्तर-वायु कंपनी मामलों में सहयोग स्थापित करना है।
● यह एयर-कॉमर्स को प्रोत्साहित करने के साथ ही एयर-कॉमर्स की सभी समस्याओं का अध्ययन करने का काम भी करती है।
● इसके अलावा इसका काम लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सुरक्षित, निश्चित, विश्वसनीय तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य वायु सेवाएं सुनिश्चित करना है।

करोड़पति का दाताओं की संख्या में वृद्धि

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 22 अक्टूबर 2018 को बताया कि पिछले 4 साल में 1 करोड़ रुपये से अधिक आमदनी दिखाने वालों की संख्या में 60% की बढ़ोत्तरी हुई है।
- बतौर सीबीडीटी, निर्धारण वर्ष 2014-15 में 1 करोड़ रुपये से अधिक आमदनी दिखाने वालों की संख्या 88,649 थी जो निर्धारण वर्ष 2017-18 में बढ़कर 1.4 लाख से अधिक हो गई।
- सीबीडीटी के अनुसार एक करोड़ रुपये से अधिक की आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या 68 % बढ़कर 48,416 से 81,344 पर पहुंच गई।

आईटीआर रिटर्न्स में वृद्धि:

- सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि पिछले 4 सालों के दौरान फाइल किए गए आईटीआर रिटर्न्स में 80 % से ज्यादा की

वृद्धि दर्ज की गई है।

- यह वर्ष 2013-14 के 3.79 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 6.85 करोड़ हो गया है।

रिटर्न फाइल करने की समय सीमा :

- वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए रिटर्न फाइल करना अनिवार्य कर दिया है।
- केंद्र सरकार ने हाल ही में रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी):

- भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सौंप दिए गए और इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है।
- सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है।
- सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियां प्रदान करता है।
- सीबीडीटी के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारत की प्रमुख सिविल सर्विस, से की जाती है।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018

- वर्ल्ड वाइड फण्ड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018 जारी की गई।
- इस रिपोर्ट में वन्यजीवन पर मानवीय गतिविधियों के भयानक प्रभाव की चर्चा की गई है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 1970 के बाद मानवीय गतिविधियों के कारण जीव-जन्तुओं की कुल संख्या में 60 % तथा वनस्पतियों में 87 % की कमी देखी गई है।

स्मरणीय तथ्य :

- वर्तमान में दुनिया के कुल स्तनधारी जीवों में सिर्फ 4 % जंगली जानवर हैं।
- वहीं मानव 36 % हैं और पशुधन (पालतू जानवर) 60 % हैं। 80 पृष्ठों की इस रिपोर्ट को 59 शोधकर्ताओं ने मिलकर तैयार किया है।

रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य

● डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की यह रिपोर्ट वन्यप्राणी जीवन, समुद्री जीवन, झीलों तथा पर्यावरण पर व्यक्तिगत कार्यकलापों के प्रभाव को दर्शाती है।
● इस रिपोर्ट में एक नया खंड शामिल किया गया है जिसे मृदा जैव विविधता का नाम दिया गया है।
● इसमें कहा गया है कि वेटलैंड्स का समाप्त होना भारत के लिये गंभीर चिंता का विषय है।
● इस रिपोर्ट में वन्य जीव जन्तुओं के लिए उनके प्राकृतिक आवास का समाप्त होना, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, आदि से होने वाले खतरों को भी शामिल किया गया है।
● यह रिपोर्ट मुख्य रूप से कृषि और वनों की कटाई द्वारा प्रकृति को होने वाले अत्यधिक नुकसान की ओर इशारा करती है।
● डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की भारतीय ईकाई के अनुसार विश्व भर में 4,000 से अधिक प्रजातियों पर शोध किया गया। जिसमें 1970 से 2014 के बीच 60 % की कमी दर्ज की गई है।
● इस रिपोर्ट में, विशेष रूप से कशेरुकी प्रजातियों की निगरानी के आँकड़े भी शामिल हैं, जिसे स्तनधारियों, पक्षियों, मछली, सरीसृपों और उभयचरों की लगभग 22,000 से अधिक जनसंख्या की जानकारी वाले डेटाबेस से लिया गया था।

ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस में भारत 77वां स्थान

- विश्व बैंक की 'ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट में भारत ने 23 स्थानों की जबरदस्त छलांग लगाते हुए 77वां स्थान हासिल किया है।
- विश्व बैंक ने 31 अक्टूबर 2018 को वैश्विक कारोबार सुगमता (ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस) रिपोर्ट जारी की।
- भारत की यह रैंकिंग अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 10 में से 8 मानकों में भारत की स्थिति सुधरी है।
- दरअसल, पिछले वर्ष 190 देशों की सूची में भारत को पहली बार शीर्ष 100 में जगह मिली थी।
- पिछले 2 वर्षों में ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रैंकिंग में सुधार करने वाले टॉप 10 देशों में भारत भी शामिल है। वहीं, दक्षिण एशियाई देशों में भारत की रैंक फर्स्ट है।
- इससे पहले साल 2014 में भारत 6वें स्थान पर था।

दुर्लभ उपलब्धि :

- भारत द्वारा 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में लगाई गई

23 पायदानों की ऊंची छलांग निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 30 पायदानों की जबरदस्त छलांग लगाई थी, जो भारत के आकार वाले किसी भी विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है।

मुख्य बिंदु:

- कारोबार सुगमता रैंकिंग में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। उसके बाद क्रमशः सिंगापुर, डेनमार्क और हांगकांग का नंबर आता है।
- सूची में अमेरिका आठवें, चीन 46वें और पाकिस्तान 136वें स्थान पर है।
- विश्व बैंक ने इस मामले में सबसे अधिक सुधार करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत को दसवें स्थान पर रखा है।
- भारत ने दो वर्षों में अपनी रैंकिंग में 53 पायदानों की ऊंची छलांग लगाई है। जो डूइंग बिजनेस आकलन में वर्ष 2011 के बाद किसी भी बड़े देश द्वारा दो वर्षों में किये गये सर्वाधिक बेहतरी को दर्शाता है।

पिछले कुछ सालों में भारत की रैंकिंग	
वर्ष	रैंकिंग
2018	77वां
2017	100वां
2016	130वां
2015	130वां
2014	142वां

छह मामलों में अच्छे प्रदर्शन	2018-19 में रैंक	2017-18 में रैंक
बिजनेस की शुरुआत	137	156
कंस्ट्रक्शन परमिट	52	181
बिजली की उपलब्धता	24	29
कर्ज की उपलब्धता	22	29
सीमा पार कारोबार	80	146
कॉन्ट्रैक्ट में आसानी	163	164

जिन मानकों में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ		
मापदंड	2018	2019
निर्माण परमिट	181	52
सीमापारीय व्यापार	146	80

व्यवसाय आरंभ करना	156	137
बिजली प्राप्त करना	29	24
साख प्राप्त करना	29	22
जहाँ भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई		
संपदा पंजीकरण	154	166
कर भुगतान	119	121
इनसॉल्वेंसी निपटान	103	108

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में
<ul style="list-style-type: none"> ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से अर्थ है कि देश में कारोबार करने में कारोबारियों को कितनी आसानी होती है। कारोबार के नियमकों और उनके नियमों के अनुसार 10 मानकों पर कारोबार करने की शर्तों को देखा जाता है कि किसी देश में ये कितना आसान या मुश्किल है। डूइंग बिजनेस रैंकिंग डिस्टेंस टू फ्रंटियर (डीटीएफ) के आधार पर तय किया जाता है और ये स्कोर दिखाता है कि वैश्विक मानकों पर अर्थव्यवस्था कारोबार के मामले में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वर्ष 2018 में भारत का डीटीएफ स्कोर पिछले साल के 60.76 से बढ़कर 67.23 पर आ गया है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज लांच

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर 'कारोबार में सुगमता' से जुड़ी 7 चिह्नित समस्याओं को सुलझाने के लिए 'ग्रैंड चैलेंज' का शुभारंभ किया है।
- इस चैलेंज का उद्देश्य युवा भारतीयों, स्टार्टअप और अन्य निजी उद्यमियों की क्षमताओं का दोहन करना है, ताकि वर्तमान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर जटिल समस्याओं का समाधान निकाला जा सके।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 नवम्बर 2018 को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय और विदेशी कंपनियों के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ संवाद किया।
- प्रधानमंत्री ने भारत में कारोबारी माहौल को निरंतर बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अवगत कराया।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज

- इस चैलेंज का उद्देश्य युवा भारतीयों, स्टार्टअप तथा निजी

उद्योगों की संभावित क्षमता का उपयोग करना है।

- इसके चैलेंज में कुछ एक निश्चित समस्याओं के लिए आधुनिक तकनीक द्वारा समाधान ढूँढ़े जायेंगे।
- यह सरकार द्वारा भारत को व्यापार करने के लिए एक सुगम स्थल बनाने की योजना का हिस्सा है।
- देश में व्यापार करने के लिए माहौल को बेहतर करने के लिए सरकार काफी समय से प्रयास कर रही है।
- इस चैलेंज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन जैसी नवीनतम टेक्नोलॉजी के द्वारा सरकारी प्रक्रिया में सुधार किया जायेगा।
- इस ग्रैंड चैलेंज का प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर होगा।

'औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली'

- केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने 19 नवंबर 2018 को 'औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली' पर एक रिपोर्ट जारी की।
- रिपोर्ट वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा 'औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली' पर तैयार की गई।
- यह विश्व बैंक के 'कारोबार में सुगमता सूचकांक' (ईओडीबी- 2019) में 23 पायदान ऊपर चढ़ गया है।

प्रमुख तथ्य:

- 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक' के शीर्ष 50 देशों में भारत को भी शुमार करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और 3354 औद्योगिक क्लस्टरों में उपलब्ध बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के अध्ययन के लिए ही यह कवायद की है।
- यह प्रणाली 3000 पार्क डेटाबेस पर है और औद्योगिक पार्कों की रेटिंग इन 4 बिंदुओं अथवा पैमानों पर की गई है। यह 4 पैमाना आंतरिक बुनियादी ढांचा, बाह्य बुनियादी ढांचा, कारोबारी सेवाएं व सुविधाएं तथा परिवेश और सुरक्षा प्रबंधन है।
- संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और विनिर्माण क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए डीआईपीपी ने मई 2017 में औद्योगिक सूचना प्रणाली (आईआईएस) लांच की थी, जो देश भर में फैले औद्योगिक क्षेत्रों और क्लस्टरों के लिए जीआईएस आधारित डेटाबेस है।
- यह पोर्टल कच्चे माल यथा कृषि, बागवानी, खनिजों एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स केन्द्रों से दूरी, भू-भाग की परतों और शहरी बुनियादी अवसंरचना सहित समस्त औद्योगिक सूचनाओं की निःशुल्क एवं आसान पहुंच वाला एकल स्थल केन्द्र है।

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक-2018

- 17 अक्टूबर, 2018 को जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग 58वीं है।
- वर्ष 2017 की तुलना में भारत की रैंकिंग में पांच रैंक का सुधार दर्ज किया गया है।
- विश्व आर्थिक मंच जीसीआई 4.0 नामक इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका को सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है जबकि सिंगापुर व जर्मनी क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। सूचकांक में भारत का स्कोर 62.0 है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- भारत की रैंकिंग में उछाल की मुख्य वजह उसका विशाल बाजार आकार है जो कि चीन व अमेरिका के पश्चात तीसरे स्थान पर है।
- जी-20 देशों में रैंकिंग में सर्वाधिक बढ़ोत्तरी भारत की है।
- भारत जिन मामलों में विश्व के सर्वोच्च 20 देशों में शामिल है, वे हैं-शेयरहोल्डर गवर्नेंस, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, प्रतिव्यक्ति जीडीपी (क्रय शक्ति तुल्यता व शोध संस्थानों की गुणवत्ता)।
- वही भारत जिन मामलों में विश्व के 20 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है, वे हैं-श्रम बल महिला भागीदारी, व्यापार प्रशुल्क व आतंकवादी घटनाएं।
- छात्र-शिक्षक अनुपात के मामले में भी भारत की स्थिति सही नहीं है। भारत में छात्र-शिक्षक अनुपात 35:2 है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2018

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत को विश्व के 119 देशों में 103वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है।
- वर्ष 2017 में भारत की रैंकिंग 100वीं थी अर्थात रैंकिंग में 3 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है।

प्रमुख बिन्दु

- वेल्ट हंगर लाइफ व कंसर्न वर्ल्डवाइड द्वारा तैयार इस सूचकांक में भारत को विश्व के उन 45 देशों की श्रेणी में रखा गया है जहाँ 'भूख की काफी गंभीर' स्थिति में है।
- भारत का स्कोर 31.1 है।
- इस सूचकांक में जिस देश का स्कोर अधिक होता है उसकी रैंकिंग उतनी ही खराब होती है।
- सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देशों (बेलारूस, बोस्निया-हर्जेगोविना, चिली, कोस्टारिका, क्रोएशिया इत्यादि) का स्कोर 5 है।
- हालांकि सूचकांक के मुताबिक विगत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष की रैंकिंग की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि यह 2013-2017 के आधार संकेतकों पर आधारित है।

- भारत की रैंकिंग उसके कई पड़ोसी देशों चीन (25वीं), नेपाल (72वीं), म्यांमार (68वीं), श्रीलंका (67वीं) व बांग्लादेश (86वीं) से भी नीचे है।
- यह सूचकांक किसी देश को 4 संकेतकों पर मापता है - आत्मपोषण, बाल मृत्यु दर, बाल कमजोरी व बाल बौनापन।
- रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अल्पपोषण की दर वर्ष 2000 के 18.2 % से कम होकर 14.8 % रह गया। भारत में बाल बौनापन दर 38.4 % है जबकि बाल मृत्यु दर 4.3 % है।
- इन तीनों संकेतकों में भारत में सुधार देखा गया है। परंतु बाल कमजोरी के मामले में वर्ष 2000 की तुलना में 2.09 % की बढ़ोत्तरी देखी गई है और यह अभी 21 % है।

लॉजिक्स इंडिया 2019

- केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री ने 28 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में लॉजिक्स इंडिया 2019 के प्रतीक चिन्ह (लोगो) के साथ-साथ उसकी विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) भी जारी की।

लॉजिक्स इंडिया 2019

- लॉजिक्स इंडिया 2019 का आयोजन 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी, 2019 तक नई दिल्ली में किया गया।
- यह मेगा लॉजिस्टिक्स बैठक भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) द्वारा आयोजित की गयी। आयोजन लॉजिस्टिक्स लागत को और कम करने के साथ-साथ भारत के वैश्विक व्यापार की परिचालन दक्षता बढ़ाने की प्रमुख पहल के रूप में किया गया।
- इसमें 20 से भी अधिक देश अपने-अपने शिष्टमंडल के साथ सम्मिलित हुए, ताकि भारत के साथ लॉजिस्टिक्स से जुड़ी साझेदारियां करने की संभावनाएं तलाशी जा सकें।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- भारत विश्व बैंक के 'लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2018' में 44वें पायदान पर है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत के लॉजिस्टिक्स उद्योग का आकार अगले दो वर्षों में लगभग 160 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 215 अरब अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है।

बिजली आपूर्ति में भारत विश्व बैंक रिपोर्ट

- विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली वितरण में पिछले कुछ साल से उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भारत अभी भी विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये चुनौतियों का सामना कर रहा है तथा भरोसेमंद आपूर्ति

अभी भी कम है।

- ❖ बिजली के विषय में विश्वबैंक की क्षेत्रीय रिपोर्ट 'इन द डार्क: हाऊ मच डू पावर सेक्टर डिस्टॉर्शन्स कॉस्ट साऊथ एशिया' के अनुसार भारत ने पिछले कुछ साल में घरों में बिजली पहुंचाने तथा बिजली कमी दूर करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु :

- ❖ विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 137 देशों में से भारत भरोसेमंद बिजली आपूर्ति के लिए 80वें स्थान पर है।
- ❖ रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के हवाले से कहा गया है कि बढ़ती आबादी, तेजी से शहरीकरण और अर्थव्यवस्था में औसत 7 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ देश में बिजली की मांग 2018 से 2040 के बीच लगभग 3 गुनी हो जाएगी।
- ❖ रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जबकि कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न वायु प्रदूषण एक अन्य बड़ी चुनौती है।
- ❖ विश्व बैंक के अनुसार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के बावजूद भारत अभी भी कुल बिजली का 75 % कोयले से उत्पादित करता है।

विश्व बैंक के विषय में
<ul style="list-style-type: none"> ● विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से जूझ रहे देशों में आई आर्थिक मंदी से निपटना था। ● वर्तमान में 180 देश इस संस्था के सदस्य हैं। विश्व बैंक के सदस्य बनने के लिए देश को आईएमएफ का सदस्य होना भी जरूरी है। ● भारत को सबसे पहली बार विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1948 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया था।

विविध

तत्काल ई-पैन कार्ड सेवा

- ❖ आयकर विभाग ने PAN (स्थायी खाता संख्या) सेवा की याचिका करने वाले व्यक्तियों के लिए पहली बार तत्काल आधार-आधारित e-PAN आवंटन सेवा शुरू की है।
- ❖ यह सुविधा निःशुल्क और वैध आधार धारकों के लिए पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर सीमित समय अवधि के लिए उपलब्ध है।
- ❖ पैन के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के

कारण यह सेवा प्रस्तुत की गयी है।

मुख्य तथ्य :

- ❖ e-PAN को आवेदक के आधार संख्या से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (OTP) के आधार पर आवंटित किया जाएगा।
- ❖ इस e-PAN में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर और पता वही होगा जो उसके आधार में पहले से ही अंकित है।
- ❖ यह सेवा केवल निवासी व्यक्तियों के लिए होगी, ना कि हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), फर्मों, ट्रस्ट और कंपनियों के लिए।
- ❖ पहले ई-पैन आवेदक को उसके इलेक्ट्रॉनिक आधार सत्यापन प्रणाली के माध्यम से कुछ ही सेकंड में आवंटित कर दिया जाएगा तथा उसके बाद आवेदक को डाक द्वारा पैन कार्ड भेजा जाएगा।
- ❖ यह प्रक्रिया विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर की जा सकती है।

पैन कार्ड क्या है?

- PAN (Permanent Account Number) एक 10 अंकों वाला एल्फान्यूमेरिक नंबर है, जो आयकर विभाग द्वारा कार्ड के रूप में जारी किया जाता है।
- पैन व्यक्तिगत या ट्रस्ट और कंपनियों के लिए अद्वितीय होता है, तथा पूरे भारत में मान्य भी होता है।
- यह किसी व्यक्ति के सभी लेनदेन को आयकर विभाग के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

- ❖ केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर 2018 को एक नई समग्र योजना 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) को मंजूरी प्रदान की है।
- ❖ इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केन्द्रीय बजट में की गई है।
- ❖ यह किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है।
- ❖ सरकार उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करने के सिद्धांत पर चलते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में पहले ही वृद्धि कर चुकी है।

'पीएम-आशा' के घटक हैं:

- ❖ मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)
- ❖ मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना (पीडीपीएस)
- ❖ निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना (पीपीपीएस)

- ☛ धान, गेहूँ एवं पोषक अनाजों/मोटे अनाजों की खरीद के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की अन्य मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ कपास एवं जूट की खरीद के लिए कपड़ा मंत्रालय की अन्य वर्तमान योजनाएं भी जारी रहेंगी, ताकि किसानों को इन फसलों की एमएसपी सुनिश्चित की जा सके।

व्यय :

- ☛ कैबिनेट ने 16,550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है। जिससे यह कुल मिलाकर 45,550 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई है।
- ☛ इसके अलावा खरीद परिचालन के लिए बजट प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है और पीएम-आशा के क्रियान्वयन के लिए 15,053 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।

सरकार की किसान अनुकूल पहल

- सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इसके तहत उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत घटाने और बाजार ढांचे सहित फसल कटाई उपरांत प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
- अनेक बाजार सुधारों को लागू किया गया है।
- इनमें मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम, 2017 और मॉडल अनुबंध खेती एवं सेवा अधिनियम, 2018 भी शामिल है।
- अनेक राज्यों ने कानून के जरिए इन्हें अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं।
- इनमें ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) की स्थापना करना भी शामिल है।
- ☛ इसी तरह ई-नाम के जरिए एपीएमसी पर प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी थोक व्यापार सुनिश्चित करना और एक व्यवस्थित एवं किसान अनुकूल निर्यात नीति तैयार करना भी इन प्रयासों में शामिल है।

स्मार्ट इंडिया हैकैथॉन -2019'

समाचारों में क्यों?

- ☛ पहली बार निजी उद्योग/संगठन तथा गैर सरकारी संगठन एसआईएच-2019 के तहत छात्रों को अपनी समस्या विवरण भी भेज सकेंगे।
- ☛ नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल के तृतीय संस्करण-‘स्मार्ट इंडिया हैकैथॉन -2019’ का आरंभ किया गया।

- ☛ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एआईसीटीई, परसिस्टेंट सिस्टमस तथा आई4सी अपनी अत्यधिक लोकप्रिय एवं नवीन ‘स्मार्ट इंडिया हैकैथॉन’ पहल (एसआईएच) के साथ हैट्रिक बनाने के लिए एकजुट हुए हैं।
- ☛ इससे नवाचार की संस्कृति तथा समस्या समाधान की मानसिकता विकसित होती है।
- ☛ इसमें पहली बार उद्योगों एवं गैर सरकारी संगठनों के समस्या-विवरण भी शामिल किये जायेंगे।
- ☛ विद्यार्थियों को विश्व के कुछ शीर्ष संगठनों के लिए विश्वस्तरीय समाधान निकालने का अवसर प्राप्त होगा वहीं संगठनों को प्रतिभाशाली मस्तिष्कों से संपर्क करने तथा इनके नियोजन के लिए ब्रांड बनाने का अवसर भी मिलेगा।
- ☛ आईआईएसीजी, आईआईटीजी, एनआईटीजी और एआईसीटीई/यूजीसी से अनुमोदन प्राप्त संस्थानों के विद्यार्थियों को समस्या समाधान की सृजनात्मक प्रतिस्पर्द्धा में बैठने तथा तकनीकी समाधान प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
- ☛ अपनी पूर्व कड़ी की तरह ही स्मार्ट इंडिया हैकैथॉन-2019 के दो उप संस्करण-सॉफ्टवेयर संस्करण (36 घंटे का सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास प्रतिस्पर्द्धा) तथा हार्डवेयर संस्करण (5 दिन की लंबी अवधि की हार्डवेयर उत्पाद विकास प्रतिस्पर्द्धा) होंगे।

एसआईएच में शामिल होने के कुछ अन्य लाभ निम्न हैं-

1. अपने संगठन को राष्ट्रीय ब्रांड का बनाने के अवसर
 2. भारत में सभी तकनीकी संस्थानों में संगठन की मान्यता और दृश्यता।
 3. पूरे भारत वर्ष के युवा तकनीशियन द्वारा आपकी समस्याओं के अभिनव समाधान।
 4. विश्व के सबसे बड़े खुले नवाचार आंदोलन में भागीदारी
 5. देश की कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के साथ काम करने का अवसर।
 6. पिछले दो वर्ष में विद्यार्थियों को सरकारी विभागों की समस्याओं को हल करने का अवसर मिला, इस बार उन्हें निजी संगठनों से भी समस्या विवरणियां मिल रही है। इससे उन्हें नियोजन तथा उद्यमिता के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
- ☛ विश्व का सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल-स्मार्ट इंडिया हैकैथॉन-2019 निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ अपना विजयी अभियान चलाएगा।
 - ☛ ‘स्मार्ट इंडिया हैकैथॉन-2019 से पहली बार सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के संगठनों और गैर सरकारी संगठनों से उनकी समस्या विवरणियों में हाथ बंटाने के लिए संपर्क कर रहे हैं।
 - ☛ स्मार्ट इंडिया हैकैथॉन-2018 स्मार्ट इंडिया ने 27 केंद्रीय मंत्रालयों और 17 राज्य सरकारों को जोड़ा। पहली बार विशेष हार्डवेयर संस्करण की शुरुआत की।

पिच टू मूव

- 'पिच टू मूव' प्रतियोगिता के अंतिम दौर का आयोजन नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किया गया।
- पिच टू मूव प्रतियोगिता का आयोजन वैश्विक गतिशीलता सम्मेलन के हिस्से के रूप में नीति आयोग और भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता संघ की ओर से संयुक्त रूप से किया गया।
- प्रतियोगिता के अंतिम दौर में मोबिलिटी से संबंधित 32 स्टार्ट-अप ने उद्योग विशेषज्ञों और उपक्रम निवेशकों के निर्णायक मंडल के समक्ष अपने-अपने विचार रखे।
- विचार और विकास के स्तर पर स्टार्ट-अप समूह से दो विजेताओं का चयन किया गया।
- विकास स्तर के स्टार्ट-अप वर्ग से 'मोबिसी' नामक डॉकलेस बाइक शेयरिंग एप को विजेता चुना गया जबकि विचार स्तर पर एनड्रॉयड आधारित टिकट संबंधी सुविधा 'जर्नी' को विजेता चुना गया।
- प्रतियोगिता में देशभर के उन सभी नवोदित स्टार्ट-अप के प्रतिभागियों ने भाग लिया। जो कारोबार से जुड़े नए विचारों को निर्णायक मंडल के समक्ष पेश करने के इच्छुक थे।

मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना तथा कृषि समूह योजना

- अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना तथा मुख्यमंत्री कृषि समूह योजना लॉन्च की गई।
- यह योजना राज्य के किसानों और कामगारों के लिए लाभप्रद हो सकती है।

मुख्य बिंदु

- अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री कृषि मैकेनाइजेशन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना तथा चाय व रबड़ के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रम लॉन्च किया गया।
- इन योजनाओं में सशक्त किसान योजना का उद्देश्य किसानों को समय पर सहायता उपलब्ध करवाया जाना शामिल है।
- इसके तहत सरकार किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए बाजार में भी हस्तक्षेप कर सकती है।
- इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है।
- इस योजना को अरुणाचल प्रदेश के कृषि, बागवानी तथा वेटेरिनरी मंत्री डॉ. मोहेश चाई ने लांच किया।

अरुणाचल प्रदेश

- अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी ईटानगर में स्थित है।
- अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गयी थी।
- अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है।
- अरुणाचल में चावल, मक्का, मोटे अनाज, गेहूं, दाल, गन्ना तथा अदरक इत्यादि का उत्पादन किया जाता है।

विश्व हैकाथॉन आरम्भ

- नीति आयोग ने 7 दिसंबर 2018 को कृत्रिम बौद्धिकता पर विश्व हैकाथॉन की शुरुआत की है।

उद्देश्य :

- इस आयोजन का लक्ष्य विकास में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को हल करने के लिए प्रौद्योगिकीय और नवाचार संबंधी उपाय सुझाए जाएंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- नीति आयोग ने सिंगापुर आधारित एक कृत्रिम बौद्धिकता स्टार्टअप 'पर्लिन' के साथ मिलकर "कृत्रिम बौद्धिकता-सबके लिए" की शुरुआत कर रहा है।
- इसके लिए नीति आयोग कृत्रिम बौद्धिकता एप्लीकेशंस के विकास के लिए छात्रों, स्टार्टअप और कंपनियों को आमंत्रित कर रहा है।
- "कृत्रिम बौद्धिकता-सबके लिए" की घोषणा कृत्रिम बौद्धिकता सम्मेलन में की गई थी, जिसका आयोजन नीति आयोग ने ओआरएफ के साथ मुंबई में नवंबर 2018 में किया था।
- यह हैकाथॉन दो चरणों में चलेगा।

संसाधन

ब्लू इकोनॉमी

संदर्भ :

- विश्व बैंक के अनुसार 'ब्लू इकोनॉमी' आर्थिक विकास, उन्नत आजीविका एवं रोजगार तथा महासागरीय पारितंत्र स्वास्थ्य के लिए महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग है। जैसे ब्लू इकोनॉमी की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा उपलब्ध नहीं है।
- ब्लू इकोनॉमी समुद्री पारितंत्र को प्राकृतिक पूंजी के रूप में

मान्यता प्रदान करता है और इसे इसी अनुरूप संरक्षित व निरंतर रखता है।

- भारतीय संदर्भ में ब्लू इकोनॉमी को 'नेशनल मैरिटाइम फाउंडेशन' ने परिभाषित किया है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ब्लू इकोनॉमी की अवधारणाओं को वर्ष 2010 में गुंटर पॉली की पुस्तक 'द ब्लू इकोनॉमी : 10 इयर्स, 100 इनोवेशंस, 100 मिलियन जॉब्स' से प्राथमिकता मिली।
- इसके पश्चात् रियो+20 सम्मेलन (2012) में संयुक्त राष्ट्र संघ के कई देशों ने सागरों एवं समुद्रों की जैव विविधता को बनाए रखने, उनका संरक्षण करने तथा वर्तमान व भावी पीढ़ियों के सतत् उपयोग के लिए इसके स्वास्थ्य, उत्पादकता एवं सहायता की सुरक्षा एवं पुनर्बहाली के लिए शपथ लिया।
- इसी सम्मेलन के पश्चात् ब्लू इकोनॉमी पहल को वैश्विक स्तर पर जोर-शोर से उठाया जाने लगा। ब्लू इकोनॉमी का ग्रीन इकोनॉमी से तुलना की जा सकती है।
- ग्रीन इकोनॉमी या हरित अर्थव्यवस्था मूलतः प्राकृतिक संसाधनों की सततता पर बल देता है।
- ब्लू इकोनॉमी में 'ब्लू' सागर/महासागर का संसूचक है। दरअसल ब्लू इकोनॉमी केवल आर्थिक विकास का तंत्र नहीं है बल्कि यह सागरीय संसाधनों की सततता के साथ उसके स्वास्थ्य को बेहतर हालत में बनाए रखने की जरूरत पर बल देता है।
- इस तरह ग्रीन इकोनॉमी के समान ब्लू इकोनॉमी मॉडल पर्यावरणीय खतरों एवं पारितंत्रीय संकटों को महत्वपूर्ण रूप से कम करते हुए मानव के रहन-सहन एवं सामाजिक समानता में सुधार का लक्ष्य लेकर चलती है।
- हालांकि ग्रीन इकोनॉमी के विपरीत, जो कि पर्यावरणीय नुकसान एवं पारिस्थितिकीय असंतुलन को रोकने में बढ़ावा देता है, ब्लू इकोनॉमी विकास प्रक्रिया में बहुमूल्य महासागरीय संसाधनों के उत्पादक इस्तेमाल का लक्ष्य लेकर चलती है। बहुत हद तक ब्लू इकोनॉमी वैकल्पिक विकास रणनीति के सद्गुणों से युक्त है।
- सतत् विकास लक्ष्य का लक्ष्य संख्या-14, 'सतत विकास के लिए महासागरों, सागरों एवं सामुद्रिक संसाधनों का संरक्षण एवं सतत् उपयोग' इसी को समर्पित है।
- विश्व बैंक ने रेखांकित किया है कि 'ब्लू इकोनॉमी' का भविष्य आर्थिक विकास के लिए महासागरीय संसाधनों के सतत् उपयोग, महासागरीय पारितंत्र, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आजीविका एवं रोजगार पर निर्भर करता है।
- महासागरीय आर्थिक नीति की परंपरागत अवधारणा के विपरीत 'ब्लू इकोनॉमी' शब्द विविध सामुद्रिक गतिविधियों

को शामिल करता है, जैसे सजीव और निर्जीव समुद्री संसाधनों की खोज (गहन सागर मत्स्यन, जल-कृषि का विकास, अपतटीय जीवाश्म ईंधन इत्यादि), नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन (पवन एवं ज्वारीय), सामाजिक आवश्यकताएं जैसे -जलवायु परिवर्तन का शमन, आपदा प्रबंधन तथा तटीय एवं द्वीपीय निवासियों के लिए विलवणीकरण।

- ब्लू इकोनॉमी अपने विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध संसाधनों एवं नवीकरणीय इनपुट का इस्तेमाल करता है।
- आज विश्व के विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में अनुछुआ संसाधनों की बड़ी क्षमता है जिनके इस्तेमाल से विश्व भर की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।

ब्लू इकोनॉमी की गतिविधियां
ब्लू इकोनॉमी में निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया जाता है -
1. नवीकरणीय ऊर्जा : सतत समुद्री ऊर्जा सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
2. मत्स्यन : समुद्री मत्स्य वैश्विक जीडीपी में 270 अरब डॉलर से अधिक का योगदान करता है। अधिक सतत मत्स्यन अधिक राजस्व व अधिक मछली सृजित करने के अलावा मछली के भंडार को बनाए रखने में भी मदद करती है।
3. सामुद्रिक परिवहन : 90 % से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं का व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है। समुद्री मार्ग से व्यापार के वर्ष 2030 तक दोगुना तथा वर्ष 2050 तक चौगुना होने का अनुमान है।
4. पर्यटन : सागरीय एवं तटीय पर्यटन से रोजगार व आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। तटीय निम्न विकसित देश तथा लघु द्वीपीय विकासशील देश प्रतिवर्ष 41 मिलियन से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
5. जलवायु परिवर्तन : महासागरों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैसे कि बढ़ता समुद्री जलस्तर, तटीय कटाव, महासागरीय धाराओं के पैटर्न में बदलाव एवं अम्लीयता बढ़ता दिख रहा है।

यह विश्व की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित रूप में महत्वपूर्ण योगदान करता है -

- संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनुसार विश्व के महासागरों में विभिन्न गतिविधियों का आर्थिक मूल्य 3 ट्रिलियन डॉलर से 6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है।
- पनडुब्बी केबल तार से 95 प्रतिशत वैश्विक दूरसंचार की जाती है।

- ☛ मत्स्यन एवं मत्स्यपालन विश्व की 4.3 अरब आबादी की 15 प्रतिशत वार्षिक जानवर प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करता है।
- ☛ 30 प्रतिशत से अधिक वैश्विक तेल एवं गैस अपतटीय क्षेत्रों से निकाला जाता है।
- ☛ विश्व अर्थव्यवस्था में तटीय पर्यटन बाजार खंड का सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 5 प्रतिशत तथा वैश्विक रोजगार में 6 से 7 प्रतिशत का योगदान करता है।
- ☛ 90 प्रतिशत वैश्विक व्यापार समुद्री मार्ग से गमन करता है।
- ☛ विश्व की 20 मेगा शहरों में से 13 तटीय हैं।
- ☛ ज्वारें, तरंग, धाराएं एवं अपतटीय पवनें ऊर्जा के उदीयमान स्रोत हैं जो कई तटीय देशों में निम्न कार्बन ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

हिंद महासागर क्षेत्र व ब्लू इकोनॉमी

- हिंद महासागर क्षेत्र (IOR), जो कि 70 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है और जो तीन महाद्वीपों की सीमा बनाता है, इसमें मत्स्य एवं समुद्री खाद्य संसाधनों, जीवाश्म एवं नवीकरण ऊर्जा तथा खनिजों की पर्याप्तता है।
- यह समुद्री पर्यटन के विकास एवं जहाजरानी गतिविधियों के द्वारा व्यापार अतुलनीय आर्थिक अवसर उपलब्ध कराता है।
- हिंद महासागर क्षेत्र सजीव एवं निर्जीव दोनों प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों की अवस्थिति तथा 7000 से अधिक किलोमीटर की तटीय व्यापारिक रेखा, सामुद्रिक सुरक्षा एवं कूटनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराता है।
- वर्ष 2032 तक भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की विजन की प्राप्ति में ब्लू इकोनॉमी का विकास महत्वपूर्ण उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकती है।
- **सागरीय ऊर्जा** : केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में ज्वारीय ऊर्जा की कुल क्षमता पश्चिमी तट पर 9000 मेगावाट की है जिनमें कैंबे की खाड़ी (7000 मेगावाट), कच्छ की खाड़ी (1200 मेगावाट) शामिल है। वहीं पूर्वी तट पर सुंदरबन में 100 मेगावाट की क्षमता है।
- वहीं भारतीय तटों पर पवन ऊर्जा की कुल क्षमता 40,000 मेगावाट की है।

ब्लू इकोनॉमी बनाम ओशन इकोनॉमी

- ☛ रियो डी जेनेरियो में वर्ष 2012 में आयोजित यूएन सतत विकास सम्मेलन में ब्लू इकोनॉमी को ओशन या महासागरीय

अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया जिसका लक्ष्य पर्यावरणीय खतरों एवं पारिस्थितिकीय संकटों में महत्वपूर्ण कमी करते हुए मानव के रहन-सहन एवं सामाजिक न्याय में सुधार करना है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्याख्या में भी महासागरीय अर्थव्यवस्था को ब्लू इकोनॉमी से भेद किया गया है।

- ☛ महासागरीय अर्थव्यवस्था (Ocean Economy) : अर्थव्यवस्था का वह भाग जो उत्पादन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आगंतो/इनपुट हेतु महासागरों पर निर्भर है जो कि उद्योग एवं भौगोलिक अवस्थिति पर आधारित है और ये उद्योग एवं गतिविधियां तटीय एवं गैर-तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है।
- ☛ तटीय (Coastal Economy) : तटीय अर्थव्यवस्था, महासागरीय अर्थव्यवस्था से बड़ी चीज है। यह अर्थव्यवस्था का वह भाग है जिसकी गतिविधियां जमीन एवं तटीय क्षेत्रों में होती हैं और जिनकी उत्पादन, रोजगार एवं मजदूरी से संबंधित संपूर्ण गतिविधियां तटीय क्षेत्र में होती है।
- ☛ समुद्री अर्थव्यवस्था (Marine Economy) : यह अर्थव्यवस्था क्षेत्रीय रूप से एकीकृत क्लस्टर उद्योग से संबंधित है जिसमें ऐसे सेक्टर शामिल होते हैं जो अंतिम उत्पाद के लिए साझा बाजार के लिए होता है। इसमें जो पांच मुख्य सेक्टर शामिल किए जाते हैं, वे हैं-वाणिज्यिक सीफूड, सामुद्रिक परिवहन, तटीय पर्यटन एवं मनोरंजन, सामुद्रिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समुद्र से संबंधित निर्माण व आधार संरचना। वस्तुतः समुद्री अर्थव्यवस्था, तटीय अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा है।

मत्स्यन

- ☛ केन्द्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2016-17 में भारत में कुल मछली उत्पादन 11.41 मिलियन टन था। इसमें 3.5 मिलियन टन से अधिक समुद्री मछली है।
- ☛ ज्ञातव्य है कि मत्स्यन के लिए भारत सरकार द्वारा 'नीली क्रांति' या 'ब्लू रिवॉल्यूशन' का संचालन किया जा रहा है।
- ☛ समुद्री मत्स्यन या मरीन फिशरीज भी इसका हिस्सा है। इसके तहत परंपरागत कला का आधुनिकीकरण, ईंधन कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल मत्स्यन प्रणाली को प्रोत्साहन, पोत निगरानी प्रणाली इत्यादि पर बल दिया जा रहा है।
- ☛ नीली क्रांति के गहन समुद्री मत्स्यन के तहत भारत से सुशिमि ग्रेड टुना मछली के निर्यात को बढ़ावा देने पर बल है।
- ☛ इसके अतिरिक्त मैरीकल्चर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके तहत मुख्य बल कोबिया, पोम्पानो व सी बास पर है।

व्यापार

- ☛ हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए व्यापक व्यापार क्षमता है।
- ☛ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के देशों ने ब्लू इकोनॉमी

- व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।
- इस क्षेत्र में व्यापार वर्ष 2003 के 302 अरब डॉलर से बढ़कर 1.2 ट्रिलियन डॉलर हो गया।

सागर विजन

- हिंद महासागर में भारत की ब्लू इकोनॉमी का विजन प्रधानमंत्री द्वारा रेखांकित 'सागर' यानी क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) पर आधारित है।
- उन्होंने ब्लू इकोनॉमी के बारे में भारत की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा था कि "मेरे लिए भारत के राष्ट्रीय झंडा में नीला चक्र, नीली क्रांति या महासागरीय अर्थव्यवस्था की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।"

नीली क्रांति
<ul style="list-style-type: none"> ● अति महत्वपूर्ण एवं उच्च उत्पादक कृषि गतिविधि के रूप में एक्वा कल्चर या जल-कृषि के लिए 'नीली क्रांति' (Blue Revolution) टर्म का प्रयोग किया जाता है। नीली क्रांति शब्द टोक्यो में आयोजित तृतीय विश्व जल मंच की बैठक में बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ। भारत के संदर्भ में नीली क्रांति का संदर्भ केन्द्र सरकार द्वारा आरंभ एक स्कीम से है।
<ul style="list-style-type: none"> ● मत्स्यन एवं जल-कृषि में विकास की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 'नीली क्रांति : मत्स्यन एकीकृत विकास एवं प्रबंधन' को मंजूरी दी गई है।
<ul style="list-style-type: none"> ● इस स्कीम के तहत एक्वाकल्चर के साथ-साथ आंतरिक जल एवं समुद्र स्रोतों से मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादकता पर बल दिया गया है।
<ul style="list-style-type: none"> ● इसमें गहन समुद्र मत्स्यन (डीप सी फिशिंग) भी शामिल है।
<ul style="list-style-type: none"> ● इस स्कीम के तहत राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की गतिविधियां, अंतर्देशीय मत्स्यन एवं एक्वाकल्चर का विकास, समुद्री मत्स्यन का विकास, मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण स्कीम इत्यादि शामिल है।
<ul style="list-style-type: none"> ● भारत सरकार की नीली क्रांति स्कीम के तहत मछली उत्पादन को वर्ष 2015-16 के 107.95 लाख टन से बढ़ाकर वर्ष 2019-20 तक 150 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है।
<ul style="list-style-type: none"> ● इस स्कीम का क्रियान्वयन सतत रूप से मत्स्यन विकास के लिए जल स्रोतों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए मछुआरों एवं मत्स्यपालन गतिविधि में संलग्न किसानों की आर्थिक समृद्धि के अलावा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

सागरमाला परियोजना

- भारत के सामुद्रिक पारितंत्र के प्राथमिकता वाले क्षेत्रक हैं - जहाजरानी, बंदरगाह, कंटेनर फ्रेट स्टेशन/इनलैंड कंटेनर डीपो एवं तटीय आर्थिक क्षेत्र, सड़क, रेल एवं तटीय संपर्क, जहाज निर्माण, निवेश, परामर्श, प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं मनोरंजन (क्रूज एवं लाइटहाउस पर्यटन)।
- ब्लू इकोनॉमी के संवर्द्धन के लिए जहाजरानी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में सागरमाला परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य विकास के लिए देश के तटों पर अंतर्देशीय जलमार्गों का अधिकाधिक लाभ उठाना है।
- 150 पहलों पर 4 लाख करोड़ के निवेश आधारित सागरमाला परियोजना चार व्यापक क्षेत्रों में विस्तृत है, छह नए बंदरगाहों के निर्माण के द्वारा बंदरगाह आधार संरचना का आधुनिकीकरण, रेल गलियारों के द्वारा बंदरगाह कनेक्टिविटी में सुधार, मालभाड़ा, अनुकूल एक्सप्रेस-वे व आंतरिक जलमार्ग, 14 तटीय आर्थिक क्षेत्र का सृजन शामिल है।
- इनमें से पहला मेगा तटीय आर्थिक क्षेत्र का सृजन मुंबई स्थित जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर किया जा रहा है। **डीप सी मिशन**
- संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि पर अभिसमय (UNCLOS) का हस्ताक्षरी राष्ट्र होने के नाते भारत को समुद्री बेसलाइन (वह रेखा जो प्रादेशिक जल एवं अंतर्देशीय जल को विभाजित करती है) से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक (अनन्य आर्थिक क्षेत्र) प्राकृतिक संसाधनों की खोज एवं दोहन का संप्रभु अधिकार है जिसमें समुद्री तल का खनिज एवं निर्जीव संसाधन शामिल है।
- अंतरिक्ष की तरह उपलब्धियां हासिल करने के लिए अगस्त, 2018 में भारत सरकार ने डीप सी मिशन योजना का रूपरेखा प्रस्तुत किया जो ब्लू इकोनॉमी को गति देने का प्रयास है। इसके तहत गहन समुद्र में खनन की योजना है।
- संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी ने पॉलीमेटालिक नोडुल्स (Polymetallic Nodules-PMN) के उत्खनन हेतु भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB) में 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रदान किया गया है। पीएमएन लोहा, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट खनिजों का हाइड्रोक्साइड मिश्रण है।
- एक अनुमान के अनुसार इस विशाल भंडार का यदि 10 प्रतिशत का भी दोहन किया जाता है तो अगले 100 वर्षों तक भारत की ऊर्जा मांग की पूर्ति इससे हो जाएगी।

तेल पर निर्भरता घटाने का वक्त

- भारत ने देर से ही सही, तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक पर कच्चे तेल की कीमतों में कटौती के लिए दबाव डालते हुए उचित कदम उठाया है।

- ❶ यद्यपि 1 जुलाई 2018 से ओपेक ने कच्चे तेल के उत्पादन में लगभग 10 लाख बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) की बढ़ोतरी की है, लेकिन हकीकत यह है कि कीमतें अब भी कम नहीं हो पाई हैं।
- ❷ निःसंदेह बीते कुछ वक्त से तेल की लगातार बढ़ती कीमतें भारत के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं।
- ❸ भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल आयात करता है। जाहिर है, तेल की बढ़ती कीमतों से देश का आयात बिल भी बढ़ रहा है।
- ❹ इससे देश में डॉलर की मांग बढ़ गई है और इस कारण विदेशी मुद्रा कोष में तेजी से गिरावट आ रही है।
- ❺ गौरतलब है कि 11 जुलाई को देश के विदेशी मुद्रा कोष का स्तर 405 अरब डॉलर रह गया, जो एक माह पहले 425 अरब डॉलर के स्तर पर था। डॉलर की मांग बढ़ने से भारतीय रुपए के मूल्य में भी गिरावट आ रही है।

प्रमुख पहलू :

- ❶ अमेरिका ने भारत और चीन सहित सभी देशों को ईरान से कच्चे तेल का आयात 4 नवंबर 2018 तक बंद करने के लिए कहा है।
- ❷ भारत में इराक और सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा कच्चा तेल ईरान से मंगाया जाता है।
- ❸ ईरान को भारत के द्वारा यूरोपीय बैंकों के माध्यम से यूरो में भुगतान किया जाता है। डॉलर की तुलना में यूरो में भुगतान भारत के लिए लाभप्रद है।
- ❹ ईरान से किया जाने वाला कच्चे तेल का आयात सस्ते परिवहन के चलते भी भारत के लिए फायदेमंद है।
- ❺ इतना ही नहीं, ईरान भारत को भुगतान के लिए 60 दिनों की क्रेडिट देता है, जबकि दूसरे देश सिर्फ 30 दिन की ही क्रेडिट देते हैं।

‘महासागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान (ओ-स्मार्ट)’ को मंजूरी

- ❶ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने व्यापक योजना ‘महासागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान(ओ-स्मार्ट)’ को अपनी मंजूरी दे दी है।
- ❷ 1623 करोड़ रुपये की कुल लागत की यह योजना 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान लागू रहेगी।
- ❸ इस योजना में महासागर विकास से जुड़ी अन्य उप-परियोजनाओं जैसे - सेवाएं, प्रौद्योगिकी, संसाधन, प्रेषण और विज्ञान को

शामिल किया गया है।

प्रभाव:

- ❶ ओ-स्मार्ट के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं से तटीय और महासागरीय क्षेत्रों के अनेक क्षेत्रों जैसे - मत्स्य पालन, समुद्र तटीय उद्योग, तटीय राज्यों, रक्षा, नौवहन, बंदरगाहों आदि को आर्थिक लाभ मिलेगा।
- ❷ इससे मछुआरों का तलाशी वाला समय बचेगा जिसके परिणामस्वरूप ईंधन की बचत होगी।
- ❸ ओ-स्मार्ट के कार्यान्वयन से सतत विकास लक्ष्य-14 से जुड़े मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी, जिनका उद्देश्य महासागरों के इस्तेमाल, निरंतर विकास के समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना है।
- ❹ यह योजना (ओ-स्मार्ट) नीली अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी पृष्ठभूमि प्रदान करेगी।
- ❺ ओ-स्मार्ट योजना के अंतर्गत स्थापित आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणालियां, सुनामी, झंझावात जैसी समुद्री आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने में मदद करेंगी।
- ❻ इस योजना के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकियां भारत के आस-पास के समुद्रों से विशाल समुद्री सजीव और निर्जीव संसाधनों को उपयोग में लाने में मदद करेंगी।

विवरण

- ❶ महासागरीय क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं वाली बहु-विषयक योजनाओं के कार्यान्वयन के महत्व को पहचानते हुए मंत्रालय ने व्यापक योजना (ओ-स्मार्ट) के एक हिस्से के रूप में वर्तमान योजनाओं को केन्द्र में रखकर विशेष रूप से जारी रखने का प्रस्ताव रखा है।
- ❷ भारत भी सतत तरीके से विशाल महासागरीय संसाधनों के उपयोगी और प्रभावशाली इस्तेमाल के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे रहा है।
- ❸ योजना के अंतर्गत दी जाने वाली और विकसित महासागरीय परामर्श सेवाएं और प्रौद्योगिकियां दर्जनों क्षेत्रों की विकास गतिविधियों, भारत के तटवर्ती राज्यों सहित समुद्र तट के परिवेश के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
- ❹ इसके अलावा महासागरीय आपदाओं जैसे सुनामी, झंझावात आदि के लिए स्थापित आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणालियां भी भारत और हिंद महासागर के देशों को 24 घंटे सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जिसे यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है।

अगले दो वर्षों के दौरान विचार किये जाने वाले महत्वपूर्ण विषयों में शामिल हैं-

1. महासागरीय निगरानी और प्रतिरूपण में वृद्धि।
2. मछुआरों के लिए महासागरीय सेवाओं में वृद्धि।
3. 2018 में समुद्र तटीय प्रदूषण की निगरानी के लिए समुद्र तट पर वेधशालाओं की स्थापना।
4. कावारात्ती में महासागर ताप ऊर्जा परिवर्तन संयंत्र (ओटीईसी) की स्थापना।
5. तटीय अनुसंधान के लिए दो तटीय अनुसंधान पोतों का अधिग्रहण।
6. महासागरीय सर्वेक्षण जारी रखना और खनिज तथा सजीव संसाधनों का अन्वेषण।
7. गहरे समुद्र में खनन- गहरी खनन प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना।
8. मानवयुक्त पनडुब्बियां विकसित करना।
9. लक्षद्वीप में छह विलवणीकरण संयंत्रों की स्थापना।

पृष्ठभूमि :
➤ नवम्बर, 1982 में बनाई गई महासागरीय नीति के विवरण के अनुसार मंत्रालय -
➤ महासागर सूचना सेवाओं का समूह प्रदान करने
➤ समुद्री संसाधनों को निरंतर उपायोग में लाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने
➤ अग्रिम श्रेणी के अनुसंधान को बढ़ावा देने और
➤ महासागरीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के लिए महासागर विकास के क्षेत्र में अनेक बहुविषयक परियोजनाओं को लागू कर रहा है।

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के कार्यक्रमों/नीतियों को उसके स्वायत्तशासी संस्थानों यानी राष्ट्रीय महासागरीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केन्द्र, राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागरीय अनुसंधान केन्द्र, तथा संबद्ध कार्यालय, समुद्र तट सजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केन्द्र, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के जरिए लागू किया जा रहा है।
- आवश्यक अनुसंधान सहायता प्रदान करने के लिए अनुसंधान पोतों का बेड़ा यानी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन करने वाले पोत सागरनिधि, समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत सागर कन्या, मत्स्य पालन और समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत सागर संपदा तथा तटीय अनुसंधान पोत सागर पूर्वी को प्राप्त किया गया है।
- अवधि के दौरान, विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत अनेक प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, जिनमें पोली-मेटेलिक नोड्यूल्स (पीएमएन) के अन्वेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल

प्राधिकरण (आईएसबीए) द्वारा आवंटित हिन्दी महासागर के केन्द्र में 75000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पोली-मेटेलिक नोड्यूल्स (पीएमएन) के गहरे समुद्र में खनन के बारे में पथ प्रदर्शक दर्जा प्रदान करना, हाईड्रोथर्मल सल्फाइड के अन्वेषण के लिए हिंद महासागर में 10,000 किलोमीटर आवंटन शामिल है।

- हिंद महासागर क्षेत्र के पड़ोसी देशों को इनमें से कुछ सेवाएं दी गई हैं। भारत की महासागर संबंधी गतिविधियों का विस्तार अब आर्कटिक से अंटार्कटिक क्षेत्र तक हो गया है, जिसमें बड़ा महासागरीय क्षेत्र शामिल है, जिस पर यथास्थान व्यापक क्षेत्र में और उपग्रह आधारित वेधशालाओं के जरिए निगरानी रखी जा रही है।
- भारत अंटार्कटिक संधि प्रणाली पर हस्ताक्षर कर चुका है और संसाधनों के उपयोग के लिए अंटार्कटिक समुद्र तटीय आजीविका संसाधन के संरक्षण आयोग (सीसीएएमएलआर) में शामिल हो चुका है।
- इसके अलावा मंत्रालय तटरेखा में बदलावों और समुद्र तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली सहित भारत के तटीय जल की सेहत की निगरानी कर रहा है।

अपतटीय पवन ऊर्जा हेतु राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित

- वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यमकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया गया है।
- विदित रहे कि अपतटीय पवन ऊर्जा की बढ़ौलत देश में नवीकरणीय ऊर्जा के पहले से ही मौजूद समूह में एक नया अवयव शामिल होगा।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत में एक गीगावाट की प्रथम अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए हाल ही में अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए हैं जिसमें देश-विदेश के उद्योग जगत ने काफी रुचि दिखाई है।
- अब पवन उद्योग का भरोसा बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता बढ़ाने हेतु मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित कर दिए हैं।
- वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया गया है।
- वैसे तो भारत में तय किए गए 60 गीगावाट के तटवर्ती पवन ऊर्जा लक्ष्य एवं 34 गीगावाट पवन ऊर्जा की प्राप्ति और वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट के सौर ऊर्जा लक्ष्य की तुलना में उपर्युक्त लक्ष्य मामूली नजर आता है, लेकिन खुले समुद्र

में विशाल पवन ऊर्जा टर्बाइन लगाने में होने वाली भारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इस सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण नजर आती है।

- उल्लेखनीय है कि तटवर्ती पवन ऊर्जा टर्बाइनों की तुलना में अपतटीय पवन ऊर्जा टर्बाइनों के आकार के साथ-साथ उनकी क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है।

अन्य महत्वपूर्ण पहलू

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अक्टूबर, 2015 में राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति अधिसूचित की थी, ताकि देश में अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को पाया जा सके।
- पवन की गुणवत्ता को सटीक रूप से मापने के लिए गुजरात तट के निकट एक 'लिडार' (लेसर अवरक्त रेडार) लगाया गया है जो नवंबर, 2017 से ही अपतटीय क्षेत्रों में चलने वाली हवाओं की गुणवत्ता से जुड़े डेटा सृजित कर रहा है।
- विश्व स्तर पर ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड और चीन की अगुवाई में लगभग 17-18 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है।

राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015
<ul style="list-style-type: none"> नई ऊर्जा नीति का फोकस भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग करना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील दूर तक का क्षेत्र है।
राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति की विशेषताएं :
<ul style="list-style-type: none"> भारत के ईईजेड में अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का विकास ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देना। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना। अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। कुशल मानव शक्ति और रोजगार सृजन का नया उद्योग तैयार करना।
नीति का महत्व
<ul style="list-style-type: none"> भारत के पास 7600 किलोमीटर लम्बे समुद्र तट के साथ उच्च अपतटीय पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। इस नीति से अपतटीय पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तटीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी।

- भारत तटवर्ती पवन ऊर्जा के विकास में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने के साथ, पहले से ही 23 गीगावाट से अधिक क्षमता के साथ तटवर्ती पवन ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित है और उत्पादन भी कर रहा है।

फेम इंडिया कार्यक्रम

- हाल ही में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए एक सब्सिडी कार्यक्रम, फेम-द्वितीय योजना पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्रालय ने योजना के मसौदे में वित्त पोषण और नीति संरचना पर प्रश्न उठाने के बाद इस बिल को खारिज कर दिया तथा नए सिरे से एक व्यापक मसौदा तैयार करने का फैसला किया है।

फेम -इंडिया स्कीम के विषय में

- देश में पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) के तहत 2015 में फेम इंडिया स्कीम शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य देश में बिजली प्रौद्योगिकियों वाले वाहनों को बढ़ावा देना और बनाने के लिए बाजार राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना है।
- निर्धारित अवधि में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए यह देश में आधुनिक या इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के विकास और इसकी विनिर्माण पर्यावरण-व्यवस्था का भी समर्थन करेगा।
- यह उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है यह इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को दोपहिया वाहन से बसों तक की मांग को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
- फेम इंडिया स्कीम का लक्ष्य है कि सभी व्हीकल क्षेत्रों में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर ऑटो, पैसेंजर 4 व्हीलर वाहन, हल्के वाणिज्यिक वाहन और बसों को प्रोत्साहित किया जाए।
- इस योजना में आधुनिक और इलेक्ट्रिक तकनीकों जैसे हल्के आधुनिक, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं :

- सरकार ने 77 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन मांग बढ़ा दी है।
- इसका उद्देश्य 2030 तक भारत को 100 प्रतिशत बिजली का वाहन वाला देश बनाना है।
- इस योजना को 6 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।
- फेम-इंडिया आधुनिक/इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के विकास का

समर्थन करना चाहता है।

- फेम-इंडिया स्कीम का 1 चरण अप्रैल 2015 में शुरू हुआ।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फेम-इंडिया योजना विस्तारित की है
- यह इलेक्ट्रिक और आधुनिक वाहनों/प्रौद्योगिकियों के उद्योग के लिए कुछ अच्छी खबर है।
- फेम इंडिया स्कीम - देश के बिजली और आधुनिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को योजनाबद्ध प्रमुख - संबंधित मंत्रालयों (वित्त, बिजली और भारी उद्योग) से औपचारिक विस्तार प्राप्त हुआ है।
- यह योजना तीन से छह महीने तक बढ़ सकती है।
- सरकार की फेम-इंडिया योजना के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग ने 1 अप्रैल, 2015 से फरवरी 2017 तक 19,897 बिजली/आधुनिक वाहनों की खरीद के लिए 127.77 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन की मांग की है।
- फेम-इंडिया को भारत में तेजी से अपनाने के लिए और विनिर्माण (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन) योजना को 2020 तक 6 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित करने का प्रस्तावित किया है।
- जिसमें योजना का उद्देश्य आधुनिक/इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के विकास का समर्थन करना और इसको नियत अवधि के अंत में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।
- **योजना के चार चरण हैं :** 1. प्रौद्योगिकी विकास, 2. मांग निर्माण, 3. पायलट परियोजनाएं, 4. आधारभूत संरचना चार्ज
- 1 अप्रैल 2015 से शुरू होने वाले दो साल की अवधि में योजना का 1-चरण कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसमें 795 करोड़ रु की लागत होगी।
- **चरण 1** (2 वर्ष) में प्राप्त परिणाम और अनुभव के आधार पर, इस स्कीम को हितधारकों से इनपुट के साथ उचित रूप से समीक्षा की जाएगी और भविष्य में निधि के उचित आवंटन के साथ 31 मार्च 2017 के बाद कार्यान्वित करने के लिए विचार किया जाएगा।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार कानून में संशोधन

- केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पेटेंट उल्लंघन की शिकायतों के आधार पर आयातित उत्पादों को जब्त करने की सीमा शुल्क प्राधिकरणों में निहित शक्ति को रद्द करने के लिये बौद्धिक संपदा नियमों में संशोधन किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 22 जून को मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित सामान) प्रवर्तन नियम, 2007 में दो संशोधन किये।
- यह संशोधन बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित सामान) प्रवर्तन संशोधन नियम, 2018, पेटेंट अधिनियम, 1970 के सभी संदर्भों को हटा देता है।
- संशोधन में आगे की स्थितियों को शामिल किया गया है जो अधिकार धारक को किसी भी संशोधन, रद्दीकरण, निलंबन या प्रतिक्रिया के बारे में सीमा शुल्क आयुक्त को सूचित करने के लिये बाध्य करता है।
- अब संशोधित कानून सीमा शुल्क प्राधिकरणों को बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (IPAB) द्वारा पारित आदेश के आधार पर इसके रिकॉर्ड से अपने पेटेंट को रद्द करने की अनुमति देगा।

बौद्धिक सम्पदा का अधिकार क्या है

- आई.पी.आर किसी व्यक्ति विशेष के नवीन उत्पाद के कलात्मक बौद्धिकता, विचार एवं सिद्धांत से संबंधित है।
- वह किसी व्यक्ति को उसकी कलात्मकता अथवा उत्पादकता का उपयोग करने या न करने का स्वामित्व प्रदान करता है।
- पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एवं ट्रेड सिक्रेट्स आदि किसी व्यक्ति के वास्तविक कार्य को सुरक्षा प्रदान करने के विभिन्न कानूनी तरीके हैं। जो कि सामूहिक रूप से बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के अंतर्गत आते हैं।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार का इतिहास

- सर्वप्रथम बौद्धिक सम्पदा को पांचवी सदी बी.सी. में ग्रीस में किताब को खरीदने अथवा बेचने अर्थात व्यवसाय करने के लिए उपयोग में लाया गया था।
- इसके उपरांत पन्द्रहवीं शताब्दी में इंग्लैंड तथा यूरोप में ज्ञान तथा विचार आदि को सम्पदा का अधिकार प्रदान करने का सिद्धांत आया था।
- प्रिंटिंग प्रेस के अविष्कार ने सभी कार्यों की प्रतिलिपि को बनाना आसान कर दिया। तब से किसी व्यक्ति विशेष के कलात्मक, उत्पादकता एवं अविष्कार को सुरक्षित करने के लिए एक अधिकार/कानून की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो कि वर्तमान में बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के रूप में जानी जाती है।

भारत में बौद्धिक सम्पदा का अधिकार

- बौद्धिक सम्पदा का अधिकार चाहे वह पेटेंट से संबंधित हो, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या औद्योगिक सभी के द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण में वर्ष 1999 से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु ट्रिप्स में शामिल हुआ।
- पेटेंट (संशोधन) अधिनियम 1999 में संशोधन विपणन को

पेटेंट 5 वर्ष है।

- ट्रेडमार्क विधेयक 1999 जो वस्तु चिन्ह अधिनियम 1958।
- भौगोलिक संकेत के सामान पंजीयन और संरक्षण विधेयक 1999 को मंजूरी दी गई।
- औद्योगिक डिजाइन विधेयक 1999 की जगह डिजाइन।
- पेटेंट अधिनियम 1970 एवं पेटेंट संशोधन विधेयक 1999
- उपरोक्त वैधानिक परिवर्तन कर भारत सरकार ने मौलिक सम्पदा के अधिकार को और सुदृढ़ बनाया है।
- ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के साथ लागू करने वाइपो/यू.एन.डी.पी. परियोजना को लागू करने हेतु तथा आधुनिकीकरण हेतु पेटेंट कार्यालय में 756 लाख की लागत से विकास किया गया है।

VI (BS-VI) सर्टिफिकेशन का कार्य हुआ पूरा

- 01 अप्रैल, 2020 की क्रियान्वयन तिथि से काफी पहले ही आईसीएटी ने मेसर्स वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के लिए भारी-भरकम इंजन मॉडल हेतु प्रथम बीएस-VI प्रमाणन का कार्य पूरा कर लिया है।
- इस इंजन का निर्माण एवं विकास वोल्वो आयशर द्वारा भारत में ही किया गया है।
- बीएस VI ईंधन में सल्फर सामग्री बीएस IV ईंधन की तुलना में काफी कम है।
- वर्तमान में हमारे ईंधन में सल्फर सामग्री 50 मिलियन प्रति मिलियन (पीपीएम) है जबकि बीएस VI ईंधन में 10 पीपीएम की सल्फर सामग्री है।

क्या है भारत स्टेज उत्सर्जन मानक?

- भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों (Bharat Stage Emission Standard) मोटर वाहन सहित आंतरिक दहन इंजन और स्पार्क-इग्निशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषण के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक हैं।
- कार्यान्वयन के लिए मानकों और समय सीमा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है।
- यूरोपीय नियमों के आधार पर मानकों को पहली बार 2000 में पेश किया गया था।
- भारत सरकार के अत्यंत सक्रिय रुख से देश के लिए पारंपरिक बीएस-IV के स्थापन पर भारत में नियामकीय रूपरेखा के अगले स्तर के रूप में सीधे बीएस-VI उत्सर्जन मानकों को अपनाना संभव हो गया है।
- बीएस-VI उत्सर्जन मानक अपने दायरे की दृष्टि से काफी व्यापक हैं और ये मौजूदा उत्सर्जन मानकों में व्यापक

बदलावों को एकीकृत करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा स्वच्छ उत्पाद पेश करना अब संभव हो गया है।

पृष्ठभूमि

- 29 अप्रैल 1999 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भारत के सभी वाहनों को इंडिया-2000 मानकों को 1 जून 1999 तक अपना लेना होगा।
- वर्ष 2002 में केंद्र सरकार ने माशेलकर समिति द्वारा जमा की गई रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।
- समिति ने भारत के लिए यूरो आधारित उत्सर्जन मानकों को अपनाने का रोडमैप प्रस्तावित किया था।
- समिति की सिफारिशों के आधार पर 2003 में आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय ऑटो इंधन नीति की घोषणा की गई और इसमें 2010 तक भारत स्टेज मानकों को लागू करने हेतु रोडमैप दिया गया था।
- अक्टूबर 2010 से भारत स्टेज III मानक देश भर में लागू हो चुके हैं। 13 प्रमुख शहरों में अप्रैल 2010 से भारत स्टेज IV काम कर रहा है जिसका पूरे देश में 2017 तक विस्तार कर लिया जाएगा।
- जनवरी 2016 में केंद्र सरकार ने 2020 तक बीएस IV से सीधे बीएस VI अपनाने की घोषणा कर दी है। इससे पहले 2020 तक बीएस V और 2025 तक बीएस VI अपनाने की समय-सीमा निर्धारित की गई थी।
- इसके अलावा 1996 में सरकार ने इंधन विशेषताओं को अधिसूचित किया था। पेट्रोल में बेंजिन जैसे महत्वपूर्ण घटकों के लिए अधिकतम सीमा को लगातार कम किया गया और देश एवं महानगरों में क्रमशः 5% m/m और 3% m/m निर्धारित किया गया था।

- सरकार ने 2005 के स्तर से 2030 तक कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में अपने जीडीपी का 33-35 फीसदी सुधार करने और 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष कवर के माध्यम से अतिरिक्त 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष कार्बन सिंक बनाने का वादा किया है।
- इसके अलावा प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जनों में कमी लाना, शहरों में सीएनजी और एलपीजी जैसे वैकल्पिक इंधन का परिवहन इंधन के रूप में प्रयोग करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- दिल्ली सरकार द्वारा आरम्भ किये किए गए ऑड-ईवन नीति ने सरकार के प्रदूषण कम करने के संकल्प को मजबूत किया है।
- व्यापक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के उपयोग को प्रोत्साहित करना, मेट्रो की शुरुआत, बसों की संख्या बढ़ाना

आदि काम किए जा रहे हैं।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स: भारत की रैंकिंग में सुधार

- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) ने इनोवेटिव देशों की सूची में भारत को 57वें नंबर पर रखा है।
- भारत की रैंकिंग में 3 स्थान का सुधार हुआ है, पिछले साल भारत 60वें नंबर पर था।
- भारत की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। 2015 में यह 81वें स्थान पर था। इस बीच चीन 22वें स्थान से नंबर 17 पर पहुंच गया है।
- चीन विश्व के शीर्ष 20 सर्वाधिक नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है।
- यह सालाना रैंकिंग कॉर्नेल विश्वविद्यालय, आईएनएसईएडी और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा 10 जुलाई 2018 को प्रकाशित की गई।

मुख्य तथ्य:

- स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में शीर्ष स्थान पर बरकरार है।
- मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है। जबकि दुनिया भर की रैंकिंग में भारत 57वें स्थान पर है।
- भारत ने कई महत्वपूर्ण सूचकांकों की रैंकिंग में सुधार किया है। उत्पादकता वृद्धि और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और सेवाओं के निर्यात क्षेत्र में भी उसने रैंकिंग सुधारी है।
- पिछले साल (वर्ष 2017) की रैंकिंग में भारत और तीन स्थान नीचे 60 पर था। मध्य और दक्षिण एशिया में भारत के बाद दूसरे स्थान पर ईरान और तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान है।
- जीआईआई 2018 के शीर्ष 10 देशों में स्विट्जरलैंड के बाद नीदरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन, सिंगापुर, अमेरिका, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और आयरलैंड शामिल हैं।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 5 देश:

- 1. स्विट्जरलैंड, 2. नीदरलैंड, 3. स्वीडन, 4. यूनाइटेड किंगडम तथा 5. सिंगापुर

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई)

- जीआईआई वैश्विक रैंकिंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा प्रकाशित की जाती है जो कॉर्नेल विश्वविद्यालय और स्नातक बिजनेस स्कूल इन्सिड के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

- जीआईआई में 80 संकेतकों पर 126 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग की गई, जिसमें बौद्धिक संपदा फाइलिंग दर से लेकर मोबाइल एप्लिकेशन निर्माण, शिक्षा खर्च और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशनों तक को शामिल किया गया।

- चीन इस साल (वर्ष 2018) इस रैंकिंग में 17वें स्थान पर रहा, जोकि उसकी अर्थव्यवस्था की सफलता दर्शाती है। वहां की सरकार की नीतियों में शोध और विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

अर्थ ओवर शूट डे

- अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी रिसर्च संगठन 'ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क' (जीएफएन) द्वारा हर साल एक आंकड़ा पेश करता है जिससे ज्ञात होता है कि पृथ्वी पर मौजूद इन संसाधनों के समाप्त होने की तारीख कितनी तेजी से करीब आती जा रही है।
- जीएफएन अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताता है कि पृथ्वी हर साल अपने संसाधनों का कितना हिस्सा पुनर्निर्मित कर सकती है और हम सब उसकी इस क्षमता से कितना ज्यादा संसाधनों हर साल दोहन कर रहे हैं।
- यह सिलसिला करीब 70 के दशक से शुरू हुआ और उसके बाद से लगभग हर साल-दर साल जीएफएन द्वारा संसाधनों के खर्चे के दायरा को लेकर रिपोर्ट आती रही।
- साल भर के संसाधनों का कोटा महीने की जिस तारीख को समाप्त होता है उसे ओवरशूट डे के नाम से जाना जाता है।
- हालांकि 20 साल पहले के हालातों को देखते हुए साल भर के संसाधनों का कोटा 30 सितंबर तक पूरा हो जाता था, लेकिन तेजी से बढ़ते संसाधनों के प्रयोग के कारण यह तारीख लगातार ऊपर खिसकती जा रही है और महज 10 वर्षों में ही यह तारीख खिसक कर 15 अगस्त तक आ गई है।
- हैरान करने वाली बात तो यह है कि अभी पिछले साल ही 3 अगस्त को ओवरशूट डे मनाया गया था जबकि इस साल ये दो दिन ऊपर खिसककर 1 अगस्त हो गई है।
- इसका मतलब ये है कि साल के बाकि बचे हुए 5 महीने में हम जो संसाधन इस्तेमाल करेंगे, वह भविष्य से लिया जाने वाला कर्ज है।
- जीएफएन की रिपोर्ट के मुताबिक, लोग पृथ्वी के संसाधनों का 1.7 गुना तेजी से उपयोग कर रहे हैं।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक एक औसत अमेरिकी को अपने जीवन-यापन करने के लिए 5 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी जबकि एक भारतीय 0.7 पृथ्वी के उपयोग में ही अपना जीवन गुजार सकता है।

प्रधानमंत्री शोध फ़ैलो योजना का विस्तार

- केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री अनुसंधान (पीएमआरएफ) योजना 2019 से सभी संभावित शोधकर्ताओं और आईआईएससी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईईईआर और आईआईएसईआर के उम्मीदवारों के लिए होगी।
- इस साल पीएमआरएफ के लिए पर्याप्त उम्मीदवारों को खोजने में असफल होने के बाद फैसला किया गया था।
- अंत में 1,000 पदों में से केवल 135 फ़ैलोशिप की पेशकश की गई।

प्रधान मंत्री अनुसंधान फ़ैलो (पीएमआरएफ) योजना

- बजट भाषण 2018-19 में इस योजना की घोषणा की गई थी। इसे 2018-19 की शुरुआत से इसे सात साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा।
- इसके तहत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी धाराओं में बी टेक/ इंटीग्रेटेड एम.टेक/एमएससी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष में पूर्ण या अंतिम वर्ष में सर्वश्रेष्ठ छात्र आईआईटी/ आईआईएससी में पीएचडी कार्यक्रम में प्रत्यक्ष प्रवेश की पेशकश की जाएंगी।
- **मासिक फ़ैलोशिप :** पीएमआरएफ दिशा-निर्देशों में निध रित चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए छात्रों को पहले दो वर्षों के लिए 70,000 रुपये की मासिक फ़ैलोशिप, तीसरे वर्ष के लिए 75,000 रुपये और चौथी और 5वीं वर्ष में 80,000 रुपये की पेशकश की जाएगी।
- **अनुसंधान अनुदान:** प्रत्येक चयनित साथी छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए अपने विदेशी यात्रा खर्च को कवर करने के लिए 5 साल की अवधि में 2 लाख रूपए के शोध अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

दुनिया के सबसे बड़े उभयचर विमान का पहला सफल परीक्षण

- चीन में स्वदेश निर्मित तथा जल और थल दोनों सतहों पर कारगर विमान एजी600 (AG600) ने 20 अक्टूबर 2018 को पहले परीक्षण के तहत सफलतापूर्वक उड़ान भरी और लैंडिंग की।
- इसे दुनिया का सबसे बड़ा विमान कहा जा रहा है।
- चीन की सरकारी विमानन कंपनी एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना द्वारा निर्मित इस विमान ने हूबेई प्रांत के जिंगमेन में उड़ान भरी और बाद में समुद्र में भी उतरा।

एजी600 के बारे में:

- एजी600 नामक कोड, जिसे टीए-600 भी कहा जाता है, वर्तमान में उड़ने वाला सबसे बड़ा उभयचर विमान है।
- यह चीन विमानन उद्योग निगम (एविक) द्वारा डिजाइन किया गया है।
- इसकी ऑपरेशन रेंज लगभग 4,500 किलोमीटर है।

तीसरा सदस्य:

- AG600 चीन के बड़े विमानों के बेड़े का तीसरा सदस्य है। दो अन्य विशाल विमान Y-20 (मालवाहक विमान) तथा यात्री विमान C919 हैं।

विमान के विषय में

- इसके अलावा यह 12 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है।
- इस विमान के परीक्षण की शुरुआत दिसंबर 2017 में हुई थी, इसके बाद से इसके कई चरण के परीक्षण हो चुका है।
- इस दौरान इसके आठ बार टेकिंग टेस्ट भी हुए जिसमें इससे 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक उड़ाकर पानी का छिड़काव किया गया था।
- इस विमान की लंबाई करीब 37 मीटर है जो लगभग बोइंग 737 के ही बराबर है।
- इस प्लेन को खासतौर से समुद्री बचाव कार्य, जंगल की आग बुझाने और समुद्र तट की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
- इसका उपयोग सैन्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है।
- यह विमान 39.6 मीटर लंबा है और एक बार में 4 हजार किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें 50 यात्रियों को भी ले जाया जा सकता है।
- इस विमान की रेंज चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में निर्मित कृत्रिम द्वीपों तक है।

